जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक–जे0एन0सी0यू0 / सा0प्र0 / 9131 / 2025 दिनांकः 03 दिसम्बर, 2025

शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या / प्रबन्धक
सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,
बलिया।

विषयः–राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्याः 2878 / सत्तर–3–2025–1988280, दिनांकः 11 नवम्बर, 2025 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के समयबद्ध व प्रभावी रूप से क्रियान्वयन के क्रम में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा–निर्देशों की अनुपालन आख्या निर्धारित प्रारूपों पर उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

तत्क्रम में मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि संलग्न पत्र में वर्णित तथ्यों के आलोक में अपने महाविद्यालय से सम्बन्धित सूचनाएँ संलग्न प्रारूपों पर (Excel Sheet में) दिनांकः 07 दिसम्बर, 2025 तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे समस्त सूचनाएँ संकलित करते हुए तदनुसार शासन को प्रेषित की जा सकें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. माननीय कुलपति जी।
2. प्रभारी वेबसाईट को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित कालेज लागिन में सम्प्रेषण हेतु।
3. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

पताः–शहीद स्मारक, निकट सुरहा ताल, जिला–बलिया,उ0प्र0 पिन कोडः–277001
Address:- Saheed Smarak, Near Surha Taal, Dist-Ballia, U.P. Pin Code-277001
Website:-www.jncu.ac.inE-mail :- jncuballia@gmail.com

अतिमहत्वपूर्ण

संख्या- 2878 /सत्तर-3-2025-1988280

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक**,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

3. **समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांक 11 नवम्बर, 2025**

विषयः राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के समयबद्ध व प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हेतु निम्न शासनादेश निर्गत किये गये है :-

1.	5608/सत्तर-3-2020-08(35)/2020	दिनांक 03.12.2020
2.	5609/सत्तर-3-2020-08(35)/2020	दिनांक 03.12.2020
3.	5687/सत्तर-3-2020-08(35)/2020	दिनांक 15.12.2020
4.	142/सत्तर-3-2020-08(35)/2020टी0सी0-1	दिनांक 15.01.2021
5.	602/सत्तर-3-2021-08(35)/2020	दिनांक 22.02.2021
6.	1065/सत्तर-3-2021-16(26)/2011	दिनांक 20.04.2021
7.	1567/सत्तर-3-2021-16(26)/2011टी0सी0	दिनांक 13.07.2021
8.	1815/सत्तर-3-2021-16(26)/2011	दिनांक 09.08.2021
9.	1117/सत्तर-3-2023	दिनांक 01.05.2023
10.	1969/सत्तर-3-2021	दिनांक 18.08.2021
11.	2058/सत्तर-3-2021-08(33)/2022टी0सी0	दिनांक 26.08.2021
12.	401/सत्तर-3-2022	दिनांक 09.02.2022
13.	2090/सत्तर-3-2024-09(01)/2023/2023 (I4)	दिनांक 02.09.2024
14.	1032/सत्तर-3-2022-08(35)/2020	दिनांक 20.04.2022
15.	660/सत्तर-3-2023-08(21)/2022	दिनांक 02.03.2023
16.	673/सत्तर-3-2023-09(03)/2023	दिनांक 06.03.2023
17.	793/सत्तर-3-2023-08(21)/2023	दिनांक 20.03.2023
18.	308/सत्तर-3-2021-16(26)/2011	दिनांक 25.01.2021
19.	1267/सत्तर-3-2023-16(26)/2011	दिनांक 15.06.2021
20.	1276/सत्तर-3-2021-16(26)/2011	दिनांक 16.06.2021

21.	33/सत्तर-3-2021-8(35)/2020	दिनांक 05.01.2021
22.	69/सत्तर-1-2022	दिनांक 06.01.2022
23.	70/सत्तर-1-2022	दिनांक 06.01.2022
24.	744/सत्तर-3-2022	दिनांक 16.03.2022
25.	1411/ सत्तर-3-2024	दिनांक 16.10.2024

2- अवगत कराना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्गत उपर्युक्त शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशानुसार समयबद्ध व प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश यथा समय दिये गये थे, परन्तु कृत कार्यवाही से अभी तक शासन को अवगत नहीं कराया गया है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त संदर्भित शासनादेशों के क्रियान्वयन के क्रम में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय हेतु निर्धारित संलग्न प्रारूपों पर वांछित सूचना पूरित कराकर शासन को 15 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराते हुए उक्त सूचना उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के ई-मेल hesection.3@gmail.com पर भी प्रेषित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by
GIRIJESH KUMAR TYAGI
Date: 13-11-2025
13:54:46

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा, कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।
5. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता।
संख्या– 33 /सत्तर–3–2021–08(35)/2020

प्रेषक,

अब्दुल समद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 05 जनवरी, 2021**

विषय :– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के उद्देश्यों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए नैक मूल्यांकन को प्रोत्साहित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षण संस्थानों के सतत् एवं समयान्तर्गत मूल्यांकन पर विशेष ध्यान दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश अर्ह राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों का या तो नैक मूल्यांकन कराया नहीं गया है अथवा उनका मूल्यांकन कालातीत हो गया है। एक बार मूल्यांकन कराने के बाद समयान्तर्गत पुनर्मूल्यांकन न कराना नैक मूल्यांकन के प्रति उदासीन मानसिकता को दर्शाता है। विभिन्न सेमिनार/वर्कशॉप में यह बात सामने आयी है कि नैक मूल्यांकन कराने एवं न कराने वाले महाविद्यालयों में कोई अन्तर न होने के कारण प्राचार्य/शिक्षक नैक मूल्यांकन में व्यक्तिगत रूचि नहीं लेते हैं। अतः नैक मूल्यांकन के प्रति उदासीनता समाप्त करने एवं मानसिकता में परिवर्तन करने के लिए नैक मूल्यांकन कराने वाले महाविद्यालयों को प्रोत्साहन दिया जाना आवश्यक है, जिससे अर्ह महाविद्यालयों के प्राचार्य/शिक्षक समयान्तर्गत नैक मूल्यांकन कराने के लिए सामूहिक रूप से आगे आयें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त उद्देश्य हेतु निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें :–

- नैक मूल्यांकन को प्रोत्साहित करने के लिए निदेशालय/विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न प्रकार की समितियों आदि कार्यों में नैक मूल्यांकित महाविद्यालयों के प्राचार्य/शिक्षकों को वरीयता दी जाय।
- निदेशालय द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुदान स्वीकृत करने में नैक मूल्यांकित महाविद्यालयों को वरीयता दी जाय तथा सर्वोच्च ग्रेड प्राप्त करने वाले महाविद्यालयों की मांग पर विशेष ध्यान दिया जाय।
- निदेशालय/विश्वविद्यालय स्तर पर नैक मूल्यांकन को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न प्रकार की योजनायें बनायी जाय।
- विश्वविद्यालय स्तर पर प्रतिवर्ष नैक मूल्यांकन कराने वाले महाविद्यालयों को सम्मानित किया जाय।
- निदेशालय स्तर पर सर्वोच्च ग्रेड लाने वाले महाविद्यालयों को सम्मानित किया जाय।

भवदीय,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

Nishi G.D.

संख्या– 69 /सत्तर–1–2022–

प्रेषक,

मोनिका एस0गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1· कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश।

2· निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक 06 जनवरी, 2022**

विषयः– प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को एम0फिल/पी0एच0डी0 की उपाधि हेतु कोर्स वर्क पूरा किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एम0फिल/पी0एच0डी0 की उपाधि हेतु कोर्स वर्क पूरा किया जाना एम0फिल/पी0एच0डी0 हेतु अनिवार्यता का मानक यू0जी0सी0 के एम0फिल/पी0एच0डी0 रेगुलेशन 2016 में निर्धारित है। उक्त कोर्स वर्क पूर्ण करने हेतु सेवारत शिक्षकों को अवकाश लेना आवश्यक है जिससे शैक्षणिक कार्य प्रभावित होता है। अतः उक्त कठिनाई के निवारण हेतु कोर्स वर्क को पूर्ण करने हेतु भौतिक कक्षाओं के साथ–साथ आनलाइन प्रकिया को भी मान्यता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय कार्यवाही कर सकते हैं अर्थात कार्यरत शिक्षक कोर्स वर्क को ऑनलाइन अथवा भौतिक रूप में पूर्ण कर एम0फिल/पी0एच0डी0 की उपाधि हेतु शोध कार्य कर सकते है।

भवदीया,

6/1

(मोनिका एस0 गर्ग)
अपर मुख्य सचिव

F:\SO-1 @ 2021/G.O

संख्या– 70 /सत्तर–1–2022–

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश।

2 निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक 06 जनवरी, 2022**

विषयः– यू0जी0सी0 विनियम, 2018 के विनियम संख्या–18 के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों को पी0एच0डी0 की 10 प्रतिशत सीटें दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

"विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2018" के विनियम संख्या–18 (ii) में यह प्राविधान है कि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्यों को पीएचडी उपाधि प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सेवारत शिक्षकों के लिए पीएचडी सीटों की अधिकता के संबंध में विशेष उपबंध किया जाएगा लेकिन, यदि विभाग में पात्र पर्यवेक्षकों के पास कोई रिक्त सीट उपलब्ध नहीं हो तो यह विभाग में उपलब्ध कुल सीटों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

इस सम्बन्ध में यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त के संदर्भ में "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2018" के विनियम संख्या–18 (ii) के अनुसार विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के विभागों में पी0एच0डी0 सीटों के सापेक्ष 10 प्रतिशत सीटें सेवारत शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना चाहें।

भवदीया,

6/1

(मोनिका एस0 गर्ग)
अपर मुख्य सचिव

F:\SO-1 @ 2021/G.O

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध।
संख्या–142 /सत्तर–3–2021–08(35)/2020टी.सी.1

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1– **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2– **कुलपति,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ: दिनाँक: 15 जनवरी, 2021**

विषय: राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकोष्ठ स्थापित किये जाने के सम्बंध में ।

महोदय

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में संलग्न सूची के अनुसार प्रकोष्ठों की स्थापना कर नीति में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत उनका संचालन सुनिश्चित किया जाये। अनुरोध है कि सभी प्रकोष्ठों की स्थापना, संरचना एंव उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की वेबसाईट पर नियमित रूप से प्रदर्शित करें तथा अद्यतन स्थिति से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:– यथोपरि।

भवदीया,
15
(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 142 (1)/सत्तर–3–2021–तद्‌दिनाँक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।

Nehd G.O.

क्रमांक	प्रकोष्ठ का नाम	कार्य
1	उद्योग–अकादमिक एकीकरण एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ (Industry-Academia Integration and Skill Development Cell)	• माध्यमिक, पोलीटैक्निक, आई.टी.आई के साथ उच्च शिक्षा का समन्वय स्थापित करना • व्यवसायिक एवं कौशल शिक्षा के क्षेत्रों की पहचान करना • व्यवसायिक एवं कौशल शिक्षा के प्रायोगिक भाग/इंर्टन्शिप के लिये MoU करना • कौशल विकास के लिये स्थानीय उद्योगों के साथ मिलकर पाठ्यक्रम तैयार करना • स्थानीय व्यवसायिक एवं कौशल शिक्षा के क्षेत्रों से छात्रों को अवगत कराना • छात्रों को आनलाईन व्यवसायिक एवं कौशल शिक्षा कोर्स करने के लिये मदद करना • क्षेत्रीय उद्योगों/संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर MoU करना • क्षेत्रीय उद्योगों/संस्थाओं की पहचान कर अध्ययनरत विद्यार्थियों को इंटर्नशिप हेतु उनमें भेजना • संस्था के समझौता–ज्ञापन (MoU) का ड्राफ्ट तैयार करना • संस्था के हित में विभिन्न प्रकार के समझौता–ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करना • समझौता–ज्ञापन (MoU) की क्रियाशीलता सुनिश्चित करना
2	ऑनलाइन शिक्षा एवं LMS प्रकोष्ठ (Online Education and LMS Cell)	• संस्था में उ0प्र0 ऑनलाइन शिक्षा नीति के अनुरुप विभिन्न कार्य करना • विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रमों से छात्रों को अवगत कराना तथा उसके लिये उन्हें प्रेरित करना • संस्था का LMS तैयार कर उसका संचालन सुनिश्चित करना • संस्था के समस्त कार्यालयी कार्यो को डिजिटल माध्यम से कराना • पुस्तकालय में प्री–लोडेड टैब्स उपलब्ध करवाना • संस्थान में ई–लर्निंग पार्क की स्थापना करवाना • अपने क्षेत्रान्तर्गत अथवा संस्था के अंदर पी.पी.पी के आधार पर ई–सुविधा केन्द्र की स्थापना करना जिससे छात्रों को न्यूनतम दर पर 24x7 कम्प्यूटर एवं इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हो सके • ई–सुविधा केन्द्र के विभिन्न कार्यो की दर सुनिश्चित करना (कैन्टीन की तरह) जिससे छात्रों को शोषण से बचाया जा सके • ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के क्रेडिट ट्रांसफर में छात्रों की मदद करना
3	शिक्षक प्रशिक्षण प्रकोष्ठ (Teachers' Re-skilling Cell)	• शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का वार्षिक कैलेण्डर तैयार कराना • शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना • शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं

		अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम से अवगत कराना • भविष्य में प्रयोग होने वाली शिक्षण तकनीकी से शिक्षकों को अवगत कराना
4	अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ (Research Development cell)	• उच्च गुणवत्ता के शोध हेतु दिशा–निर्देश तैयार करना • शिक्षकों / विद्यार्थियों को शोध योजना बनाने में मदद करना • विभिन्न प्रकार की शोध अनुदान योजनाओं से शिक्षकों / विद्यार्थियों को अवगत कराना • शोध हेतु उद्योगों / अन्य शिक्षण संस्थानों के साथ अनुबन्ध करना • राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर द्विपक्षीय शोध करना • शोध हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करना
5	संस्थागत विकास योजना प्रकोष्ठ Institutional Development Plan (IDP) Cell	• संस्था के लघु एवं दीर्घ उद्देश्यों (Annual, Five year plan upto15 years) पर आधारित " संस्थागत विकास योजना" तैयार करना • संस्था की IIC स्थापित करना • भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरुप संस्था का IIC पर पंजीकरण सुनिश्चित करना तथा उसके अनुरुप कार्य करना • संस्था का ARIIA में प्रतिभाग सुनिश्चित करना • संस्थान, शिक्षक एवं छात्र मूल्यॉकन के लिये नीति तैयार करना तथा उसके अनुरुप सतत् मूल्यांकन करना • संस्था का NIRF में प्रतिभाग कराना
6	एक्टिविटी क्लब (Activity-Club)	• संस्था में विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित करना तथा संस्था के छात्रों को क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हो रही गतिविधियों में प्रतिभाग करने के लिये प्रेरित करना। • संस्था के छात्रों को सामुदायिक सेवा के लिये प्रेरित करना • सामुदायिक सेवा हेतु वार्षिक कैलेण्डर तैयार करना • संस्थान द्वारा किसी गांव को गोद लेकर उसके विकास में मदद करना • पर्यावरण जागरुकता एवं संरक्षण अभियान चला कर विद्यार्थियों / स्थानीय लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरुक करना • संस्था की वार्षिक ग्रीन आडिट रिपोर्ट तैयार कर उसे वेबसाईट पर प्रदर्शित करना • संस्था के अंदर पर्यावरण संरक्षण (रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अक्षय उर्जा, वर्मीकम्पोस्ट, जल संरक्षण, पेपर री–साईक्लिंग आदि) के उपाय करना • संस्था के विद्यार्थियों के लिये भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करना • विद्यार्थी भ्रमण के लिये विभिन्न सरकारी / गैर–सरकारी योजनाओं से छात्रों को अवगत कराना तथा उसका लाभ लेना

Hani G.O.

7	भारतीय भाषा, संस्कृति एवं कला प्रकोष्ठ (Indian Language, Culture and Arts Cell)	• क्षेत्रीय संस्कृति एवं कला की पहचान कर उन पर कार्यक्रम आयोजित करना • क्षेत्रीय संस्कृति एवं कला को पाठ्यक्रम से जोड़ना • क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय संस्कृति एवं कला महोत्सवों में छात्रों को प्रतिभाग कराना • क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय संस्कृति एवं कला महोत्सव आयोजित करना • भारतीय भाषा विकास क्लब की स्थापना करना तथा इससे विभिन्न भारतीय भाषा जानने वाले शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को जोड़ना • छात्रों को विभिन्न भारतीय भाषाओं को ऑनलाइन/ऑफलाइन माध्यम से सीखने में मदद करना
8	अंर्तराष्ट्रीय छात्र सहायता प्रकोष्ठ (International students Cell)	• अर्न्तराष्ट्रीय छात्रों की सहायता करना • सरकार द्वारा अंर्तराष्ट्रीय छात्रों को दी जा रही सुविधाओं से अवगत कराना • अध्ययन वीजा दिलाने में मदद करना • वेबसाईट पर अंर्तराष्ट्रीय छात्रों के लिये FAQ अपलोड कराना
9	दिव्यॉग सहायता एवं वंचित समूह सहायता योजना प्रचार–प्रसार प्रकोष्ठ Cell for differently abled students and SEDGs	• वंचित समूहों को संस्था की विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभाग करने के लिये प्रेरित करना • वंचित समूहों के लिये हेल्प–डेस्क की स्थापना करना • वंचित समूहों के लिये चल रही योजनाओं से उन्हें अवगत कराना तथा योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में उनकी मदद करना • दिव्यॉगों के लिये हेल्प–डेस्क की स्थापना करना • संस्था में दिव्यॉग आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना • दिव्यॉगों के लिये आवश्यक कार्य कराने हेतु संस्था प्रमुख को अवगत कराना • दिव्यॉगों के लिये चल रही योजनाओं से उन्हें अवगत कराना तथा योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में उनकी मदद करना
10	मेन्टरिंग एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रकोष्ठ (Mentoring and Counselling cell)	• संस्था के छात्रों के लिये मनोवैज्ञानिक परामर्श कार्यशालायें आयोजित करना • मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जूझ रहे छात्रों को मनोवैज्ञानिक मदद देना तथा उनके परिवार को अवगत कराना • प्रत्येक छात्र के लिये प्रवेश के समय एक शिक्षक को मेंन्टर नियुक्त करना • संस्था की मेंन्टर–मेंन्टी पॉलिसी तैयार करना • छात्रों को व्यवसायिक सहायता देना • छात्रों के व्यक्तित्व विकास में मदद करना • छात्रों में जीवन कौशल एवं व्यक्तित्व विकास के लिये कार्यक्रम आयोजित करना

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–308 / सत्तर–3–2021–16(26) / 2011

प्रेषक,

अब्दुल समद
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

1– **निदेशक,**
उच्च शिक्षा
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2– **कुलसचिव**
समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **दिनांकः 25 जनवरी, 2021**

विषयः नई शिक्षा नीति–2020 के अनुरुप अतिरिक्त विषयों के पाठयक्रम तैयार किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नई शिक्षा नीति–2020 के उद्देश्यों के अनुरुप निम्नलिखित स्नातक (Three subject pattern) विषयों (31) एवं अनिवार्य विषयों (6) के पाठयक्रम तैयार कर फीडबैक / सुझावों के लिये उच्च शिक्षा परिषद की बेवसाईट (http://uphed.gov.in/page/council/en/nep-2020) पर उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा शेष पाठ्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं। अधोलिखित सूची में वर्णित विषयों के अतिरिक्त यदि आपके विश्वविद्यालय / सम्बंधित महाविद्यालयों में कोई अन्य विषय (Three subject pattern) संचालित हो रहा है तो उसकी तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर राज्य स्तरीय समिति को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय / सम्बंधित महाविद्यालयों में नई शिक्षा नीति–2020 के अनुरुप न्यूनतम समान साझा पाठयक्रम 01 जुलाई 2021 से सफलतापूर्वक संचालित हो सके :–

विषय जिनके पाठयक्रम तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड कर दिये गये हैं	विषय जिनके पाठयक्रम तैयार किये जा रहे है ।
• ANTHROPOLOGY • DEFENSE AND STRATEGIC STUDIES, /DEFENSE STUDIES, • ECONOMICS , • EDUCATION, • FINE ARTS, • GEOGRAPHY, • HISTORY (ANCIENT INDIAN HISTORY, ARCHAEOLOGY AND CULTURE), • HISTORY (MODERN AND MEDIEVAL), • HOME SCIENCE, • LAW, • PHILOSOPHY, • PHYSICAL EDUCATION, • POLITICAL SCIENCE, • PSYCHOLOGY, • SOCIAL WORK • SOCIOLOGY	• ADVERTISING SALES PROMOTION AND SALES MANAGEMENT, • ARCHAEOLOGY & MUSEOLOGY, • ART, • DRAWING & PAINTING • EARLY CHILDHOOD CARE AND EDUCATION • FOREIGN TRADE, • HUMAN RIGHTS, • JOURNALISM, • LIBRARY & INFORMATION SCIENCE • LOK PRASASHAN, • MAHILA ADDHYAYAN, • MUSIC (SITAR), • MUSIC (TABLA), • MUSIC (VOCAL), • OFFICE MANAGEMENT AND SECRETARIAL PRACTICE, • PERFORMING ART, • VISUAL ART,

• URDU • ENGLISH, • HINDI, • SANSKRIT	• ARABIC, • FRENCH, • GERMAN, • PUNJABI, • RUSSIAN, • SINDHI BHASHA • TIBBATI,
• AGRICULTURE, • BOTANY, • CHEMISTRY, • COMPUTER SCIENCE, • GEOLOGY • MATHEMATICS, • PHYSICS, • STATISTICS, • ZOOLOGY	• BIOTECHNOLOGY • BIOCHEMISTRY • COMPUTER APPLICATION, • COMPUTER SCIENCE, • GENETICS & GENOMIC • ELECTRONICS, • ENVIRONMENTAL SCIENCE, • INDUSTRIAL FORESTRY • INDUSTRIAL MICROBIOLOGY • INFORMATION TECHNOLOGY • INDUSTRIAL CHEMISTRY • INSTRUMENTATION, • MICROBIOLOGY • SEED TECHNOLOGY,
• B.COM	•
• B.ED. (TEACHER EDUCATION)	•
• MANAGEMENT	•

• COMPULSORY SUBJECTS
  • Food and Nutrition
  • Health and Hygiene
  • Physical Education
  • Human values and Environment Studies
  • Analytic Ability and Digital Awareness
  • Communication Skills and Personality Development	

2— उपरोक्त के साथ ही राज्य स्तरीय पाठयक्रम निर्माण समिति ऐन्कर्स द्वारा आपके विश्वविद्यालय / सम्बंधित महाविद्यालयों में संचालित किसी विषय के लिये यदि विषय विशेषज्ञों की मांग की जाती है तो कृपया उसकी सूची उन्हें तत्काल उपलब्ध कराते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

Aneeta Rai G.O. PC-1

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या–401 /सत्तर–3–2022
लखनऊ : दिनाँकः 09 फरवरी, 2022

1– **कुलपति,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2– **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0
प्रयागराज।

प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 लागू किए जाने विषयक शासनादेश संख्या–1567/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 टी.सी., दिनांक 13.07.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें जिसमें उल्लेख किया गया था कि सी.बी.सी.एस. आधारित नवीन पाठ्यक्रम स्नातक स्तर पर शैक्षिक सत्र 2021–22 तथा उच्चतर स्तरों पर शैक्षिक सत्र 2022–23 से लागू होगा। प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम 2021–22 में लागू कर दिए गए हैं।

2– पाठ्यक्रम पुनर्संरचना की राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों मे राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को स्नातक (शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं पी0एच0डी0 स्तर पर लागू किये जाने हेतु सुझाव दिये गये हैं, जिन्हे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय कृपया इन पर विचार करना चाहें तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना करके एवं सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके शैक्षिक सत्र 2022–23 से लागू करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीया,
(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–401(1)/सत्तर–3–2022–तद्दिनॉक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
2– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी उ०प्र०।
3– प्रो0 हरे कृष्ण, सांख्यिकी विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उ०प्र०।
4– डॉ0 दिनेश चन्द्र शर्मा, जन्तु विज्ञान विभाग, कु०मा० कन्या पी०जी० राजकीय महाविद्यालय, बादलपुर, उ०प्र०।

आज्ञा से,
(शमीम अहमद खान)
सचिव।

संलग्नक

उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों मे राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को स्नातक (शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं पी0एच0डी0 स्तर पर लागू किये जाने हेतु सुझाव

उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 लागू किये जाने हेतु उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन ने शासनादेश, संख्या–1567/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 टी0सी0, दिनांक 13 जुलाई 2021 जारी किया था जिसके बिन्दु संख्या–4 में कहा गया था कि स्नातक (शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं पी0एच0डी0 पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू होगा।

इस सम्बन्ध में निम्न सुझाव/योजना प्रस्तुत है :–

क्षेत्र (Scope)-

- जिन संकायों के पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में किसी नियामक संस्था के नियम लागू नहीं होते जैसे कि एम0ए0, एम0एस0सी0 एवं एम0काम0 इत्यादि, उनमें यह व्यवस्था लागू होगी।
- चिकित्सा (Medicine and Dental etc.), तकनीकी शिक्षा (B.Tech, MCA etc.), विधि (बी0ए0–एल0एल0बी0,बी0एस0सी–एल0एल0बी0, एल0एल0बी0, एल0एल0एम0, इत्यादि), शिक्षक शिक्षा (बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड.,एम.पी.एड.) इत्यादि के लिये व्यवस्था का निर्धारण उनकी नियामक संस्थाओं के एन.ई.पी–2020 के अनुरुप नए पाठ्यक्रम व संरचना के आने पर किया जायेगा।

स्नातकोत्तर में प्रवेश व निकास–

- नवीन अथवा पुरातन प्रणाली के तीन वर्षीय स्नातक उपाधि प्राप्त विद्यार्थी स्नातकोत्तर कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेगें। यह वर्ष उच्च शिक्षा का चतुर्थ वर्ष कहलायेगा।
- इस वर्ष मे प्रवेश विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश परीक्षा अथवा मेरिट पर आधारित होगा।
- प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता विश्वविद्यालय के नियमानुसार होगी।
- स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष में न्यूनतम 52 क्रेडिट अर्जित कर उत्तीर्ण करने के पश्चात यदि कोई छात्र छोड़ कर जाना चाहता है तो उसे स्नातक (शोध सहित) की उपाधि दी जायेगी। स्नातकोत्तर प्रथम व द्वितीय वर्ष दोनों में न्यूनतम 52+48 क्रेडिट अर्जित करके उत्तीर्ण करने पर छात्र को उस संकाय के उस मुख्य विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान की जायेगी।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/कार्यक्रम संरचना–

- स्नातकोत्तर कार्यक्रम की संरचना जैसे कि पेपर्स का प्रकार, उनकी संख्या व क्रेडिट इत्यादि, उपरोक्त उल्लेखित 13 जुलाई 2021 के शासनादेश के अंतिम पृष्ठ पर एक तालिका में दी हुई है। सुलभ संदर्भ के लिए यह तालिका इस पत्र के अंत में भी अंकित है।
- स्नातकोत्तर में एक ही मुख्य विषय (Major Subject) होगा।

- स्नातकोत्तर कार्यक्रम सी0बी0सी0एस0 एवं सेमेस्टर प्रणाली में संचालित होगा।
- मुख्य विषय के चार थ्योरी के पेपर (पाँच क्रेडिट का एक) अथवा चार थ्योरी के व एक प्रयोगात्मक पेपर (सभी चार चार क्रेडिट) एक सेमेस्टर में होंगे। इस प्रकार एक सेमेस्टर में मुख्य विषय के पेपर्स के 20 क्रेडिट होंगे। एक वर्ष में 40 व दो वर्ष में 80 क्रेडिट होंगे।
- स्नातकोत्तर कार्यक्रम का पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया जायेगा कि उसमें अधिकाधिक Optional पेपर्स हों।

  जैसे कि प्रथम सेमेस्टर में चारों थ्योरी पेपर्स अनिवार्य हो सकते हैं। द्वितीय व तृतीय सेमेस्टरर्स में एक अथवा दो पेपर specialization पर आधारित optional पेपर्स में से विद्यार्थी अपनी रूचि के अनुसार एवं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर इन पेपर्स का चुनाव कर सकता है। चतुर्थ सेमेस्टर में अधिकाधिक अथवा सभी पेपर्स specialization पर आधारित optional पेपर्स होना समुचित रहेगा।
- स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में छात्र को केवल एक माइनर इलेक्टिव पेपर, मुख्य विषय से अलग किसी अन्य संकाय के विषय का लेना होगा। यह पेपर 4 या अधिक क्रेडिट का होगा।
- उपरोक्त सभी पेपर्स के पाठ्यक्रम (Syllabus) विश्वविद्यालय द्वारा अपनी पाठ्यक्रम समिति (Board of Studies) एवं विद्वत परिषद (Academic Council) से शीघ्र ही अनुमोदित करायें जायेगें।

<u>स्नातकोत्तर कार्यक्रम में शोध परियोजना</u> (Research Project)

- उच्च शिक्षा के चतुर्थ एवं पंचम वर्ष (स्नातकोत्तर के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष) में विद्यार्थी को वृहद शोध परियोजना करनी होगी।
- विद्यार्थी को चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में उसके द्वारा चुने गये मुख्य विषय से सम्बंधित शोध परियोजना करनी होगी।
- यह शोध परियोजना interdisciplinary/ multi-disciplinary भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इन्डसट्रियल ट्रेनिंग/इर्न्टरनशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।
- शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को–सुपरवाईजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है।
- स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट (चार घंटे प्रति सप्ताह) की शोध परियोजना करनी होगी।
- विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Project Report/ Dissertation) जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा। इस प्रकार इस परीक्षा के कुल 8 क्रेडिट होंगे।
- यदि कोई विद्यार्थी अपनी इस शोध परियोजना में से कोई शोध पत्र UGC-CARE listed जर्नल में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के दौरान प्रकाशित करवाता है, तो उसे शोध परियोजना के मूल्यॉकन (पूर्णाक 100 में से) में 25 अंक तक अतिरिक्त अंक दिये जा सकते हैं । प्राप्तांक अधिकतम 100 ही होंगे ।
- शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा।

क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण

- क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण तथा उपस्थिति आदि के नियम उपरोक्त उल्लेखित 13 जुलाई 2021 के शासनादेश के बिन्दु संख्या 9 व 10 में दिये गये हैं।

पी0एच0डी0 कार्यक्रम

- पी0एच0डी0 कार्यक्रम में प्रवेश एवं संचालन के नियम व अध्यादेश विश्वविद्यालय द्वारा यू0जी0सी0 के दिशा निर्देशों के अनुसार बनाये जाते हैं।
- इसमें शोध परियोजना से पहले प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क करना अनिवार्य होता है।
- सभी विश्वविद्यालयों में प्री0–पी0एच0डी0 कोर्स की संरचना में एकरूपता लाने के लिए इस कोर्स वर्क में दो पेपर मुख्य विषय के 6–6 क्रेडिट के होंगे तथा एक पेपर 4 क्रेडिट का उस मुख्य विषय से सम्बन्धित Research Methodology (including research ethics, plagiarism and computer applications) का होगा।
- उपरोक्त 16 क्रेडिट के तीन पेपर्स के पाठ्यक्रम (Syllabus) विश्वविद्यालय अपनी पाठ्यक्रम समिति (Board of Studies) एवं विद्वत परिषद (Academic Council) से शीघ्र ही अनुमोदित करायें जायेगें।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमावली–2016 (UGC Regulation 2016) के बिन्दु संख्या 7.8 के अनुरूप प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क के न्यूनतम उत्तीर्ण अंक (Minimum Passing marks) 55% अथवा समकक्ष ग्रेड / CGPA होगें।
- उपरोक्त थ्योरी पेपर्स के अतिरिक्त, प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क में एक शोध परियोजना भी होगी, जिसका स्वरूप विश्वविद्यालय की BOS व Academic Council निर्धारित करेगी।
- प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क में 16 क्रेडिट अर्जित करके उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी को उस मुख्य विषय में Post Graduate Diploma in Research (PGDR) दिया जायेगा।
- प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क उत्तीर्ण करने के पश्चात विद्यार्थी को पी0एच0डी0 में शोध के लिए पंजीकृत किया जायेगा।
- उत्तर प्रदेश शासन ने शासनादेश, संख्या–69 / सत्तर–1–2022 दिनांक 06–01–2021 के अनुसार सेवारत शिक्षकों के लिये प्री.पी.एच.डी. कोर्स वर्क को पूर्ण करने हेतु भौतिक कक्षाओं के साथ–साथ आनलाईन प्रक्रिया को भी मान्यता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालयों से कार्यवही करने को कहा है । इस सम्बंध में विश्वविद्यालय सेवारत शिक्षकों के लिये आनलाईन कोर्स वर्क का प्रारुप व नियम बना सकते हैं ।

Table - Year-wise Structure of UG/PG Programs

Blue Colour: No. of papers **Red colour: Credits** **Purple colour: Non-Credit Qualifying Courses**

		Subject I	Subject II	Subject III	Subject IV	Vocational	Co-Curricular	Industrial Training/ Survey / **Research Project**	**{ Minimum Credits}** For the year	**{Cummulative Minimum Credits}** Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree
		Major 4/5/6 Credits	Major 4/5/6 Credits	Major 4/5/6 Credits	Minor Elective 4/5/6 Credits	Minor 3 Credits	Minor 2 Credits	Major 4 Credits		
Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Own/ Other Faculty	Other Faculty	Vocational/ Skill Development Course	Co-Curricular Course (Qualifying)	Inter/Intra Faculty related to main Subject		
1	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		46	{46} Certificate in Faculty
	II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
2	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		46	{92} Diploma in Faculty
	IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
3	V	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)	40	{132} Bachelor in Faculty
	VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)		
4	VII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)			1 (4/5/6)			1 (4)	52	{184} Bachelor (Research) in Faculty
	VIII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
5	IX	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)	48	{232} Master in Faculty
	X	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
6	XI	Th-2 (6)	Th-1(4) Research Methodology					1 (Qualifying)	16	{248} PGDR in Subject
6,7,8	XII-XVI							Ph. D. Thesis		Ph.D. in Subject

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उ0 प्र0
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
प्रयागराज।

सेवा में,

1–कुलसचिव
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2–समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

3–समस्त प्राचार्य/प्राचार्या,
राजकीय/सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः डिग्री विकास / **1951–2015** / 2020–21 दिनांक 25 / 03 / 2021

विषयः–उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के मध्य MoU के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–602/सत्तर–3–2021–08(35)/2020 दिनांक 22 फरवरी 2021 का संदर्भ लें, जो उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के मध्य MoU के सम्बन्ध में है।

उक्त के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 22 फरवरी 2021 में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय

डॉ0 (हिरेन्द्र प्रताप सिंह)
संयुक्त निदेशक (उच्च शिक्षा)
कृते–शिक्षा निदेशक (उ0 शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृ0 सं0ः–डिग्री विकास/ /2020–21 उसी तिथि को

प्रतिलिपिः विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3 उ0 प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

डॉ0 (हिरेन्द्र प्रताप सिंह)
संयुक्त निदेशक (उच्च शिक्षा)
कृते–शिक्षा निदेशक (उ0 शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

Email संख्या– 602/सत्तर–3–2021–08(35)/2020

2021
XXVII
2764
01

प्रेषक,

मोनिका एस.गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलपति,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

4. निदेशक,
उद्योग, उ0प्र0
कानपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 22 फरवरी, 2021

विषयः–उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के मध्य **MoU** के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 03.02.2021 को उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के मध्य MoU हस्ताक्षरित हुआ है।उक्त हस्ताक्षरित MoU की छायाप्रति संलग्न की जा रही है। अवगत कराना है कि इससे उद्योग एवं विश्वविद्यालय के साथ–साथ कार्य करते हुये प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक विकास में व्यापक योगदान दे सकते हैं। विश्वविद्यालयों द्वारा किया जा रहा शोध एवं अनुसंधान औद्योगिक क्षेत्र के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। उद्योग स्थानीय एवं वैश्विक दोनो स्तरों पर प्रतिस्पर्धात्मक बने रहने के लिए अपनी R&D समस्याओं को हल करने के लिए शिक्षा जगत की ओर देखते हैं जिसमें यह MoU लाभप्रद साबित हो सकता है।

AC–II

आयुक्त

2– सहयोग के लिए क्षेत्र

उत्तर प्रदेश राज्य में हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी, ODOP और MSME क्षेत्र के अन्य उत्पादों के डिजाइन, प्रौद्योगिकी, विपणन और वित्तीय प्रबंधन आदि में सुधार लाने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा विभाग और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग करेंगेः–

डा0 रमेश कुमार
...आयुक्त, प्रयागराज

श्री संतोष

- i- इकाइयों में छात्रों के लिए इंटर्नशिप
- ii- इकाइयों में छात्रों के लिए शोध प्रबंध
- iii- संयुक्त परियोजनाएं
- iv. संयुक्त अनुसंधान
- v- संयुक्त प्रकाशन
- vi. संयुक्त सेमिनार और सम्मेलनों का आयोजन
- vii- कोई भी सहयोगी प्रयास जो समय–समय पर वांछित होंगे।

A.C.(I)
25-02-21

3– उक्त MoU के कम में उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश DoHE एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (DoMSME) विभाग, उ0प्र0 द्वारा की जाने वाली कार्यवाही निम्नवत हैः–

DoHE द्वारा की जाने वाली कार्यवाही:–

i. DoHE अपने दायरे में आने वाले HEIs को जिलेवार मैप करेगा तथा उसकी सूचना जिलाधिकारी एवं उद्योग विभाग के अधिकारियों को उपलबध करायेगा।
ii. Deputy Commissioner, District Industries and Enterprise Promotion Centre (DCI DIEPC) के परामर्श से MSME इकाइयों में उपरोक्त संस्थानों के छात्रों की इंटर्नशिप होगी।
iii. उच्च शिक्षा संस्थान MSME उत्पादों की मार्केटिंग, ब्रांडिंग, उद्योग इको–सिस्टम में सुधार करने के लिए अपने छात्रों की इंटर्नशिप शुरू करेंगे।
iv. स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के छात्रों को अपने पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में एक परियोजना को पूरा करना होगा। संस्थान इन छात्रों को MSME उत्पादों पर आधारित परियोजनाओं के बारे में सुझाव प्रदान करेंगे।
v. विश्वविद्यालयों द्वारा वार्षिक हैकथॉन का आयोजन किया जाएगा। हैकथॉन का प्राथमिक उद्देश्य एमएसएमई, हथकरघा, हस्तशिल्प और खादी इकाइयों से संबंधित विशिष्ट समस्याओं को हल करना होगा।
vi. DoHE कारीगरों, शिल्पकारों और क्षेत्र से जुड़े अन्य लोगों के क्षमता निर्माण के लिए अल्पकालिक/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के निर्माण की व्यवहार्यता का अध्ययन करेगा।
vii. DoHE विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाले छात्रों को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करेगा और MSME के माध्यम से उत्तरप्रदेश के विकास में सहयोग करेगा।
viii. उच्चशिक्षा विभाग ODOP और अन्य हस्तशिल्प/हथकरघा/खादी उत्पादों के माध्यम से उत्तरप्रदेश की संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देगा और इस प्रकार वोकल–लोकल–ग्लोबल अवधारणा पर इन उत्पादों की बाजार क्षमता में सुधार करेगा।
ix. विश्वविद्यालय उद्योग संगठनों और प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ सम्बन्ध स्थापित कर के उनके CSR Fund के उपयोग से क्षेत्र में नवाचार के लिए सहयोग करेंगे।
x. DoHE राज्य के HEIs द्वारा प्रस्तुत ODOP संबंधित 'उत्कृष्टताकेंद्र' के प्रस्तावों को उद्योग कार्यालय को प्रेषित करेगा जो मानदंडों के अनुसार उनकी व्यवहार्यता के लिए इन प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगा।
xi. प्रत्येक मैप किए गए संस्थान/कॉलेज द्वारा नामित समन्वयक स्थानीय मुद्दों को समझने के लिए संबंधित DCI DIEPC के साथ नियमित बैठकें करेंगे।
xii. विश्वविद्यालय/संस्थान DoMSME द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्याख्यान देकर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

DoMSME द्वारा की जाने वाली कार्यवाही:–

i. DoMSME हथकरघा, हस्तकला, खादी, ODOP और अन्य MSME इकाइयों का जिलेवार मैप तैयार करेगा तथा उसकी सूचना जिलाधिकारी एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारियों को उपलब्ध करायेगा।
ii. DoMSME अनुसंधान, इंटर्नशिप और छात्रों की परियोजनाओं के लिए अपने DCI DIEPC के माध्यम से उत्तर प्रदेश में मौजूद इकाइयों के साथ DoHE के तहत संस्थानों को जोड़ने में मदद करेगा।

iii. DCI DIEPC / DoMSME विश्वविद्यालयों में हैकथॉन के संचालन के लिए सेक्टर–विशिष्ट मुद्दों को प्रस्तुत करेगा।

iv. DoMSME / DCI DIEPC नवाचार को बढ़ावा देने हेतु छात्रों की इंटर्नशिप के लिए सलाह देगा।

v. DCI DIEPC/ DoMSME विश्वविद्यालयों और इसके कॉलेजों को FDP / प्रशिक्षण / कार्यशालाओं / बैठकों / आयोजनों को करने के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करेगा।

vi. DoMSME क्षेत्र की मांग के अनुसार नए शैक्षणिक कार्यक्रमों के विकास में योगदान करेगा।

vii. DoMSME इकाइयों की समस्याओं से संबंधित स्टार्ट–अप के पोषण और MSME उत्पादों से संबंधित प्रयोगशालाओं और ऊष्मायन केंद्रों की स्थापना के लिए दिशानिर्देश तैयार करने में HEIs को सलाह देगा।

4. विश्वविद्यालयों से अपेक्षा है कि वे स्थानीय स्तर पर MSME के अधिकारियों से समन्वय करके उपरोक्तानुसार प्रभावी कार्यवाही हेतु कार्ययोजना तैयार करके अपने सम्बद्व महाविद्यालयों को उपलब्ध करायें तथा कृपया उसकी सूचना शासन को भी प्रेषित करें।

अनुरोध है कि उक्त MoU के कम में आवश्यक कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया,

(मोनिका एस.गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 602 (1)/ सत्तर–3–2021, तद्दिनांक

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा0 उपमुख्यमंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 सरकार।
2– निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 सरकार।
3– अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6– कुलसचिव, समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
7– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

NMN G.O.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

This Memorandum of Understanding is made on 03rd Feb 2021, at Lucknow, Uttar Pradesh.

BETWEEN

Department of Higher Education Govt. of Uttar Pradesh (hereinafter referred to as "DoHE") through Smt Monika S.Garg, Additional Chief Secretary, DoHE

AND

MSME& Export Promotion Department, Govt. of Uttar Pradesh *(hereinafter referred to as* "DoMSME") through Shri Navneet Sehgal, Additional Chief Secretary, DoMSME

DoHE and DoMSME are herein after collectively referred to as "Parties" and individually as "Party" "1st party" and "2nd Party" respectively.

WHEREAS through this MoU, DoHE and DoMSME would like to reach out to handloom weavers, handicraft artisans, khadi, ODOP and other MSME units of Uttar Pradesh (collectively referred to as the 'units' hereinafter), through various means, to address design, technical, managerial and capacity building and marketing requirements for their businesses.

NOW, THEREFORE, THIS MoU WITNESSES as below:

I. <u>ROLES AND RESPONSIBILITIES</u>:

A) Broad Areas for Cooperation

DoHE and DoMSME will cooperate in the following areas; with the objective of improving design, technology, marketing and financial management of products and units of

handloom, handicraft, khadi and MSME sector in the state of Uttar Pradesh (collectively referred to as the 'sector' hereinafter)

i. Internship for students in the units
ii. Dissertation projects for students in the units
iii. Joint projects in the sector
iv. Joint research in the sector
v. Joint publications
vi. Organising of joint seminars and conferences
vii. Any collaborative efforts that both may deem fit from time to time.

B) DoHE

1. DoHE will map colleges, State and Private universities under its ambit, district-wise.

2. The above institutes will have internship of their students in above units which will be arranged in the local industries by concerned Deputy Commissioner, District Industries & Enterprise Promotion Centre (DCI DIEPC) in consultation with the local industry representatives.

3. Institutes will initiate internship of their students to improve marketing linkage, branding, industry eco-system of their products.

4. The students doing graduate/post graduate courses need to complete a project as part of their curriculum. Institutes will endeavour to suggest/provide above products-based projects to these students.

5. A yearly hackathon will be organized by universities which will be open to all affiliated colleges and other institutes in that region. The primary purpose of the hackathon shall be to solve specific issues related to MSMEs, handloom, handicraft and khadi units.

6. DoHE will study the feasibility of creation of short-term /vocational/ bridge courses for capacity building of artisans, craftsman and others associated with the sector.

7. DoHE will motivate students graduating from the university for becoming entrepreneurs and lead Uttar Pradesh's manufacturing growth story through MSME lens.

8. DoHE will innovatively use and connect the culture and heritage of Uttar Pradesh with age-old lineage of ODOP and other handicraft/handlooms/khadi products, thus promoting Vocal-Local-Global concept and thus, improving marketability of these products.

9. Universities will forge collaborations with Industries associations and reputed companies for usage of their CSR funds to drive innovations in the sector's ecosystem through university's affiliated institutes.

10. DoHE will forward the proposals submitted by State Universities for creation of 'Centre of Excellence' for these products to Deputy Commissioner, District Industries & Enterprise Promotion Centre (DCI DIEPC) will evaluate these proposals for their feasibility and support as per norms.

11. A coordinator from each mapped institute/college will have regular meetings with respective Deputy Commissioner, District Industries & Enterprise Promotion Centre (DCI DIEPC) to understand the local issues of the sector.

12. Universities will provide technical guidance by giving lectures to the participants of training programs organized by DoMSME.

C) DoMSME

1. DoMSME will map the handloom, handicraft, khadi ODOP and other MSME units, district-wise.

2. DoMSME will help in connecting the institutes under DoHE with the units present in Uttar Pradesh through their Deputy Commissioner, District Industries & Enterprise Promotion Centre (DCI DIEPC) for research, internship and projects of students.

3. Deputy Commissioner, District Industries & Enterprise Promotion Centre (DCI DIEPC) /DoMSME will submit sector-specific issues to universities for conducting hackathon.

4. DoMSME/ Deputy Commissioner, District Industries & Enterprise Promotion Centre (DCI DIEPC) will advise problem statements for internship of students to foster innovation.

5. DoMSME will provide infrastructure (Deputy Commissioner, District Industries & Enterprise Promotion Centre (DCI DIEPC) offices can be utilised for the purpose) to carry out FDPs/ trainings/ orientation workshops/ meetings/ events, to these sector to DoHE and its colleges.

6. DoMSME will facilitate in the development of new academic programmes as per the demand of the sector.

7. DoMSME will advise HEIs in nurturing start- ups specifically pertaining to problems of the units in Uttar Pradesh and in framing the guidelines for setting up labs and incubation centres related to MSME products.

II. PROJECT TIMELINE

This MoU will commence from January, 2021 and will continue till December, 2026, unless any party wants to terminate this MOU by giving notice to the other party as per provisions of Article V of this MOU.

III. OPERATIONS AND CO-ORDINATIONS

1. DoMSME and DoHE will have periodic meetings to review progress of the MoU implementation.

2. DoMSME and DoHE will mutually acknowledge the contribution of each other, wherever possible, on their website and media platforms including print, TV and digital media.

3. Any amendment in this MoU will be made in writing by mutual consent of both the parties.

IV. FORCE MAJEURE

1. For the purpose of this MoU, 'force majeure" means an event which is beyond the reasonable control of a Party, either DoMSME or DoHE and which makes a party's performance regarding its obligations hereunder impossible or so impracticable as reasonably to be considered impossible in the circumstances and include, but is not limited to war, riots, civil disorder, earthquakes, fire, explosions, storm, flood, and other adverse weather conditions, strikes, lock-outs, or other similar actions, political uncertainties, change in priorities in the National and State missions, which is not within the power of the Party invoking "force majeure" to prevent any other action by the other Party.

2. If any Party finds itself incapable to perform its duty due to force majeure, it will give notice to other Party that force majeure event has arisen.

3. The failure of any Party, either the DoMSME or DoHE, to fulfil any of its obligations hereunder shall not be considered to be the breach of or default under this MoU in so far as such inability arises from an event of force majeure, provided that the Party affected by such event should take all reasonable precautions and due care for reasonably carrying out the terms and conditions of this MoU.
4. In the event of a force majeure, DoMSME and DoHE shall consult with each other with a view to agreeing on appropriate measures to be taken under the circumstances.

2810 / क्षे०/शिक्षा/2021
28/2/2021

V. TERMINATION

This MoU can be terminated by either side with a written notice of 60 days, giving adequate reason.

VI. DISPUTES AND ARBITRATION

Any dispute between DoHE and DoMSME on any matter that has relevance to the smooth and effective implementation of the MoU shall be settled through mutual discussion.

IN WITNESS WHEREOF the Parties hereto have signed this MoU on the day and year first above written.

For and on behalf of DoMSME

(Navneet Sehgal)
Additional Chief Secretary,
Department of MSME & Export Promotion,
Govt. of Uttar Pradesh

For and on behalf of DoHE

3/2/21
(Monika S Garg)
Additional Chief Secretary,
Department of Higher Education,
Govt. of Uttar Pradesh

3.2.21
Witness 1
Name: (PRADEEP KUMAR)
Designation: Special Secretary
DoMSME

Signature:

Witness 2 ABDUL SAMAD
Name:
Designation: Special Secretary
DoHE

Signature:

7. DoMSME will advise HEIs in nurturing start- ups specifically pertaining to problems of the units in Uttar Pradesh and in framing the guidelines for setting up labs and incubation centres related to MSME products.

II. PROJECT TIMELINE

This MoU will commence from January, 2021 and will continue till December, 2026, unless any party wants to terminate this MOU by giving notice to the other party as per provisions of Article V of this MOU.

III. OPERATIONS AND CO-ORDINATIONS

1. DoMSME and DoHE will have periodic meetings to review progress of the MoU implementation.
2. DoMSME and DoHE will mutually acknowledge the contribution of each other, wherever possible, on their website and media platforms including print, TV and digital media.
3. Any amendment in this MoU will be made in writing by mutual consent of both the parties.

IV. FORCE MAJEURE

1. For the purpose of this MoU, 'force majeure" means an event which is beyond the reasonable control of a Party, either DoMSME or DoHE and which makes a party's performance regarding its obligations hereunder impossible or so impracticable as reasonably to be considered impossible in the circumstances and include, but is not limited to war, riots, civil disorder, earthquakes, fire, explosions, storm, flood, and other adverse weather conditions, strikes, lock-outs, or other similar actions, political uncertainties, change in priorities in the National and State missions, which is not within the power of the Party invoking "force majeure" to prevent any other action by the other Party.

2. If any Party finds itself incapable to perform its duty due to force majeure, it will give notice to other Party that force majeure event has arisen.

3. The failure of any Party, either the DoMSME or DoHE, to fulfil any of its obligations hereunder shall not be considered to be the breach of or default under this MoU in so far as such inability arises from an event of force majeure, provided that the Party affected by such event should take all reasonable precautions and due care for reasonably carrying out the terms and conditions of this MoU.
4. In the event of a force majeure, DoMSME and DoHE shall consult with each other with a view to agreeing on appropriate measures to be taken under the circumstances.

D–2 (Digital Nodal Centres)
संख्या–660/सत्तर–3–2023–08(21)/2022

प्रेषक,

डा0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा उ0प्र0
प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 02 मार्च, 2023**

विषय :राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा निर्धारित 18 Actionable points के बिन्दु संख्या D-2 (Digital Nodal Centres) के अनुरुप आनलाईन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये Digital Nodal Centres स्थापित किये जाने के सम्बंध में ।

महोदय,

अवगत कराना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा निर्धारित 18 Actionable points के बिन्दु संख्या D-2 (Digital Nodal Centres) के अनुरुप आनलाईन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश स्थित उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में Digital Nodal Centres स्थापित किये जाने हैं, जिससे विद्यार्थियों द्वारा सुगमता से यू.जी.सी. नियमानुसार मान्यता प्राप्त संस्थानों/SWAYAM/NEPTEL/NIELIT/vLab आदि के आनलाईन कोर्स/पेपर का अध्ययन कर नियमानुसार क्रेडिट का लाभ प्राप्त किया जा सके।

2– इस सम्बन्ध में कृपया अपने से सम्बन्धित उच्च शिक्षण संस्थान में Digital Nodal Centres स्थापित किये जाने हेतु एक **नोडल अधिकारी–आनलाईन शिक्षा** नामित करने का कष्ट करें तथा अपने क्षेत्राअर्न्तगत आने वाले समस्त महाविद्यालयों को भी उक्त के लिये नोडल अधिकारी नामित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। उक्त नोडल अधिकारी सम्बन्धित उच्च शिक्षण संस्थान में आनलाईन क्रेडिट हस्तानांतरण हेतु राज्य नीति के अनुरूप विद्यार्थियों के आनलाईन क्रेडिट हस्तानांतरण को सुनिश्चित करायेंगे।

उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत नोडल अधिकारी आनलाईन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में आनलाईन जागरुकता अभियान चला कर विद्यार्थियों को आनलाईन कोर्स/पेपर एवं क्रेडिट हस्तानांतरण के सम्बंध में जानकारी उपलब्ध करायेंगे।

3– कृपया उपरोक्तानुसार नामित विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के नोडल अधिकारी–आनलाईन शिक्षा का विवरण (Excel sheet- Name, Contact number, email id, Designation, HEI name) प्रो. दिनेश चन्द्र शर्मा, नोडल अधिकारी–आनलाईन शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग को ईमेल (dr_dineshsharma@hotmail-com) पर एक सप्ताह में प्रेषित कर इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
02/3/23
(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

Mahi G.O

संख्या– 660 (1)/सत्तर–3–2023–तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

2– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार वांछित सूचनायें संकलित करते हुए समेकित सूचना उच्च शिक्षा अनुभाग–3 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

4– प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा, कु0 मायावती राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–4362/सत्तर–3–2022–08(21)/2022, दिनांक 29.12.2022 के कम में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)

विशेष सचिव।

Nikhil C.O.

IC-2 Alumni connect office and portal

संख्या–673/सत्तर–3–2023–09(03)/2023

प्रेषक,

डा0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा उ0प्र0
प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 06 मार्च, 2023**

विषय : प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में Alumni connect office and portal की स्थापना एवं एल्यूमनायी ऐशोसिएशन को पंजीकृत कराये जाने के सम्बंध में ।

महोदय,

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 एवं नॉक मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश स्थित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में Alumni connect office and portal बनाये जाने एवं एल्यूमनायी ऐशोसिएशन को पंजीकृत कराये जाने की आवश्यकता है।

2– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 कियान्वयन के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा चिन्हित 18 कियान्वयन के बिन्दुओं के सम्बन्ध में दिनांक 20.12.2022 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बिन्दु संख्या IC-2 Alumni connect office and portal के सम्बन्ध में प्राप्त सुझावों के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एल्यूमनायी एसोसिएशन को वित्तीय मदद के लिये उच्च शिक्षण संस्थानों के पास कॉशनमनी की वह धनराशि जिसे विद्यार्थी तीन वर्ष पश्चात् वापिस नहीं लेते हैं, को एल्यूमनायी एसोसिएशन के खाते में हस्तांतरण कर Alumni connect office and portal बनाने एवं एल्यूमनायी एसोसिएशन के विभिन्न कार्यों के लिये किया जा सकता है।

उक्त के सम्बन्ध में कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय अपनी आख्या दो सप्ताह में निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज को उपलब्ध करायें तथा निदेशक, उच्च शिक्षा संकलित रिपोर्ट के साथ अपनी आख्या एक माह में शासन को प्रस्तुत करें।

3– उक्त के अतिरिक्त समस्त उच्च शिक्षण संस्थाओं में **एल्यूमनायी ऐशोसिएशन** का नियमानुसार पंजीकरण सुनिश्चित कराते हुए उसकी रिपोर्ट अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ एवं शासन को एक माह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

MMM G.O.

संख्या–673 (1)/सत्तर–3–2023–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

2– निजी सचिव, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा उ0प्र0 शासन।

3– समस्त उप सचिव/अनु सचिव/अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

4– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

5– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि एल्यूमनायी ऐशोसिएशन के पंजीकरण विषयक सूचना समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय से प्राप्त करते हुए समेकित सूचना एक माह में शासन को उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)

विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या–744/सत्तर–3–2022
लखनऊ दिनांकः 16 मार्च, 2022

1– कुलपति,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2– निदेशक,
उच्च शिक्षा उ0प्र0,
प्रयागराज।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्य–चर्चा और शिक्षा–विधि छात्रों में मौलिक और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव एवं बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करें। छात्रों में भारतीय होने का गर्व विचार में ही नहीं बल्कि व्यवहार, ज्ञान, कौशल एवं मूल्यों में भी होना चाहिए।

2– उपरोक्तानुसार उद्देश्य की पूर्ति हेतु शासन के विभिन्न पत्रों के माध्यम से अपेक्षा की गयी है कि विश्वविद्यालयों द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना करके स्नातक, स्नातक (शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं पी0एच0डी0 स्तर पर लागू किया जाय। तद्नुसार कृपया महापुरूषों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जीवन गाथाओं को पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करने हेतु यथोचित कार्यवाही शीघ्र करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(मोनिका एस.गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः–744(1)/सत्तर–3–2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
(2) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
(3) प्रो0 हरे कृष्ण, सांख्यिकी विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उ0प्र0।
(4) प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा, जन्तु विज्ञान विभाग, कु0मा0कन्या पी0जी0 राजकीय महाविद्यालय, बादलपुर, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

जारी/श्री रविन्द्र सिंह
20.3.2023

जारी
20/03/2023

D1- ODL and Online Programmes

संख्या–793/सत्तर–3–2023–08(21)/2023

प्रेषक,

डा0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **कुलसचिव,**
उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त
विश्वविद्यालय, प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट,
आगरा।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 20 मार्च, 2023**

विषय : राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों हेतु ODL पाठ्यक्रम के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अन्तर्गत प्रदेश में स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विधार्थी ODL पाठ्यक्रम के द्वारा भी अपने कोर्स को पूर्ण करने के लिये क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज एवं दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट, आगरा द्वारा संचालित पाठ्यक्रम/कोर्स की राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अर्न्तगत प्रदेश में बनाये गये न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के अनुरुप पुर्नसंरचना (Restructuring) एवं मैपिंग की आवश्यकता है जिससे विद्यार्थी अपने कोर्स को पूर्ण करने के लिये ODL पाठ्यक्रम/कोर्स का भी प्रयोग कर सकें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप एक समिति बनाकर अपने से सम्बन्धित उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित ODL पाठ्यक्रम/कोर्स की राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अर्न्तगत प्रदेश में बनाये गये न्यूनतम समान पाठ्यक्रम से मैपिंग (क्रेडिट सहित) कर उसकी सूची एक माह के अंदर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3– उक्त के अतिरिक्त उ0प्र0 में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में वर्णित क्रेडिट व्यवस्था के अर्न्तगत विद्यार्थियों के लिये उपयोगी अन्य (Minor, Skill) पाठ्यक्रम/कोर्स की सूची भी एक माह के अंदर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

RPS GO

संख्या–793 (1)/सत्तर–3–2023–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलपति, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ0प्र0।

2– कुलपति, दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट, आगरा, उ0प्र0।

3– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

4– निजी सचिव, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

5– निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज।

6– समस्त उप सचिव/अनु सचिव/अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

7– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे समस्त सम्बन्धितों से समन्वय करते हुए उपरोक्तानुसार कार्यवाही की सूचना संकलित करते हुए समेकित रिपोर्ट शासन को एक माह में उपलब्ध करायेंगे।

8– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

8
17.3.2023

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

RPS GO

संख्या–1032 /सत्तर–3–2022–08(35)/2020

प्रेषक,

मोनिका एस.गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **कुलपति,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

2. **निदेशक**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 20 अप्रैल, 2022**

विषयः– स्नातक पाठ्यक्रमों में ग्रेडिंग प्रणाली लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत हैं कि प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2021–22 में लागू कर दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1567/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 टी.सी., दिनांक 13.07.2021 द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– उक्त के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी विश्वविद्यालयों में समान व्यवस्था तथा विद्यार्थियों का एक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में ABACUS-UP के द्वारा स्थानान्तरण किये जाने के दृष्टिगत स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यू0जी0सी0 के दिशा निर्देशों पर आधारित NEP-2020 के अन्तर्गत बी0ए0, बी0एस0सी0 एवं बी0कॉम0 के प्रथम तीन वर्ष हेतु **ग्रेडिंग प्रणाली** लागू किये जाने के सम्बन्ध में सुझाव दिये गये हैं, जिन्हे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय कृपया इन पर विचार करना चाहें तथा सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके NEP-2020 के अन्तर्गत बी0ए0, बी0एस0सी0 एवं बी0कॉम0 के प्रथम तीन वर्ष हेतु ग्रेडिंग प्रणाली लागू करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीया,

(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–1032/सत्तर–3–2022–तद्दिनॉकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

2– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी उ०प्र०।

3– प्रो0 हरे कृष्ण, सांख्यिकी विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ, उ०प्र०।

4– डॉ0 दिनेश चन्द्र शर्मा, जन्तु विज्ञान विभाग, कु०मा० कन्या पी०जी० राजकीय महाविद्यालय, बादलपुर, उ०प्र०।

आज्ञा से,

(शमीम अहमद खान)
सचिव।

NEP-2020 के अंतर्गत बी0ए0, बी0एस0सी0 एवं बी0काम0 के प्रथम तीन वर्ष हेतु ग्रेडिंग प्रणाली के सम्बन्ध में सुझाव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, स्नातक स्तर पर सत्र 2021–22 से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों /महाविद्यालयों में लागू की गई है। इस हेतु शासनादेश संख्या 1567/ सत्तर-3-2021-16 (26)-2011 टी.सी. दिनांक 13 जुलाई 2021 के संदर्भ में सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक ग्रेडिंग प्रणाली की आवश्यकता है, जिससे सभी विश्वविद्यालयों में समान व्यवस्था हो तथा विद्यार्थी का एक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में ABACUS-UP के द्वारा स्थानांतरण किया जा सके। अतः स्टीयरिंग कमेटी द्वारा प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू किये जाने की संस्तुति की गयी है, जो यूजीसी के दिशा निर्देशो पर आधारित है।

तलिका–1 (Table-1)

लेटर ग्रेड	विवरण	अंको की सीमा	ग्रेड पॉइंट
O	Outstanding	91-100	10
A^+	Excellent	81-90	9
A	Very good	71-80	8
B^+	Good	61-70	7
B	Above Average	51-60	6
C	Average	41-50	5
P	Pass	33-40	4
F	Fail	0-32	0
AB	Absent	Absent	0
Q	Qualified		
NQ	Not Qualified		

2. उत्तीर्ण प्रतिशत

2.1 Qualifying पेपर्स में Qualified के लिए Q ग्रेड तथा Not Qualified के लिए NQ ग्रेड दिया जायेगा।

2.2 उपरोक्त तालिका में मुख्य एवं माइनर विषयों का प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) Credit course है तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत अब तक प्रचलित 33 प्रतिशत ही होगा।

2.3 छः सह–पाठ्यक्रम कोर्स (co-curricular courses) तथा तृतीय वर्ष में लघु शोध (Minor project) Qualifying हैं तथा इनके उत्तीर्णांक 40% होगें।

2.4 चार कौशल विकास कोर्स (Skill development/ Vocational courses) भी Credit course हैं तथा इनके उत्तीर्णांक भी 40% ही होगें। शासनादेश संख्या 2058/सत्तर-3-2021-08(33)-2020 टी.सी. दिनांक 26 अगस्त 2021 में प्रदान की गई व्यवस्था के अनुक्रम में कौशल

विकास/रोजगार परक कोर्स/पेपर का मूल्यांकन कुल पूर्णांक 100 में से होगा, जिनमें से प्रशिक्षण/ट्रेनिंग/ प्रैक्टिकल आधारित कार्य का मूल्यांकन 60 अंकों में से होगा तथा सैद्धांतिक (Theory) आधारित कार्य का मूल्यांकन 40 अंकों में से होगा। कौशल विकास कोर्स/पेपर में कुल पूर्णांक 100 में से न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 होंगे । प्रशिक्षण/ट्रेनिंग एवं सैद्धांतिक (Theory) में अलग–अलग कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे ।

2.5 सभी विषयों के मुख्य/माइनर/सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी।

2.6 मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे।

2.7 सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 30 अंक (75 का 40 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने होंगे।

2.8 किसी भी कोर्स/पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व बाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 (मुख्य एवं माइनर विषयों में) अथवा 40 (सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों में) प्रतिशत अंक मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा। आन्तरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेगें।

2.9 किसी भी प्रकार के कृपांक **(Grace marks)** नहीं दिये जायेगें।

3. कक्षोन्नति (Promotion)

3.1 विद्यार्थी को वर्तमान विषम (Odd) सेमेस्टर से अगले सम (Even) सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर का परिणाम कुछ भी हो।

3.2 वर्तमान सम सेमेस्टर से अगले विषम सेमेस्टर अर्थात वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में प्रोन्नति निम्न शर्तो के साथ दी जायेगी :–

(अ) विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर मिलाकर) के कुल आवश्यक (required) क्रेडिट्स का न्यूनतम 50% क्रेडिट के पेपर्स (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों तथा (ब) विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर) के Major विषयों (तीन मुख्य विषय प्रथम व द्वितीय वर्ष में तथा दो मुख्य विषय तृतीय वर्ष में) के सभी पेपर्स (थ्योरी एवं प्रेक्टिकल मिलाकर) के कुल क्रेडिट्स का न्यूनतम 50% क्रेडिट के पेपर्स उत्तीर्ण कर लिए हों। 50% क्रेडिट की गणना करने में दशमलव के बाद के अंक नहीं गिने जाएंगे, जैसे कि 27.6 तथा 27.3 को 27 ही माना जाएगा।

3.3 द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष में प्रोन्नति के लिए प्रथम वर्ष के आवश्यक (required) 46 क्रेडिट्स के सभी (मुख्य/माइनर/स्किल इत्यादि) पेपर्स तथा Qualifying (सह–पाठ्यक्रम) पेपर्स को उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।

4. बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) परीक्षा

4.1 आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालय परीक्षा के साथ आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है। किंतु एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर्स की संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा।

4.2 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर्स के पेपर्स के लिए सम (विषम) सेमेस्टर्स में ही उपलब्ध होगी।

4.3 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है, में उपलब्ध होगा।

4.4 विद्यार्थी बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा काल बाधित ना होने तक, चाहे कितनी भी बार दे सकता है। किंतु यह व्यवस्था वर्तमान वर्ष से केवल 1 वर्ष पहले के पेपर्स के लिए ही उपलब्ध होगी।

5. काल अवधि

किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्या:– (Explanation) यदि विद्यार्थी सततता में तीनों वर्ष की पढ़ाई करता है, तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेगें। किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा

लेकर चला जाता है, तो वह बाकी के वर्षो की पढ़ाई दोबारा शुरू करने के लिए कभी भी वापस आ सकता है तथा उसे आगे के वर्षो की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेगें।

6. CGPA की गणना

6.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत सूत्रों से की जाएगी:

jth सेमेस्टर के लिए SGPA (Sj) =∑(Ci x Gi) /∑Ci	यहाँ पर: Ci = number of credits of the ith course in jth semester. Gi= grade point scored by the student in the ith course in jth semester.
CGPA = ∑(Cj x Sj) /∑Cj	यहाँ पर: Sj= SGPA of the jth semester. Cj= total number of credits in the jth semester.

6.2 CGPA को प्रतिशत अंको में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा:

समतुल्य प्रतिशत =CGPA x 9.5

6.3 विद्यार्थियों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जाएगी:

तलिका–2 (Table-2)

श्रेणी	वर्गीकरण
प्रथम श्रेणी	6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 से कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	4.00 अथवा उससे अधिक तथा 5.00 से कम CGPA

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या–1065/सत्तर–3–2021–16(26)/2011

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **कुलपति,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊः दिनॉकः 20 अप्रैल, 2021**

विषय– उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरुप तैयार न्यूनतम समान पाठयक्रम शैक्षिक सत्र 2021–22 से लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समान पाठ्यकम लागू करने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरुप पुनर्संयोजित करने के लिये शासनादेश संख्या 5240/सत्तर–3–2020 दिनॉक 26–10–2020 द्वारा राज्य स्तरीय समिति तथा संकायवार सुपरवाइजरी समितियों का गठन किया गया है। साथ ही विषयवार विशेषज्ञ समूहों का भी गठन किया गया। पाठ्यकमों को पुनर्संयोजित करने के लिये लगभग 150 विषय विशेषज्ञों के द्वारा राज्य स्तरीय समिति एवं राज्य संकायवार सुपरवाइजरी समितियों के साथ 200 से अधिक वर्चुअल बैठकों के माध्यम से चर्चा कर तैयार न्यूनतम समान पाठयक्रम को प्रदेश में स्टेकहोल्डरर्स से सुझाव प्राप्त करने के लिये राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया गया ।

तद्कम में कुल 416 फीडबैक प्राप्त हुए, जिसमें से 27 प्रतिशत फीड बैक को विषय विशेषज्ञों द्वारा समिति में चर्चा करने के पश्चात आवश्यकतानुसार पाठयक्रमों में सम्मलित किया गया । फीडबैक के अनुसार संशोधन करने के पश्चात प्रथम फेज में स्नातक कला एवं मानविकी (16 विषय), भाषा (4 विषय), विज्ञान (9 विषय), बी0कॉम, बी0एड0, बी0बी0ए0, बी0एल0आई0एस0 तथा अनिवार्य को–करीकुलर (6 विषय) के निम्नलिखित विषयों के न्यूनतम समान पाठयक्रम वेबसाईट (http://uphed.gov.in/page/council /en/nep-2020) पर अपलोड कर दिये गये हैं तथा शेष विषयों तथा स्नातकोत्तर के अंतिम रुप से तैयार पाठयक्रम भी वेबसाईट पर अपलोड कर दिये जायेंगे ।

कला एवं मानविकी विषय	विज्ञान विषय	भाषा विषय	अनिवार्य को–करीकुलर विषय	अन्य संकाय
एंथ्रोपोलोजी	कृषि	संस्कृत	खाद्य, पोषण एंव स्वच्छता	बी0कॉम
रक्षा एवं संराचनात्मक अध्ययन	वनस्पति विज्ञान	हिन्दी	प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	बी0एड0
अर्थशास्त्र	रसायन शास्त्र	अंग्रेजी	शारीरिक शिक्षा एवं योग	बी0बी0ए0
शिक्षाशास्त्र	कम्पूयटर विज्ञान	उर्दू	मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन	बी0एल0आई0एस0
ललित कला	भूगर्भ शास्त्र		विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनैस	
भूगोल	गणित		संचार कौशल एवं व्यक्तितव विकास	

इतिहास (प्राचीन)	भौतिक विज्ञान			
इतिहास(आधुनिक)	सांख्यिकी			
गृह विज्ञान	जन्तु विज्ञान			
विधि				
दर्शनशास्त्र				
शारीरिक शिक्षा				
राजनीति शास्त्र				
मनोविज्ञान				
समाजशास्त्र				
समाजिक कार्य				

3— शासनादेश संख्या—438/सत्तर—3—2021(16)26/2011 दिनॉक 08—02—2021 के द्वारा पूर्व में नये पाठयक्रम की विशेषतायें, संरचना का आधार, सी0बी0सी0एस0, क्रेडिट, क्रेडिट स्थानंतरण, अनिवार्य को—करीकुलर एंव विषय चुनाव एंव उन्हें लागू करने के सम्बंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

4— अनुरोध है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 के अनुरुप तैयार किए गए न्यूनतम समान पाठयक्रम को ध्यान में रखते हुए दिनांक 15.05.2021 तक विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज द्वारा निम्नलिखित दिशा—निर्देशों/प्रकिया को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के पाठयक्रमों में आवश्यक संशोधन कर उसे शैक्षिक सत्र 2021—22 से लागू करने हेतु अन्य आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें, जिससे शैक्षिक सत्र 2021—22 से प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 का क्रियान्वयन किया जा सकेः—

- न्यूनतम समान पाठयक्रम का 70 प्रतिशत पाठयक्रम प्रत्येक विश्वविद्यालय में लागू होगा, शेष 30 प्रतिशत पाठ्क्रम विश्वविद्यालय अपनी आवश्यकताओं के अनुरुप लागू कर सकेंगे । न्यूनतम समान पाठयक्रम की संरचना में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा ।
- प्रत्येक विषय के पेपर के शीर्षक सभी विश्वविद्यालयों में समान होंगे जिससे भविष्य में आसानी से प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों के क्रेडिट स्थानांतरित हो सकें।
- विश्वविद्यालयों की बोर्ड आफ स्टडीज द्वारा स्वीकृत पाठयक्रम की प्रति उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जाये।
- उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर शेष पाठयक्रम भी समय—समय पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिनको भी उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज के द्वारा अधिकतम 30 प्रतिशत तक आवश्यक परिवर्तन एवं संशोधन के पश्चात अनुमोदन कर परिषद को उपलब्ध कराया जायेगा ।

विषय चुनाव एवं प्रवेश प्रक्रिया—

- सर्वप्रथम विद्यार्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अपने संकाय (Science/Arts/ Commerce/ Management etc) का चुनाव करेगा ।
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीट एवं नियमों के आधार पर विद्यार्थी को संबधित संकाय में प्रवेश देगा ।
- तत्पश्चात विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों (Major) का चुनाव करेगा, जिनमें से दो मुख्य विषय उसके चुने हुए संकाय से लेना अनिवार्य होगा तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से ले सकता है ।
- इसके बाद विद्यार्थी को प्रथम चार सेमेस्टर हेतु एक माइनर विषय किसी दूसरे संकाय से लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय आवंटित किया जायेगा।
- प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम चार सेमेस्टर के प्रत्येक सेमेस्टर में एक रोजगार परक पाठयक्रम लेना होगा।

Nikhil G.O

किसी भी पाठयक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की प्रक्रिया–

- विद्यार्थी को एक वर्ष (दो सेमेस्टर) पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास (Exit) तथा दो वर्ष (चार सैमस्टर) पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी ।
- विद्यार्थी को तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) पूर्ण करने पर ही डिग्री प्राप्त होगी ।
- विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर में पुनः प्रवेश ले सकेगा ।
- Prerequisite के आधार पर विद्यार्थी को द्वितीय/तृतीय वर्ष में विषय परिवर्तन की सशर्त सुविधा उपलब्ध होगी ।

डिग्री का संकाय एवं पूर्ण करने की अवधि–

- विद्यार्थी जिस संकाय से तीन वर्ष में न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी में उसको डिग्री दी जायेगी एवं तद्नुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी ।
- यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल एजूकेशन की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के prerequisite की आवश्यकता नहीं होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के संदर्भ में विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधायें–

- विद्यार्थी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से 20 प्रतिशत तक यू0जी0सी0/शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमन्य सीमा तक क्रेडिट आनलाईन कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे तथा उसके अनुपात में कोर्स/विषय छोड सकेंगे । यू0जी0सी0 के नियमों के अनुसार आनलाईन कोर्स के क्रेडिट सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को जोड़ने होंगे ।
- विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार निकट के अन्य शिक्षण संस्थान से किसी विशेष विषय को अध्ययन की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य की जा सकती है।
- यदि कोई योग्य छात्र कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी । अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिये स्वतंत्र होगा ।
- विद्यार्थी को कोर्स आधार पर पंजीकरण की सुविधा प्राप्त होगी, जिस आधार पर वे किसी एक कोर्स का अध्ययन कर सकेंगे।
- अर्जित किये गये क्रेडिट का उपयोग विद्यार्थी सिर्फ एक उपाधि के लिये ही कर सकेगा । एक बार किसी क्रेडिट का प्रयोग करने के पश्चात वह दूसरी उपाधि के लिये उसका प्रयोग नहीं कर सकेगा ।

परीक्षा व्यवस्था –

- सभी प्रश्नपत्र 100 अंक के होंगे, जिनको क्रेडिट एंव फार्मूला के अनुसार परसेंन्टाईल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा ।
- सभी विषयों की परीक्षा 25 प्रतिशत सतत आंतरिक मूल्यांकन एवं 75 प्रतिशत वाहय मूल्यांकन के आधार पर की जायेगी ।
- सभी विषयों की लिखित परीक्षा होगी एवं अनिवार्य को–करीकुलर विषय की परीक्षा बहु विकल्पीय (MCQ) आधार पर होगी ।

5– अग्रेतर यह अवगत कराना है कि उक्त संरचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य, भारतीय एवं विदेशी भाषाएं, प्रबंधन, कृषि तथा विधि संकायों पर लागू होंगी।

6– स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के 46 क्रेडिट होंगे जिसमें तीन प्रमुख विषय, एक माइनर विषय, दो

सह–पाठ्यक्रम एवं दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर प्रमाण पत्र (Certificate) प्रदान किया जा सकता है।

द्वितीय वर्ष के 92 क्रेडिट होंगे, जिसमें तीन प्रमुख विषय, एक माइनर विषय, दो सह–पाठ्यक्रम तथा दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर डिप्लोमा (Diploma) प्रदान किया जा सकता है।

तृतीय वर्ष के 138 क्रेडिट होंगे जिसमें दो प्रमुख विषय, दो सह–पाठ्यक्रम/एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम तथा एक माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर स्नातक की डिग्री (Bachelor's Degree) प्रदान की जायेगी।

चौथे वर्ष के 194 क्रेडिट होंगे जिसमें एक प्रमुख विषय, एक माइनर विषय तथा एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने पर शोध के साथ स्नातक की डिग्री (Bachelor's Degree with Research) प्रदान की जायेगी।

पांचवें वर्ष के 246 क्रेडिट होंगे जिसमें एक प्रमुख विषय, एक माइनर विषय एवं एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त मास्टर डिग्री (Master's Degree) प्रदान की जायेगी।

छठे वर्ष के उपरान्त Post Graduate Diploma in Research (PGDR) प्रदान किया जा सकता है।

सातवें और आठवें वर्ष में अनुसंधान पद्धति तथा प्रमुख विषय एवं एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त पी–एच0डी0 (Ph.D.) की उपाधि प्रदान की जायेगी।

7– प्रत्येक विषय के प्रमुख कोर पाठ्यक्रमों के लिए सामान्यतः न्यूनतम 70 प्रतिशत पाठ्यक्रम उपरोक्तानुसार लागू किया जायेगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्रत्येक सेमेस्टर के समान पेपर शीर्षक होंगे। यूनिफॉर्म क्रेडिट और ग्रेडिंग सिस्टम का निर्धारण किया जायेगा। प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश व्यवस्था प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

8– पहले दो वर्षों में कौशल विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रम अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–602/सत्तर–3–2021–08(35)/2020, दिनांक 22.02.2021 द्वारा अवगत कराया गया है।

9– अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के सफल क्रियान्वयन हेतु अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट तथा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर समयबद्ध रूप से कार्य करते हुए 30 जून, 2021 तक इन्हें पूर्ण कर लिया जाये, साथ ही एम0एस0एम0ई0, आई0टी0आई0 और पॉलीटेक्निक के साथ एम0ओ0यू0 किये जाये ताकि विद्यार्थियों को शैक्षिक लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए एवं संसाधनों में वृद्धि करने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर प्रभावी योजना तैयार कर कार्यवाही की जानी चाहिए।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

20/4

(मोनिका एस.गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 1065 (1)/सत्तर–3–2021–तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
(2) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

NANI G.O.

<u>महत्वपूर्ण/समयबद्ध</u>
<u>संख्या– 1117 /सत्तर–3–2023</u>

प्रेषक,

डा0 सुधीर एम0 बोबडे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

3. **समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

<u>उच्च शिक्षा अनुभाग–3</u> **<u>लखनऊ : दिनांक 01 मई, 2023</u>**

विषयः–राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के समयबद्ध व प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हेतु निम्न शासनादेश निर्गत किये गये हैं:–

1.	5608/सत्तर–3–2020–08(35)/2020,	दिनांक 03.12.2020
2.	5609/सत्तर–3–2020–08(35)/2020,	दिनांक 03.12.2020
3.	5687/सत्तर–3–2020–08(35)/2020,	दिनांक 15.12.2020
4.	142/सत्तर–3–2021–08(35)/2020टी.सी.1,	दिनांक 15.01.2021
5.	602/सत्तर–3–2021–08(35)/2020,	दिनांक 22.02.2021
6.	1065/सत्तर–3–2021–16(26)/2011,	दिनांक 20.04.2021
7.	1567/सत्तर–3–2021–16(26)/2011टी.सी.,	दिनांक 13.07.2021
8.	1815/सत्तर–3–2021–16(26)/2011,	दिनांक 09.08.2021
9.	1816/सत्तर–3–2021,	दिनांक 09.08.2021
10.	1969/सत्तर–3–2021,	दिनांक 18.08.2021
11.	2058/सत्तर–3–2021–08(33)/2020टी.सी.,	दिनांक 26.08.2021
12.	401/सत्तर–3–2022,	दिनांक 09.02.2022
13.	1013/सत्तर–3–2022,	दिनांक 19.04.2022
14.	1032/सत्तर–3–2022–08(35)/2020,	दिनांक 20.04.2022
15.	660/सत्तर–3–2023–08(21)/2022,	दिनांक 02.03.2023
16.	673/सत्तर–3–2023–09(03)/2023,	दिनांक 06.03.2023
17.	793/सत्तर–3–2023–08(21)/2023,	दिनांक 20.03.2023
18.	308/सत्तर–3–2023–16(26)/2011,	दिनांक 25.11.2021

RPS GO

19. 1267/सत्तर–3–2023–16(26)/2011, दिनांक 15.06.2021
20. 1276/सत्तर–3–2023–16(26)/2011, दिनांक 16.06.2021
21. 33/सत्तर–3–2021–8(35)/2020, दिनांक 05.01.2021
22. 69/सत्तर–1–2022 दिनांक 06.01.2022
23. 70/सत्तर–1–2022 दिनांक 06.01.2022
24. 744/सत्तर–3–2022 दिनांक 16.03.2022

2– उल्लेखनीय है कि नीतिगत मामलों में प्रदेश के राज्य/निजी विश्वविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा निर्देश निर्गत किये जाने की शक्ति क्रमशः उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा–66(क) एवं उ0प्र0 निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा–56 में निहित है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्गत उपर्युक्त शासनादेशों में दिये गये दिशा–निर्देशानुसार समयबद्ध व प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

/

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ।

2– प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा, कुमारी मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, जनपद–गौतमबुद्धनगर।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

RPS GO

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या– 1267 / सत्तर–3–2021–16(26) / 2011

प्रेषक,

मोनिका एस.गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **कुलपति,**
समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

2 **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 15 जून, 2021**

विषयः– उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों में संचालित विषयों का संकाय निर्धारण किये जाने के सम्बंध में ।

महोदय / महोदया,

उर्पयुक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 1065 / सत्तर–3–2021–16(26) / 2011, दिनॉक 20–04–2021 द्वारा "राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020" के अनुरुप "च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS)" पर तैयार न्यूनतम समान पाठयक्रम को प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में आगामी सत्र से लागू किया जाना है ।

2– उक्त के क्रम में "राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020" के अनुरुप विद्यार्थियों को बहुविषयक विकल्प उपलब्ध कराने, भाषा विषयों को बढावा देने तथा अर्न्तविश्वविद्यालय क्रेडिट स्थानांतरण को सुगम बनाने के लिये संकायों की एकरुपता आवश्यक है ।

3– प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों में संचालित विषयों को निम्न संकायों में वर्गीकृत किया गया है। यदि कोई अन्य एलाईड विषय आपके यहां संचालित है तो उसको सम्बंधित विषय के संकाय में माना जाये । अर्तःविषयी, विषय के सम्बंद्ध में मूल संचालनकर्ता विषय के संकाय को उस विषय का संकाय माना जाये । सूची में उपलब्ध विषयों के अतिरिक्त विषय की सूचना उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे उनके कोड का निर्धारण किया जा सके।

4– पूर्व में कई विषय जैसे–गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल, रक्षा एवं सामरिक रणनीति अध्ययन आदि जैसे विषय बी0ए0, बी0एस0सी0 दोनों वर्ग के छात्रों के लिये उपलब्ध थे जिस कारण से वे दोनों संकायों में वर्गीकृत किये गये थे। नई व्यवस्था में छात्र को तीसरा मुख्य विषय लेने की छूट है अतः कोई भी छात्र किसी भी संकाय के विषय का चुनाव कर सकता है, इसलिये किसी भी विषय को दो संकायों में वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है ।

5– अवगत कराना है कि निम्नानुसार सिर्फ विषयों को संकायों में वर्गीकृत किया गया है। अन्य पाठ्यक्रम निर्धारण एवं अन्य व्यवस्था पूर्ववत रहेगी।

(1) Faculty of Language (भाषा संकाय)

1. Arabic (अरेबिक)
2. Communicative English (संचार अंग्रेजी)
3. English (अंग्रेजी)
4. Farsi (फारसी)

Nishi G.O

5. Foreign language (विदेशी भाषा)
6. French (फ्रेंच)
7. German (जर्मन)
8. Hindi (हिन्दी)
9. Linguistics (भाषा विज्ञान)
10. Modern Indian Languages and Literary Studies (आधुनिक भारतीय भाषा एवं साहित्यिक अध्ययन)
11. Pali (पाली)
12. Prakrit (प्राकृत)
13. Punjabi (पंजाबी)
14. Sanskrit (संस्कृत)
15. Sindhi (सिंधी)
16. Tibbati (तिब्बती)
17. Urdu (उर्दू)

(2) Faculty of Arts, Humanities and Social sciences(कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय)

1. Adult and Continuing Education (प्रौढ, सतत् एवं प्रसार शिक्षा)
2. Ancient History, Archaeology & Culture (प्राचीन इतिहास, पुरातत्त्व एवं संस्कृति)
3. Anthropology (मनुष्य जाति का विज्ञान)
4. Archaeology and Musicology (पुरातत्व एवं संग्रहालय)
5. Astrology (ज्योतिष विज्ञान)
6. Defence and Strategic Studies (रक्षा एवं सामरिक रणनीति अध्ययन)
7. Early Childhood care and Education (बाल्यकाल की आरम्भिक देखभाल एवं शिक्षा)
8. Economics (अर्थशास्त्र)
9. Education (शिक्षा शास्त्र)
10.Geography (भूगोल)
11.History (इतिहास) -Medieval and modern history
12.Home Science (गृह विज्ञान)
13.Human Development (मानव विकास)
14.Human Resources Development (मानव संसाधन विकास)
15.Human Rights (मानवाधिकार)
16.Indian history and culture (भारतीय इतिहास एवं संस्कृति)
17.Journalism (पत्रकारिता)
18.Journalism and communication (पत्रकारिता एवं जनसंचार)
19.Library & Information Science (पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान)
20.Mass Media (संचार मीडिया)
21.Media and communication (मीडिया एवं संचार)
22.Nutrition and Dietetics (पोषण एवं आहार विज्ञान)
23.Philosophy (दर्शनशास्त्र)
24.Physical Education (शारीरिक शिक्षा)
25.Political Science (राजनीति विज्ञान)
26.Psychology (मनोविज्ञान)
27.Public Administration (लोक प्रशासन)
28.Social Work (सामाजिक कार्य)
29.Sociology (सामाजिक विज्ञान)
30.Women Studies (महिला अध्ययन)
31.Yoga (योग शिक्षा)

(3) Faculty of Legal Studies (विधि संकाय)

1. Law related courses (विधि सम्बन्धित पाठयक्रम)

a. Law as one of the three subject in UG programme

b. BALLB, BScLLB, BComLLB, LLB, LLM

(4) Faculty of Science (विज्ञान संकाय)

1. Applied Microbiology (व्यवहारिक सूक्ष्म जीव विज्ञान)
2. Astronomy (खगोल विज्ञान)
3. Biochemistry (जैव रसायनविज्ञान)
4. Bioinformatics (जैव सूचना विज्ञान)
5. Biotechnology (जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान)
6. Botany (वनस्पति विज्ञान)
7. Chemistry (रसायन विज्ञान)
8. Computer Application (कम्प्यूटर अनुप्रयोग)
9. Computer Science (कम्प्यूटर विज्ञान)
10. Electronics (इलैक्ट्रोनिक्स)
11. Environmental science (पर्यावरण विज्ञान)
12. Food Science & Technology (खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी)
13. Forensic Science (फोरेन्सिक विज्ञान)
14. Geographic Information System and Remote Sensing (भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं सुदूरसंवेदन)
15. Geology (भू–गर्भ विज्ञान)
16. Genetics & Genomics (अनुवांशिकी एवं जीनोमिक)
17. Industrial Biotechnology (औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान)
18. Industrial Chemistry (औद्योगिक रसायनविज्ञान)
19. Industrial Forestry (औद्योगिक वानिकी)
20. Industrial Microbiology (औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान)
21. Information Technology (सूचना प्रौद्योगिकी)
22. Instrumentation (उपकरण विज्ञान)
23. Life Science (जीवन विज्ञान)
24. Mathematics (गणित)
25. Microbiology (सूक्ष्म जीव विज्ञान)
26. Nanotechnology (नैनो प्रौद्योगिकी विज्ञान)
27. Physics (भौतिक विज्ञान)
28. Polymer Science & Chemical Technology (बहुलक विज्ञान एवं रसायन प्रौद्योगिकी विज्ञान)
29. Statistics (सांख्यिकी)
30. Toxicology (विष विज्ञान)
31. Zoology (जन्तु विज्ञान)

(5) Faculty of Agriculture (कृषि संकाय)

1. Agriculture (कृषि विज्ञान)
2. Agriculture economics (कृषि अर्थशास्त्र)
3. Agriculture extension (कृषि विस्तार)
4. Agriculture statistics (कृषि सांख्यिकी)
5. Animal husbandry (पशुपालन)
6. Forestry (वानिकी)
7. Genetics and Plant Breeding (पादप अनुवांशिकी)
8. Horticulture (उद्यान विज्ञान)
9. Plant Protection (पादप संरक्षण)

Nikhil G.D

10.Plant Pathology (पादप रोग विज्ञान)
11.Seed Technology (बीज प्रौद्योगिकी विज्ञान)

(6) Faculty of Teacher Education (शिक्षक शिक्षा संकाय)

1. Physical Education (शारीरिक शिक्षा) B.PEd., M.PEd.
2. Teacher Education (अध्यापक शिक्षा) B.Ed., M.Ed.

(7) Faculty of Commerce (वाणिज्य संकाय)

1. Commerce (वाणिज्य)
2. Accounting and auditing (लेखा एवं लेखा परीक्षा)
3. Advertising, Sales Promotion and Sales Management (विज्ञापन, विक्रय प्रोत्साहन एवं बिकी प्रबन्धन)
4. Banking and insurance (बैंकिंग एवं बीमा)
5. Foreign Trade (विदेशी व्यापार)
6. Office Management and Secretarial Assistance (कार्यालय प्रबंधन एवं सचिवीय सहायता)
7. Taxation (कराधान)

(8) Faculty of Management (प्रबंधन संकाय)

1. Business Administration (व्यवसाय प्रबंधन)
2. Business Economics (व्यापार अर्थशास्त्र)
3. Finance and Control (वित्त एवं नियंत्रण)
4. Hospital Administration (अस्पताल प्रशासन)
5. Human Resources Development (मानव संसाधन विकास)
6. International Business (अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार)
7. Logistic management (रसद प्रबंधन)
8. Management Science (प्रबंधन विज्ञान)
9. Marketing (विपणन)
10.Tourism Management (पर्यटन प्रबंधन)
11.Travel and hospitality management (पर्यटन एवं आतिथ्य प्रबंधन)

(9) Faculty Fine Art and Performing Art (ललित कला एवं प्रर्दशन कला संकाय)

1. Architecture (वास्तुकला)
2. Choreography (नृत्यकला)
3. Dance (नृत्य)
4. Dance- Bharatanatyam (नृत्य–भरतनाट्यम)
5. Dance- Kathak (नृत्य–कथक)
6. Dance-Folk (लोक नृत्य)
7. Drawing & Painting (चित्रकारी)
8. Film (चलचित्र)
9. Fine Arts (ललित कला)
10.Music (Vocal) (संगीत गायन)
11.Music Instrument Sitar (संगीत सितार)
12.Music Instrument Tabla (संगीत तबला)
13.Music (संगीत)
14.Performing Art (प्रर्दशन कला)
15.Sculpture (मूर्ति कला)
16.Theatre and cinema (रंगमंच एवं चलचित्र)
17.Visual and Studio Art (दृश्य एवं स्टूडियो कला)

(10) Faculty of Vocational Studies (व्यवसायिक अध्ययन संकाय)

NSQF/UGC के दिशा निर्देशानुसार 40%(General) & 60% (Skill) व्यवस्था पर आधारित, स्किल पार्टनर के सहयोग से संचालित विषय ही व्यवसायिक शिक्षा के अन्तर्गत आयेंगे ।

1. Advertising, Sales Promotion and Sales Management

2. Agribusiness management
3. Airline, Tourism and Hospitality Management
4. Analytical Instrumentation.
5. Community Sciences(Home sciences)
6. Dairy technology
7. Foreign Trade Practices and Procedures.
8. Medical Lab and Molecular Diagnostic Technology
9. Multimedia, Animation and Graphics
10.Nutrition and health care Sciences
11.Organic farming and Organic products
12.Principles and Practice of Insurance

(11) Faculty of Rural Science (ग्रामीण विज्ञान संकाय)

1. Community development and extension (सामुदायिक विकास एवं प्रसार)
2. Co-operation (सहकारिता)
3. Agriculture Marketing (कृषि विपणन)
4. Horticulture (Rural Science) (उद्यान विज्ञान– ग्रामीण विज्ञान)
5. Village Industries (ग्रामीण उद्योग)
6. Fisheries (मतस्य पालन)
7. Rural Banking (ग्रामीण बैकिंग)

6– उपरोक्तानुसार नवीन संकाय व्यवस्था को लागू करने हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम के नियमानुसार कृपया आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीया,
15/6
(मोनिका एस.गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 1267 (1)/सत्तर–3–2021, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
2– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध
संख्या—1276 / सत्तर—3—2021—16(26) / 2011

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **कुलपति**
समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

2. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग—3

लखनऊ : दिनांक 16 जून, 2021

विषयः उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों में संचालित विषयों का संकाय निर्धारण किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—1267 / सत्तर—3—2021—16(26) / 2011, दिनांक 15.06.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 के अनुरूप अन्तर्विश्वविद्यालय केडिट स्थानान्तरण को सुगम बनाने के लिए संकायों की एकरूपता के सम्बन्ध में मार्गदर्शी निर्देश जारी किए गए है।

2— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संकायों में विषयों के वर्गीकरण की यह व्यवस्था मात्र विषय कोडिंग एवं छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने हेतु है। विश्वविद्यालय विशेष में प्रचलित संकाय एवं उनकी प्रशासनिक व्यवस्था पूर्ववत् चलती रहेगी।

भवदीया,
16/6
(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या—1276(1) / सत्तर—3—2021, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— कुलसचिव, समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
2— अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या– 1411–सत्तर–1–2024

प्रेषक,

एम0पी0 अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 16 अक्टूबर, 2024

विषयः राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/पुस्तकालय अध्यक्षों की प्रोन्नति (CAS) समर्थ पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 मुख्यमंत्री जी की मंशानुरुप शिक्षकों की प्रोन्नति समयबद्ध, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा त्वरित गति से समर्थ पोर्टल के द्वारा ऑनलाईन माध्यम से किये जाने हेतु उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा दिनॉक 29.07.2023 को समर्थ के साथ समझौता–ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित किया गया। यू0जी0सी0 रेगुलेशन–2018, पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–600/सत्तर – 1–2019–16(114)/2010, दिनॉक 28.06.2019 एवं शासनादेश संख्या–1607/सत्तर–1–2021–16(43)/2021, दिनॉक 01.11. 2021 के कम मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के समस्त राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/पुस्तकालय अध्यक्षों की प्रोन्नति प्रक्रिया उक्त संदर्भित रेगुलेशन एवं शासनादेशों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार समर्थ पोर्टल के द्वारा ऑनलाईन माध्यम से निम्नवत् सम्पन्न होगी :–

1. समर्थ द्वारा प्रोन्नति (CAS) प्रक्रिया उच्च शिक्षा निदेशालय/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर ऑनलाईन माध्यम से पूर्ण की जायेगी। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों के प्राचार्य/आई0क्यू0ए0सी0 समन्वयक/सचिव, प्रबंध समिति का ट्रेनिंग में प्रतिभाग सुनिश्चित करायेंगे। निदेशक, उच्च शिक्षा सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों एवं अपने द्वारा नामित सदस्य का ट्रेनिंग में प्रतिभाग सुनिश्चित करायेंगे।
2. दिनॉक 01.10.2024 के पश्चात प्रोन्नति (CAS) अर्हतापूर्ण करने वाले शिक्षकों की प्रोन्नति केवल समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही देय होगी। दिनॉक 01.10.2024 से पूर्व प्रोन्नति (CAS) अर्हता पूर्ण करने वाले शिक्षक वर्तमान व्यवस्था अथवा समर्थ के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, परन्तु समर्थ पोर्टल पर आवेदन यू0जी0सी0 रेगूलेशन–2018 के अनुसार ही स्वीकार्य होंगे। यदि किसी शिक्षक द्वारा यू0जी0सी0 रेगूलेशन–2010 तथा इससे पूर्व रेगूलेशन के अनुसार आवेदन किया जाता है, तो उसे प्रोन्नति (CAS) की प्रक्रिया ऑफलाईन माध्यम से पूर्ण करनी होगी।
3. 10.10.2024 तक प्राचार्य अपने सभी शिक्षकों की लॉगिन (Log in) तैयार कर, उस पर सभी शिक्षकों से वांछित सूचनायें अपलोड कराना सुनश्चित करेंगे। भविष्य में स्थानांतरण की स्थिति में मानव सम्पदा तथा कोषागार की भॉति शिक्षक के डेटा को नवीन महाविद्यालय में 15 दिन में स्थानांतरित करना होगा।
4. दिनांक 01.07.2024 के पश्चात प्रत्येक शिक्षक को समर्थ पोर्टल पर वार्षिक (1 July to 31 June) API/PBAS (Academic Performance Indicator/Performance Based Appraisal System) को दिनांक 30 सितम्बर तक अनिवार्य रुप से भरना होगा। भविष्य में शिक्षक की प्रोन्नति देय होने पर, समर्थ पोर्टल पर आवेदन करने के पश्चात, समर्थ पोर्टल वार्षिक API को जोड़कर शिक्षक मूल्यॉकन अवधि का प्रोन्नति प्रपत्र स्वतः तैयार कर देगा।
5. प्रोन्नति की समस्त प्रक्रिया आवेदक को अपनी लॉगिन (Log in) में रियल टाइम दिखती रहेगी, प्रत्येक स्तर को अपने लिये निर्धारित समय में आवेदन पर निर्णय लेना होगा। समयान्तर्गत आवेदन पर निर्णय न लेने पर उनकी सहमति मानते हुए मानव सम्पदा पोर्टल की भांति आवेदन स्वतः अगले स्तर पर अग्रसारित (Auto forward) हो जायेगा, जिसका उत्तरदायित्व लॉगिन (Log in) प्राप्त करने वाले सम्बंधित अधिकारी की होगी तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। प्रोन्नति की समस्त प्रक्रिया अधिकतम 90 दिन में पूर्ण हो जायेगी।
6. प्राचार्य स्तर से यदि कोई आवेदन पत्र स्वतः अग्रसारित (Auto forward) होकर आयेगा तो वह निदेशक, उच्च शिक्षा को न जाकर पहले उत्तर प्रदेश राज्य गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (UPSLQAC) की लॉग–इन में जायेगा। सदस्य सचिव, यू.पी.एस.एल.क्यू.ए.सी. द्वारा उसका पुनः परीक्षण किया जायेगा तथा यथावश्यकता पूर्व के स्तर से चर्चा कर उक्त आवदेन पर निर्णय लिया जायेगा। इसके लिये संबंधित प्राचार्य/कार्यवाहक प्राचार्य के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि की संस्तुति की जायेगी। यू.पी.एस.एल.क्यू.ए.सी. द्वारा अग्रसारित करने पर आवेदन निदेशक, उच्च शिक्षा की लॉगिन में पहुॅच जायेगा।

7. विश्वविद्यालय नियमानुसार स्क्रीनिंग एवं चयन समिति के सदस्यों के मानदेय का भुगतान संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

8. कुलपति, सम्बन्धित राज्य विश्वविद्यालय, निदेशक, उच्च शिक्षा, सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, निदेशक द्वारा नामित सदस्य, सदस्य सचिव, यू.पी.एस.एल.क्यू.ए.सी., सम्बन्धित प्राचार्य एवं सदस्य सचिव, आई0क्यू0ए0सी0, सचिव/प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त CAS आवेदन को OTP के माध्यम से सत्यापित/अग्रसारित करेंगे।

9. प्रोन्नति की समस्त प्रक्रिया यू0जी0सी0 रेगुलेशन–2018 नियमानुसार होगी तथा अकादमिक के संबंध में स्क्रीनिंग एवं चयन समिति (Screening and Selection Committee) का निर्णय अंतिम होगा। निदेशक, उच्च शिक्षा एवं सचिव/प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति द्वारा सेवा संबंधी/प्रशासनिक (जैसे कि वार्षिक गोपनीय आख्या (CR/APAR), अनुशासनिक जाँच, प्राथमिकी (FIR), पूर्व सेवा संबंधी प्रकरण आदि) तथ्यों की जॉच के आधार पर संस्तुति/निरस्त का निर्णय लिया जायेगा। आवेदन निरस्त करने पर निरस्तीकरण का कारण अपलोड करना अनिवार्य होगा।

10. प्रोन्नति (CAS) की समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन माध्यम से सम्पन्न होगी। विशेष परिस्थितियों में स्क्रीनिंग एवं चयन समिति की बैठक ऑफलाईन माध्यम से भी की जा सकेगी, जिसकी डिजिटल/वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।

11. आवेदन के साथ अनिवार्य दस्तावेज उपलब्ध न कराने पर ही आवेदन निरस्त किया जा सकेगा। यदि किसी भी स्तर पर आवेदन निरस्त किया जाता है, तो आवेदन सम्बन्धित शिक्षक को वापस चला जायेगा। ऐसे शिक्षक यू0जी0सी0 नियमानुसार एक वर्ष बाद ही पुनः आवेदन कर पायेंगे और उनकी प्रोन्नति की तिथि भी यू0जी0सी0 नियमानुसार विस्तारित हो जायगी।

Login	**Holding office**
User admin	Department of HED/SLQAC
HED_Dashboard	Secretory, Higher Education
Vice Chancellor	VC, Concerned State University
Directorate	Director, Higher Education
UPSLQAC	UPSLQAC-Member Secretory
RHEO office	Concerned RHEO
College	Principal
College Management	Secretary Management/RHEO (If no management due to any reason)

ID creation Process Flow

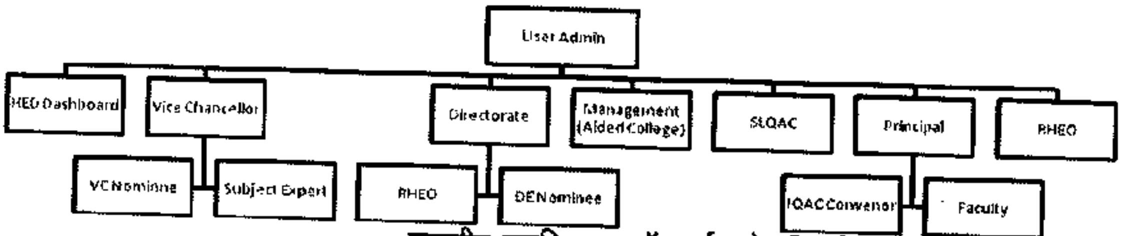

राजकीय महाविद्यालय ऑनलाईन प्रोन्नति प्रक्रिया–

विवरण	लॉगिन	निर्धारित अवधि
वर्तमान शैक्षणिक सत्र में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति CAS सम्बन्धी शासनादेश निर्गत होने के 02 सप्ताह के भीतर तथा आगामी शैक्षणिक सत्र से जुलाई माह में प्रत्येक विषय हेतु अपनी लॉगिन के माध्यम से न्यूनतम 20 विषय विशेषज्ञ एवं कुलपति नामिति (यू0जी0सी0 रेगूलेशन–2018 के अनुसार) नामित करेंगे, जो प्राचार्य की लॉगिन में कम्प्यूटर द्वारा रैंडम आधार पर चयनित किये जायेंगे। कुलपति अपनी लॉगिन से आवश्यकतानुसार उक्त विषय विशेषज्ञों की सूची में परिवर्तन/संशोधन कर सकते हैं।	कुलपति	
सर्वप्रथम शिक्षक अपनी लॉगिन से प्रोन्नति (CAS) हेतु समर्थ पोर्टल पर आवेदन करेगा।	शिक्षक	
1. शिक्षक द्वारा आवेदित प्रोन्नति (CAS) आवेदन IQAC के समस्त सदस्यों को पहुंच जायेगा।	IQAC समन्वयक	20 दिन

A. शिक्षक द्वारा आवेदित प्रोन्नति (CAS) आवेदन प्राचार्य द्वारा गठित IQAC के समस्त सदस्यों को पहुंच जायेगा। IQAC समन्वयक सभी सदस्यों की सहमति से अपनी लॉगिन के माध्यम से आवेदन को अग्रसारित/संशोधित/निरस्त करेंगे, जिसकी कार्यवाही रिपोर्ट IQAC पंजिका में सुरक्षित रखनी होगी। IQAC समन्वयक निर्धारित प्रपत्र पर समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर कराने के पश्चात ही स्कैन कर अपलोड करेंगे। B. समयान्तर्गत आवेदन पर निर्णय न लेने पर आवेदन IQAC की सहमति मानते हुए स्वतः प्राचार्य को अग्रसारित (Auto forward) हो जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व IQAC समन्वयक का होगा। C. आवेदन के साथ अनिवार्य दस्तावेज उपलब्ध न कराने पर ही आवेदन निरस्त किया जा सकेगा। यदि IQAC समिति आवेदन निरस्त करती है, तो आवेदन सम्बन्धित शिक्षक को स्वतः वापस चला जायेगा। IQAC को किसी भी प्रकार की आपत्ति आदि होने पर वह सम्बंधित शिक्षक से चर्चा कर आवश्यक संशोधन कर सकती है। उक्त से सम्बन्धित साक्ष्य IQAC को सुरक्षित रखने होंगे। यदि IQAC शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों से संतुष्ट हो जाती है तथा यू0जी0सी0 रेगुलेशन–2018 के अनुसार सही पाती है, तो वह अपनी लॉगिन से यथावश्यक संशोधन कर अग्रसारित करेगी।		
2. **IQAC से अग्रसारित आवेदन प्राचार्य की लॉगिन में पहुंच जायेगा।** A. प्राचार्य आवेदन को अग्रसारित/संशोधित/निरस्त कर सकता है। B. प्राचार्य अपनी लॉगिन से यू0जी0सी0 रेगुलेशन–2018 के अनुसार स्कीनिंग एवं चयन समिति के सदस्यों (कुलपति द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ, कुलपति नामिति, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, निदेशक नामिति) का चयन करेगा। C. आवेदन अग्रसारित करने पर प्राचार्य को विषय/प्रोन्नति स्तर के अनुसार कुलपति द्वारा नामित सदस्य कम्प्यूटर द्वारा रैन्डमली चयनित होकर प्राचार्य लॉगिन पर स्वतः दिखेंगे । D. प्राचार्य कुलपति द्वारा नामित सदस्यों/विषय विशेषज्ञों, सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, निदेशक नामिति को आवेदन अग्रसारित करेंगे। आवेदन पत्र अग्रसारित करते ही सभी सदस्यों को ई–मेल एवं एस.एम.एस. के माध्यम से सूचना एवं आवेदन स्वतः पहुंच जायेगा। आवेदक का आवेदन पत्र एवं सभी संलग्नक संबंधित की लॉगिन पर प्रदर्शित होंने लगेंगे जिसका परीक्षण कर वह अपना निर्णय ले सकते हैं। E. कुलपति द्वारा नामित किये गये सदस्य द्वारा बैठक में प्रतिभाग (लॉगिन के द्वारा) से अस्वीकर करने पर प्राचार्य द्वारा नये सदस्य का चयन किया जा सकेगा। F. बैठक (Online/Offline) में किसी सदस्य की अनुपस्थिति होने पर न्यूनतम सदस्यों की उपस्थित का कोरम यू0जी0सी0 रेगुलेशन–2018 के अनुसार होगा। G. प्राचार्य सभी सदस्यों से समन्वय स्थापित कर बैठक (Online/Offline) की तिथि निर्धारित करेंगे तथा इसकी सूचना समिति के सदस्यों एवं आवेदक को भी देंगे। बैठक की तिथि निर्धारित होते ही स्वतः सूचना आवेदक एवं IQAC समन्वयक को पहुंच जायेगी। प्राचार्य आवश्यकतानुसार बैठक की तिथि में परिवर्तन कर सकते हैं। H. प्राचार्य स्कीनिंग एवं चयन समिति (Selection or Screening committee) के सदस्यों की बैठक यथा संभव ऑनलाईन (Zoom,	प्राचार्य तथा CAS स्कीनिंग एवं चयन समिति	20 दिन

Google meet, Team etc) माध्यम से करायेंगे। विशेष परिस्थितियों में सदस्यों के अनुरोध पर ऑफलाइन बैठक सम्बन्धित महाविद्यालय में करायी जा सकेगी। I. बैठक (Online/offline) की कार्यवाही की रिकोर्डिंग महाविद्यालय के यू-टयूब चैनल पर अनलिस्टेड (Unlisted) कर अपलोड की जायेगी तथा इसका लिंक आवेदन संस्तुति के साथ निर्धारित स्थान पर पेस्ट करना होगा। J. समिति द्वारा आवेदन निरस्त करने पर निरस्तीकरण का कारण अपलोड करना अनिवार्य होगा। ऐसे शिक्षक यू0जी0सी0 नियमानुसार एक वर्ष बाद ही पुनः आवेदन कर पायेंगे और उनकी प्रोन्नति की तिथि भी यू0जी0सी0 नियमानुसार विस्तारित हो जायगी।		
3. **केवल स्वतः अग्रसारित** (Only for Auto forward) प्रकरण हेतु- उपर्युक्त बिन्दु 6 के अनुसार	सदस्य सचिव	10 दिन
4. प्राचार्य द्वारा अग्रसारित आवेदन निदेशक, उच्च शिक्षा की लॉगिन में पहुंच जायेगा। A. निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा आवेदक के सेवा संबंधी/प्रशासनिक (जैसे कि वार्षिक गोपनीय आख्या (CR/APAR), अनुशासनिक जाँच, प्राथमिकी (FIR), पूर्व सेवा संबंधी प्रकरण आदि) तथ्यों की जॉच के आधार पर संस्तुति/निरस्त का निर्णय लिया जायेगा। B. निदेशक द्वारा आवेदन निरस्त करने पर निरस्तीकरण का कारण एवं साक्ष्य अपलोड करना अनिवार्य होगा।	निदेशक	20 दिन
5. निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा अग्रसारित आवेदन विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-5 की लॉगिन में पहुंच जायेंगे। A. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-5 द्वारा अपनी लॉगिन पर प्राप्त आवेदनों की सूची निकाल कर अग्रतर कार्यवाही/अनुमोदन हेतु कार्यवाही की जायेगी। B. अनुमोदनोपरान्त विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-5 द्वारा शिक्षक के नाम की संस्तुति पर टिक ☑ करने के पश्चात् सबमिट किया जायेगा। C. सबमिट करते ही शिक्षक की प्रोन्नति प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी तथा शिक्षक डिजिटल हस्ताक्षरित प्रोन्नति-पत्र अपनी लॉगिन से डाउनलोड कर सकेंगे। सत्यापन के लिये प्रोन्नति-पत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, प्राचार्य एवं अन्य सभी की लॉगिन में उपलब्ध रहेगा।	विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन	30 दिन
6. शिक्षक द्वारा प्रोन्नति-पत्र डाउनलोड कर प्राचार्य को उपलब्ध कराया जायेगा। प्राचार्य अपनी लॉगिन से उसका मिलान कर सत्यापित प्रतिलिपि शिक्षक को उपलब्ध करायेंगे।		

अनुदानदित महाविद्यालय ऑनलाईन प्रोन्नति प्रक्रिया-

विवरण	लॉगिन	निर्धारित अवधि
वर्तमान शैक्षणिक सत्र में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति CAS सम्बन्धी शासनादेश निर्गत होने के 02 सप्ताह के भीतर तथा आगामी शैक्षणिक सत्र से जुलाई माह में प्रत्येक विषय हेतु अपनी लॉगिन के माध्यम से न्यूनतम 20 विषय विशेषज्ञ एवं कुलपति नामिति (यू0जी0सी0 रेगूलेशन-2018 के अनुसार) नामित करेंगे, जो प्राचार्य की लॉगिन में कम्प्यूटर द्वारा रैंडम आधार पर चयनित किये जायेंगे। कुलपति अपनी लॉगिन से आवश्यकतानुसार उक्त विषय विशेषज्ञों की सूची में परिवर्तन/संशोधन कर सकते हैं।	कुलपति	
सर्वप्रथम शिक्षक अपनी लॉगिन से प्रोन्नति (CAS) हेतु समर्थ पोर्टल पर	शिक्षक	

आवेदन करेगा ।		
1. शिक्षक द्वारा आवेदित प्रोन्नति (CAS) आवेदन IQAC के समस्त सदस्यों को पहुंच जायेगा। A. शिक्षक द्वारा आवेदित प्रोन्नति (CAS) आवेदन प्राचार्य द्वारा गठित IQAC के समस्त सदस्यों को पहुंच जायेगा। IQAC समन्वयक सभी सदस्यों की सहमति से अपनी लॉगिन के माध्यम से आवेदन को अग्रसारित/संशोधित/निरस्त करेंगे, जिसकी कार्यवाही रिपोर्ट IQAC पंजिका में सुरक्षित रखनी होगी। IQAC समन्वयक निर्धारित प्रपत्र पर समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर कराने के पश्चात ही स्कैन कर अपलोड करेंगे। B. समयान्तर्गत आवेदन पर निर्णय न लेने पर आवेदन IQAC की सहमति मानते हुए स्वतः प्राचार्य को अग्रसारित (Auto forward) हो जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व IQAC समन्वयक का होगा। C. आवेदन के साथ अनिवार्य दस्तावेज उपलब्ध न कराने पर ही आवेदन निरस्त किया जा सकेगा। यदि IQAC समिति आवेदन निरस्त करती है, तो आवेदन सम्बन्धित शिक्षक को स्वतः वापस चला जायेगा । IQAC को किसी भी प्रकार की आपत्ति आदि होने पर वह सम्बंधित शिक्षक से चर्चा कर आवश्यक संशोधन कर सकती है। उक्त से सम्बन्धित साक्ष्य IQAC को सुरक्षित रखने होंगे। यदि IQAC शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों से संतुष्ट हो जाती है तथा यू0जी0सी0 रेगुलेशन–2018 के अनुसार सही पाती है, तो वह अपनी लॉगिन से यथावश्यक संशोधन कर अग्रसारित करेगी।	IQAC समन्वयक	20 दिन
2. **IQAC से अग्रसारित आवेदन प्राचार्य की लॉगिन में पहुंच जायेगा।** A. प्राचार्य आवेदन को अग्रसारित/संशोधित/निरस्त कर सकता है। B. प्राचार्य अपनी लॉगिन से यू0जी0सी0 रेगुलेशन–2018 के अनुसार स्कीनिंग एवं चयन समिति के सदस्यों (कुलपति द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ, कुलपति नामिति, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, निदेशक नामिति) का चयन करेगा। C. आवेदन अग्रसारित करने पर प्राचार्य को विषय/प्रोन्नति स्तर के अनुसार कुलपति द्वारा नामित सदस्य कम्प्यूटर द्वारा रैन्डमली चयनित होकर प्राचार्य लॉगिन पर स्वतः दिखेंगे । D. प्राचार्य कुलपति द्वारा नामित सदस्यों/विषय विशेषज्ञों, सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, निदेशक नामिति को आवेदन अग्रसारित करेंगे। आवेदन पत्र अग्रसारित करते ही सभी सदस्यों को ई–मेल एवं एस.एम.एस. के माध्यम से सूचना एवं आवेदन स्वतः पहुंच जायेगा। आवेदक का आवेदन पत्र एवं सभी संलग्नक संबंधित की लॉगिन पर प्रदर्शित होंने लगेंगे जिसका परीक्षण कर वह अपना निर्णय ले सकते हैं। E. कुलपति द्वारा नामित किये गये सदस्य द्वारा बैठक में प्रतिभाग (लॉगिन के द्वारा) से अस्वीकर करने पर प्राचार्य द्वारा नये सदस्य का चयन किया जा सकेगा। F. बैठक (Online/Offline) में किसी सदस्य की अनुपस्थिति होने पर न्यूनतम सदस्यों की उपस्थित का कोरम यू0जी0सी0 रेगुलेशन–2018 के अनुसार होगा। G. प्राचार्य सभी सदस्यों से समन्वय स्थापित कर बैठक (Online/Offline) की तिथि निर्धारित करेंगे तथा इसकी सूचना समिति के सदस्यों एवं आवेदक को भी देंगे। बैठक की तिथि निर्धारित होते ही स्वतः सूचना आवेदक एवं IQAC समन्वयक को पहुंच जायेगी। प्राचार्य आवश्यकतानुसार बैठक की तिथि में परिवर्तन कर	प्राचार्य तथा CAS स्कीनिंग एवं चयन समिति	20 दिन

सकते हैं। H. प्राचार्य स्क्रीनिंग एवं चयन समिति (Selection or Screening committee) के सदस्यों की बैठक यथा संभव ऑनलाईन (Zoom, Google meet, Team etc) माध्यम से करायेंगे। विशेष परिस्थितियों में सदस्यों के अनुरोध पर ऑफलाइन बैठक सम्बन्धित महाविद्यालय में करायी जा सकेगी। I. बैठक (Online/offline) की कार्यवाही की रिकोर्डिंग महाविद्यालय के यू-ट्यूब चैनल पर अनलिस्टेड (Unlisted) कर अपलोड की जायेगी तथा इसका लिंक आवेदन संस्तुति के साथ निर्धारित स्थान पर पेस्ट करना होगा। J. समिति द्वारा आवेदन निरस्त करने पर निरस्तीकरण का कारण अपलोड करना अनिवार्य होगा। ऐसे शिक्षक यू0जी0सी0 नियमानुसार एक वर्ष बाद ही पुनः आवेदन कर पायेंगे और उनकी प्रोन्नति की तिथि भी यू0जी0सी0 नियमानुसार विस्तारित हो जायगी।		
3. प्राचार्य द्वारा अग्रसारित आवेदन सचिव, प्रबंधक समिति की लॉगिन में पहुंच जायेगा। A. सचिव/प्रबंधक, प्रबंध समिति द्वारा आवेदक के सेवा संबंधी/प्रशासनिक (जैसे कि वार्षिक गोपनीय आख्या (CR/APAR), अनुशासनिक जॉच, प्राथमिकी (FIR), पूर्व सेवा सम्बंधी प्रकरण आदि) तथ्यों की जॉच के आधार संस्तुति/निरस्त का निर्णय लिया जायेगा। B. सचिव/प्रबंधक, प्रबन्ध समिति द्वारा आवेदन निरस्त करने पर निरस्तीकरण का कारण एवं साक्ष्य अपलोड करना अनिवार्य होगा।	सचिव, प्रबंधक समिति	20 दिन
4. केवल स्वतः अग्रसारित (Only for Auto forward) प्रकरण हेतु- उपर्युक्त बिन्दु 6 के अनुसार	सदस्य सचिव	10 दिन
5. सचिव/प्रबंधक, प्रबंध समिति द्वारा अग्रसारित आवेदन निदेशक, उच्च शिक्षा की लॉगिन में पहुंच जायेंगे। A. निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा अपनी लॉगिन पर प्राप्त आवेदनों की सूची निकाल कर अग्रतर कार्यवाही/अनुमोदन हेतु कार्यवाही की जायेगी। B. अनुमोदनोपरान्त निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा शिक्षक के नाम की संस्तुति पर टिक ☑ करने के पश्चात् सबमिट किया जायेगा। C. सबमिट करते ही शिक्षक की प्रोन्नति प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी तथा शिक्षक डिजिटल हस्ताक्षरित प्रोन्नति-पत्र अपनी लॉगिन से डाउनलोड कर सकेंगे। सत्यापन के लिये प्रोन्नति-पत्र निदेशक, उच्च शिक्षा, प्राचार्य एवं अन्य सभी की लॉगिन में उपलब्ध रहेगा।	निदेशक, उच्च शिक्षा	30 दिन
6. शिक्षक द्वारा प्रोन्नति-पत्र डाउनलोड कर प्राचार्य को उपलब्ध कराया जायेगा। प्राचार्य अपनी लॉगिन से उसका मिलान कर सत्यापित प्रतिलिपि शिक्षक को उपलब्ध करायेंगे।		

2- कृपया उपरोक्तानुसार निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एम0पी0 अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 1411 (1) /सत्तर-1-2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2– सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।

3– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

4– अपर मुख्य सचिव, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश।

5– कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

6– वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

7– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8– प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त राजकीय/अनुदानित/आटोनोमस महाविद्यालय, उ0प्र0। (द्वारा सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0)

9– वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग–11, उत्तर प्रदेश शासन।

10– वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

11– समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

12– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस शासनादेश को समस्त सम्बन्धित को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित कर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

13– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या–1567/सत्तर–3–2021–16(26)/2011टी.सी.
लखनऊ : दिनांक : 13 जुलाई, 2021

1. **कुलसचिव**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।
2. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 लागू किए जाने हेतु जारी शासनादेश दिनांक 20.04.2021 के संदर्भ में प्राप्त पृच्छाओं के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूची के अनुसार त्रिवर्षीय स्नातक (तीन विषय विकल्प आधारित) स्तर के 62 पाठ्यक्रम तैयार किये जा चुके हैं, जिन्हें ई–मेल द्वारा आपको उपलब्ध करा दिया गया है तथा उ0प्र0राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाईट (http://uphed.gov.in/Council/NEETI2021.aspx) पर अपलोड किया जा चुका है । स्नातक (शोध सहित) एवं परास्नातक विषयों के पाठयक्रमों की सूची एवं जानकारी कालान्तर में उपलब्ध करा दी जायेगी। यदि उ0प्र0राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाईट में वर्णित विषयों के अतिरिक्त आपके विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर कोई अन्य विषय संचालित है, तो उसका पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए तीन विषय विशेषज्ञों के नाम गूगल लिंक (https://forms.gle/vPP7c7Av2kUFGJiX9) पर एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराया जाय। यदि कोई विषय एक से अधिक विश्वविद्यालयों में चल रहा हो, तो वह भी सभी विश्वविद्यालयों में न्यूनतम समान पाठयक्रम के अनुरुप ही लागू होगा तथा उन विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए 'विषय विशेषज्ञ समूह' गठित किया जाएगा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप न्यूनतम समान पाठ्यक्रम तैयार करेंगें। स्नातक स्तर पर तृतीय वर्ष में संचालित मुख्य विषय के किसी पेपर का इलैक्टिव पेपर के रूप में अन्य पाठ्यकम (सिलेबस) का सुझाव विषय विशेषज्ञों से आमंत्रित है वे अपने सुझाव गूगल लिंक (https://forms.gle/vPP7c7Av2kUFGJiX9) पर दे सकते हैं।

2– शासनादेश संख्या 1065/सत्तर–3–2021–16 (26)/2011 दिनॉक 20–04–2021 के तारतम्य में शैक्षणिक सत्र 2021–22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम समान पाठ्यक्रम एवं "च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम" (CBCS) पर आधारित सेमेस्टर सिस्टम के संबंध में प्राप्त पृच्छाओं के निराकरण हेतु निम्नवत् स्पष्ट किया जाता है:–

1. न्यूनतम समान पाठ्यक्रम(Minimum Common Syllabus)

1.1 विश्वविद्यालय न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के रुप में उपलब्ध कराये गये पाठ्यक्रम में से कम से कम 70 प्रतिशत समान रखेंगे। उदाहरण के लिये यदि किसी पेपर हेतु तैयार किए गए न्यूनतम समान पाठ्यक्रम में 100 टॉपिक हैं, तो विश्वविद्यालय उनमें से कम से कम 70 टॉपिक रखेंगे तथा उसके अतिरिक्त 30, 40, 50 या कितने भी टॉपिक विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के अनुरुप रख सकते हैं।

1.2 पाठ्यक्रम संरचना में एक पेपर के क्रेडिट निर्धारित किए गए हैं; उस पेपर में सम्मिलित टॉपिक्स हेतु कितने–कितने क्रेडिट (व्याख्यानों की संख्या) रखे जाएगे, यह विश्वविद्यालय तय करेगा।

1.3 सूच्य है कि वर्तमान में विश्वविद्यालयों में संचालित तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अधिकांश विषयों के कन्टेन्ट में 70–80 प्रतिशत तक टॉपिक तीन वर्ष में समान हैं तथा तीन वर्ष के दौरान किसी एक वर्ष में पढाये जा रहे हैं।

2. **क्षेत्र (Scope)-**

2.1 यह व्यवस्था चिकित्सा (Medicine and Dental etc.)एवं तकनीकी शिक्षा (B.Tech, MCA etc.)के अतिरिक्त सभी संकायों के कार्यक्रमों पर लागू होगी।

2.2 विधि (बी0ए0–एल0एल0बी0,बी0एस0सी–एल0एल0बी0, एल0एल0बी0, एल0एल0एम0, इत्यादि), शिक्षक शिक्षा (बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड.,एम.पी.एड., इत्यादि) के लिये व्यवस्था का निर्धारण उनकी नियामक संस्थाओं के एन.ई.पी–2020 के अनुरुप नए पाठ्यक्रम व संरचना के आने पर किया जायेगा।

3. **परिभाषाएं–**

3.1 **पाठ्यक्रम/कार्यक्रम (Programme)**–

एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (शोध सहित) डिग्री, पॉच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि यथा–बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0कॉम, बी0एड0, बी0बी0ए0, बी0एल0ई0, एम0ए0, एम0एस0सी0, एम0कॉम, एल0एल0बी0, पी0एच0डी0 इत्यादि।

3.2 **संकाय (Faculty)-**

3.2.1 संकाय विषयों का समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।

3.2.2 विभिन्न विश्वविद्यालय में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है वह यथावत् रहेगी। संकायों का गठन किस प्रकार किया जाएगा, यह विश्वविद्यालय स्तर पर तय किया जाता है।

3.2.3 छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिये संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या 1267/सत्तर–3–2021–16 (26)/2011 दिनॉक 15–06–2021 के अनुसार होगी । भाषा संकाय एवं ग्रामीण अध्ययन संकाय को बहुविषयकता के लिये अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री कला संकाय (B.A.)की मिलेगी ।

3.3 **विषय (Subject)**-यथा

3.3.1 संस्कृत, हिन्दी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि ।

3.3.2 एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा ।

3.4 **कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र (Course/Paper)-** यथा

3.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा।

3.4.2 थ्योरी और प्रैक्टिकल के पेपर्स/प्रश्नपत्रों का कोड अलग–अलग होगा ।

4. **पाठ्यक्रम/कार्यक्रम लागू करने की समय सारणी**

सभी विश्वविद्यालय स्वयं तथा अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले कालेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरुप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को निम्नानुसार लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें :–

4.1 तीन विषय वाले सभी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों (बी0ए0, बी0एस0सी0 आदि) व बी0कॉम0 में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021–22 से लागू होगा।

4.2 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू होगा।

4.3 बी0ए0/बी0एस0सी0 ऑनर्स तथा एकल विषय स्नातक कार्यक्रमों में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू होगा।

4.4 पी0एच0डी0कार्यक्रम में नवीन व्यवस्था सत्र 2022–23 से लागू होगी ।

5. **मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर**

5.1 विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है।

5.2 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय सहित) से कर सकता है।

5.3 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है ।

5.4 छात्र को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं ।

5.5 माइनर इलैक्टिव कोर्स किसी भी विषय का पेपर (4/5/6 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय।

5.6 माइनर इलैक्टिव पेपर छात्र को किसी भी संकाय (Own faculty or Other faculty)से लेना होगा । इसके लिये किसी भी pre-requisiteकी आवश्यकता नहीं होगी ।

5.7 बहुविषयक्ता (Multidisplinarity)सुनिश्चत करने के लिये स्नातक स्तर पर माइनर इलैक्टिव पेपर सभी छात्रों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा ।

5.8 **तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर का चयन छात्र द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि इनमें से कम से कम एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय (Other faculty) से हो ।**

5.9 स्नातकोत्तर स्तर (प्रथम वर्ष) पर माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव अन्य संकाय से करना होगा।

5.10 विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय वर्ष (स्नातक) एवं चतुर्थ वर्ष (स्नातकोत्तर) में माइनर इलैक्टिव विषय (एक माइनर पेपर/प्रति वर्ष) लेना अनिवार्य होगा । विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय के पेपर को आवंटित कर सकता है। तृतीय, पॉचवें एवं छठवें वर्ष में माइनर इलैक्टिव पेपर अनिवार्य नहीं होगा।

5.11 विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलैक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।

5.12 माइनर इलैक्टिव पेपर का चुनाव संस्थान में संचालित विषयों के पेपर में से किया जायेगा । चुने हुए माइनर पेपर की कक्षायें फैक्लटी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ ही होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ होंगी।

5.13 सभी विषय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अन्य संकाय के छात्रों के लिये माइनर इलैक्टिव पेपर (4 केडिट का) तैयार कर सकते हैं। ऐसे माइनर इलैक्टिव कोर्स/पेपर का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज, विद्धत परिषद इत्यादि में नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा। इस प्रकार के इलैक्टिव पेपर की कक्षायें विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में अलग से होगीं एवं परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आयोजित होंगी।

6. **कौशल विकास कोर्स (Vocational/ Skill development Courses)**

6.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षो (चार सेमेस्टरर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स (3x4=12क्रेडिट के कुल चार पाठ्यक्रम) करना होगा।

7. **सह–विषय/कोर्स (Co-Curricular Courses)**

7.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षो (छः सेमेस्टरर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह–विषय/कोर्स करना अनिवार्य होगा ।

7.2 इन छः सह–विषयों के पाठ्यक्रम उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

7.3 हर सह–विषय/कोर्स को 40 प्रतिशत अंको के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना होगा । विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा ।

8. **शोध परियोजना (Research Project)**

8.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/पी.जी.डी.आर. स्तर पर विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर (पांचवें से ग्यारवें सेमेस्टर तक) में शोध परियोजना करनी होगी । विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना तथा चतुर्थ व पंचम वर्ष में वृह्द शोध परियोजना करनी होगी । पी.जी.डी.आर में शोध परियोजना का स्वरुप विश्वविद्यालय अपने प्री–पी.एच.डी. कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेगा।

8.2 विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय एवं चतुर्थ, पंचम, षष्टम वर्ष के मुख्य विषय से सम्बंधित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना interdisciplinary भी हो सकती है । यह शोध परियोजना इन्डसट्रियल ट्रेनिंग/इन्र्टरनशिप/ सर्वे वर्क इत्यादि के रुप में भी हो सकती है ।

8.3 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को–सुपरवाईजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकि संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है ।

8.4 विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Report/Dissertaion) जमा करेगा, जिसका मूल्यॉकन वर्ष के अंत में सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से 100 अंकों में से किया जायेगा।

8.5 स्नातक स्तर एवं पी.जी.डी.आर. के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा।

8.6 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी। शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मलित किया जायेगा।

9. **क्रेडिट एंव क्रेडिट निर्धारण**

9.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।

9.2 प्रैक्टिकल/इन्र्टनशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इन्र्टनशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल/इन्र्टनशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा।

9.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय "ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा–निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।

9.4 विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है । इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट

अर्जित करने पर चर्तुवर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी.आर. ले सकता है ।

एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा । उदाहरण के लिये यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे । यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (surrender) कर 46 क्रेडिट को खाते में री–क्रेडिट (re-credit) करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46)क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है । इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी । यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

9.5 यदि कोई योग्य छात्र (Fast learner)कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिये स्वतंत्र होगा ।

9.6 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे ।

9.7 तीन वर्ष में विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों के कुल केडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत केडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा, उसी संकाय में उसे डिग्री दी जायेगी।

9.8 यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, तीन मुख्य विषयों के कुल केडिट का न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट (112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट)प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल ऐजूकेशन (B.L.Ed.)की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरिक्विजाइट (prerequisite)की आवश्यकता नहीं होगी।

9.9 यदि कोई योग्य छात्र सर्टीफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट री–क्रेडिट (re-credit)कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह री–क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है ।

10. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण

10.1 क्रेडिट वेलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे ।

10.2 परीक्षा देने के लिये पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

10.3 यदि कोई छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है । उसे पुनः कक्षायें लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

11. प्रवेश नियमावली एवं प्रक्रिया तथा समय–सारणी (Time table)

11.1 विश्वविद्यालय सभी शिक्षण संस्थानों हेतु प्रवेश नियमावली तथा प्रक्रिया शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुरुप एक माह के भीतर तैयार करना सुनिश्चित करें जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का समयान्तर्गत सत्र 2021–22 से क्रियान्वयन किया जा सके।

11.2 विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षण संस्थान प्रवेश प्रारम्भ होने से पूर्व अपनी समय–सारणी (Time table) तैयार कर लें, जिससे छात्र प्रवेश के समय अन्य

संकाय के उन विषयों का चुनाव कर सकें जिनकी कक्षायें अलग समय पर संचालित होतीं हों तथा उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो ।

11.3 सभी शिक्षण संस्थान समय–सारणी (Time table) ऐसे तैयार करें कि छात्रों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हों ।

3– विश्वविद्यालयों से अपेक्षा है कि कृपया शासनादेश सं0 1065/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 दिनांक 20.04.2021 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021–22 से "च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम" (CBCS) पर आधारित सेमेस्टर सिस्टम एवं न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को लागू करना सुनिश्चित करें, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के उद्देश्यों के अनुरुप प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों के मध्य अकादमिक क्रेडिट ट्रांसफर सम्भव हो सके।

संलग्नक–यथोक्त।

(मोनिका एस.गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–1567 (1)/सत्तर–3–2021, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

2– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

14. स्नातक व स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की वर्षवार संरचना

		Subject I	Subject II	Subject III	Subject IV	Vocational	Co-Curricular	Industrial Training/ Survey/ Research Project	{Minimum Credits} For the year	{Cummulative Minimum Credits} Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree
		Major	Major	Major	Minor Elective	Minor	Minor	Major		
		4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	3 Credits		4 Credits		
Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Own/ Other Faculty	OtherSubject/ Faculty	Vocational/ Skill Development Course	Co-CurricularCourse (Qualifying)	Inter/Intra Faculty related to main Subject		
1	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		46	{46} Certificate in Faculty
	II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
2	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		46	{92} Diploma in Faculty
	IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
3	V	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)	40	{132} Bachelor in Faculty
	VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)		
4	VII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)			1 (4/5/6)			1 (4)	52	{184} Bachelor (Research) in Faculty
	VIII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
5	IX	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)	48	{232} Master in Faculty
	X	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
6	XI	2 (6)	1 (4) Research Methodology					1 (Qualifying)	16	{248} PGDR in Subject
6,7,8	XII-XVI							Ph. D. Thesis		Ph.D. in Subject

Note: **Blue Colour: No. of papersRed colour: Credits Purple colour: Non-Credit Qualifying Courses; Th-Theory, Pract-Practical**

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–1815 / सत्तर–3–2021–16(26) / 2011

प्रेषक,

मोनिका एस.गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **कुलपति**
समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

2. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3

लखनऊ : दिनांक 09 अगस्त, 2021

विषयः–राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 लागू किये जाने के परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रम में कौशल विकास कार्यक्रमों तथा एन.सी.सी को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

अवगत हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि छात्रों में मौलिक और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करें। छात्रों में भारतीय होने का गर्व विचार में ही नहीं बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों के साथ–साथ ज्ञान, कौशल, मूल्यों तथा सोच में भी होना चाहिए। इसकी प्रतिपूर्ति पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी) को वैकल्पिक विषय पेपर के रुप में शामिल करने से हो सकती है। छात्रों में अनुशासन, देश–प्रेम की भावना विकसित करने के साथ–साथ "राष्ट्रीय केडेट कोर" उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने में भी मदद करती है। देखा गया है कि कुछ योग्य विद्यार्थी इसे लेने से बचते हैं क्योंकि उन्हें इससे उनके अध्ययन प्रभावित होने का डर होता है । अतः निर्णय लिया गया है कि एन.सी.सी. को वैकल्पिक विषय / पेपर के रुप में पढ़ाने से इसकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी और विद्यार्थियों का अध्ययन भार भी कम होगा।

2– उक्त के आलोक में राष्ट्रीय केडेट कोर (एन.सी.सी) को आगामी सत्र से उ0प्र0 के सभी विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों में वैकल्पिक विषय (लघु Minor) / पेपर के रुप में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है। यह पेपर 12 क्रेडिट का होगा ।

3– उक्त वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में राज्य समिति का गठन किया गया है, जिसमें एन.सी.सी. निदेशालय, राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम समिति के प्रतिनिधि एवं ए.एन.ओ को सम्मिलित किया गया है। समिति शीघ्र ही एन.सी.सी.–वैकल्पिक विषय का पाठ्यक्रम उपलब्ध करायेगी। विश्वविद्यालयों द्वारा एन.सी.सी.–वैकल्पिक विषय (लघु Minor) के लिये बनाई गई विद्वत सभा (BoS) में ए.डी.जी., एन.सी.सी. निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा नामित एक सदस्य तथा कुलपति द्वारा एक ए.एन.ओ को भी रखा जायेगा।

4– आरम्भ में एन.सी.सी.–वैकल्पिक विषय (लघु Minor) सिर्फ एन.सी.सी. कैडेट के लिये ही उपलब्ध होगा, परन्तु कालांतर में संसाधनों के दृष्टिगत सभी छात्रों के लिये उपलब्ध कराया जायेगा तथा तद्नुसार पाठ्यक्रम में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जायेगा।

5– इस सम्बन्ध में उ0प्र0 के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2021–22 लागू किये जाने विषयक शासन के पत्र संख्या–1065/सत्तर–3–2021–16(26)/2011, दिनांक 20.04.2021 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त के आलोक में राष्ट्रीय केडेट कोर (एन.सी.सी) को आगामी सत्र से पाठ्यक्रम में वैकल्पिक विषय (लघु Minor)/पेपर के रुप में सम्मिलित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।

भवदीया,

9/8

(मोनिका एस.गर्ग)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या–1015 (1)/सत्तर–3–2021, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

2– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

3– मेजर जनरल राकेश राणा, अपर महानिदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय, उ0प्र0।

4– ले0 कर्नल अशोक मोर, आई0आई0टी0, कानपुर उ0प्र0।

आज्ञा से

(हरेन्द्र कुमार सिंह)

उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या–1969/सत्तर–3–2021
लखनऊ:: दिनांक 18 अगस्त, 2021

1– **कुलपति**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2– **निदेशक**,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0
प्रयागराज।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में विभिन्न स्नातक छात्रों को रोजगार परक शिक्षा देने पर बल दिया गया है। तत्क्रम में उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्रों के लिये रोजगार परक पाठ्यक्रमों की समुचित व्यवस्था की जानी अपेक्षित है। शासनादेश संख्या 1065/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 दिनॉक 20–04–2021 एवं पत्र संख्या– 1567/सत्तर–3–2021–16 (26)/2011टी.सी. दिनॉक 13–07–2021 के क्रम में रोजगार परक पाठ्यक्रम लागू किये जाने हेतु निम्नवत् दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं–

1. समझौता ज्ञापन (MoU)

1.1 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तर पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग के साथ किये गये समझौता ज्ञापन (MoU) के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या–602/सत्तर–3–2021–08(35)/2020 दिनांक 22.02.2021 के कम में विश्वविद्यालय एवं कालेज द्वारा स्थानीय स्तर पर समझौता ज्ञापन (MoU) किए जाने अपेक्षित हैं।

1.2 संचालित किये जाने वाले रोजगार परक पाठयक्रमों के लिये शिक्षण संस्थान निकटस्थ उद्योग, आई0टी0आई0, पॉलीटैक्निक, इंजीनियरिंग कालेज, शिल्पकार, पंजीकृत उद्यमों, विशेषज्ञ व्यक्तियों आदि से समन्वय करेंगे ।

1.3 सरकार द्वारा चलाये जा रहे रोजगार परक पाठयक्रमों/प्रशिक्षण/इन्टर्नशिप के लिये शिक्षण संस्थान सम्बंधित विभागों से समन्वय करगें ।

1.4 MoU करते वक्त विद्यार्थी की कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिये विशेष ध्यान रखा जाये।

1.5 MoU में विद्यार्थी को ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप के दौरान नियमानुसार मानदेय के लिये यथा सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए।

2. समय सारणी

प्रशिक्षण/इन्टर्नशिप अवकाश के समय अथवा कालेज समय–सारणी के पश्चात करायी जा सकती है अथवा इसके लिये सप्ताह में एक दिन निर्धारित किया जा सकता है।

कालेज समय–सारणी में इन कोर्स को यथा संम्भव आरम्भ (प्रातः) अथवा अंत (सांय) में रखा जा सकता है, ताकि सभी विषयों के विद्यार्थी सुगमता से इसका लाभ उठा सकते है।

3. सीट निर्धारण

कालेज में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर विभिन्न पाठयक्रम तैयार किये जाये तथा स्किल पार्टनर से वार्ता कर सीट निर्धारण किया जाना उचित होगा।

4. परीक्षा

4.1 थ्योरी/समान्य भाग की परीक्षा (1 क्रेडिट) विश्वविद्यालय/कालेज द्वारा करायी जायेगी तथा ट्रेनिंग/इर्न्टरनशिप (2 क्रेडिट) की परीक्षा स्किल पार्टनर द्वारा करायी जायेगी ।

4.2 स्किल पार्टनर विद्यार्थी के द्वारा ट्रेनिंग/इर्न्टरनशिप के दौरान किये गये कार्य तथा ऑनलाइन/ऑफलाइन परीक्षा के आधार पर उसके स्किल का आंकलन कर सकते हैं ।

4.3 Theory and Skill के अंक प्राप्त होने के पश्चात समयान्तर्गत कालेज द्वारा पोर्टल पर अंक अपलोड किये जायेंगे।

4.4 विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अंकतालिका/डिग्री में उक्त रोजगार परक विषय का विवरण अंकित किया जायेगा।

4.5 इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय/कालेज एवं स्किल पार्टनर संयुक्त रुप से विद्यार्थी को अलग से भी सर्टीफिकेट जारी कर सकते हैं ।

5. पाठ्यक्रम

5.1 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय रोजगार परक विषयों/पेपर के पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, जिन्हें विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम समिति, विद्धुत परिषद एवं कार्यपरिषद इत्यादि से नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा ।

5.2 पाठ्यक्रम स्किल पार्टनर/स्किल डेवलपमेन्ट काउसिंल आदि के सहयोग से यू0जी0सी0/एन0एस0क्यू0एफ0 आदि की गाइडलाइन्स के अनुसार बनाया जायेगा।

5.3 जिन ट्रेड में यू0जी0सी0/एन0एस0क्यू0एफ0/स्किल डवलपमेंट काउसिंल/शासकीय विभाग के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, उनमें उन पाठ्यक्रमों को वरीयता दी जानी उचित होगी ताकि छात्रों के प्लेसमेंट/इर्न्टनशिप में उनका सहयोग प्राप्त हो सके ।

5.4 विभिन्न विषयों में विभागाध्यक्ष/शिक्षक द्वारा तैयार पाठ्यक्रमों में सामान्य/थ्योरी एवं स्किल/ट्रेनिंग/इर्न्टरनशिप/लैब का अनुपात 40:60 होगा तथा ऐसे पाठ्यक्रमों के लिये स्किल पार्टनर के साथ एम0ओ0यू0 की व्यवस्था विश्वविद्यालय/कालेज प्रशासन करेगा ।

5.5 समान्य/थ्योरी पाठयक्रम का एक क्रेडिट–15 घंटो का तथा स्किल का एक क्रेडिट–30 घंटो का होगा अर्थात 3 क्रेडिट के पाठयक्रम में 15 घंट की थ्योरी (1 क्रेडिट) तथा 60 घंटे की ट्रेनिंग/इर्न्टरनशिप/लैब (2 क्रेडिट) होगी ।

6. पाठ्यक्रम का प्रकार

6.1 पाठ्यक्रम दो प्रकार के हो सकते हैं–

6.1.2 Individual nature – एक सेमेस्टर में पूर्ण होने वाले पाठ्यक्रम

6.1.3 Progressive nature – एक ही पाठ्यक्रम जिसकी विशेषज्ञता प्रत्येक सेमेस्टर के साथ बढती जायेगी, परन्तु किसी भी सेमेस्टर में छोडने पर वह पूर्ण हो सके।

6.2 विद्यार्थी अपनी पसंद एवं सुविधानुसार पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकेंगे ।

7. क्रेडिट

रोजगार परक पाठ्यक्रम से प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थी को न्यूनतम 3 क्रेडिट अर्थात् प्रति वर्ष 6 क्रेडिट अर्जित करने होंगे। विद्यार्थी आवश्यकता से अधिक क्रेडिट वाले रोजगार परक पाठयक्रम का चुनाव कर सकते है तथा उन्हें जमा कर सकते हैं, परन्तु एक वर्ष में 6 क्रेडिट/दो वर्ष में 12 क्रेडिट का उपयोग सर्टीफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त करने में किया जायेगा ।

कृपया उपरोक्तानुसार अपने स्तर पर कार्ययोजना बनाकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।

भवदीया

(मोनिका एस0 गर्ग)
अपर मुख्य सचिव

संख्या–1969 (1)/सत्तर–3–2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

2– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

Format for syllabus development of Skill development course

Title of course-	
Nodal Department of HEI to run course	
Broad Area/Sector-	
Sub Sector-	
Nature of course - Independent / Progressive	
Name of suggestive Sector Skill Council	
Aliened NSQF level	
Expected fees of the course –Free/Paid	
Stipend to student expected from industry	
Number of Seats-.............	Credits- 03 (1 Theory, 2 Practical)
Course Code-..............	
Max Marks...100...... Minimum Marks.........	
Name of proposed skill Partner (Please specify, Name of industry, company etc for Practical /training/ internship/OJT	
Job prospects-Expected Fields of Occupation where student will be able to get job after completing this course in (Please specify name/type of industry, company etc.)	

Syllabus

Unit	Topics	General/ Skill component	Theory/ Practical/ OJT/ Internship/ Training	No of theory hours (Total-15 Hours=1 credit)	No of skill Hours (Total-60 Hours=2 credits)
I					
II					
III					
IV					
V					
VI					

Suggested Readings:

Suggested Digital platforms/ web links for reading-

Suggested OJT/ Internship/ Training/ Skill partner

Suggested Continuous Evaluation Methods:

Course Pre-requisites:

- No pre-requisite required, open to all
- To study this course, a student must have the subject .... in class/12th/ certificate/diploma
- If progressive, to study this course a student must have passed previous courses of this series.

Suggested equivalent online courses:

Any remarks/ suggestions:

Notes:

- Number of units in Theory/Practical may vary as per need
- Total credits/semester-3 (it can be more credits, but students will get only 3credit/ semester or 6credits/ year
- Credits for Theory =01 (Teaching Hours = 15)
- Credits for Internship/OJT/Training/Practical = 02 (Training Hours = 60)

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या–2058/सत्तर–3–2021–08(33)/2020टी.सी.
लखनऊ:: दिनांक– 26 अगस्त, 2021

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के परिप्रेक्ष्य में छात्र मूल्यांकन एवं मूल्यांकन विधियों के सम्बन्ध में।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए छात्रों का समयबद्ध, सतत एवं पारदर्शी मूल्यांकन आवश्यक है, ताकि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे। इस उद्देश्य से विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रों के मूल्यांकन हेतु प्रणाली निर्धारित किया जाना आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में कतिपय मार्गदर्शी सिद्धान्त नीचे उल्लिखित किए जा रहे है। ज्ञातव्य हो कि ये सिद्धान्त मात्र सांकेतिक/परिचायक (indicative) हैं। विश्वविद्यालयों से अपेक्षा है कृपया इन्हें ध्यान में रखते हुए अपने स्तर पर Academic Council, Executive Council आदि में गहन विचार–विमर्श करके छात्र मूल्यांकन के मानक और विधियाँ निर्धारित कर लें। Semester-end exam के अतिरिक्त continuous and comprehensive evaluation अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। किस मानक (parameter) को कितनी weightage दी जानी चाहिए, उसका आंकलन करने के लिए क्या प्रक्रिया एवं व्यवस्था बनायी जानी चाहिए, इन बिन्दुओं पर सक्षम प्राधिकारियों के स्तर पर चर्चा कर विश्वविद्यालय द्वारा शीघ्र निर्णय लिया जाना अपेक्षित हैं।

2. छात्र मूल्यांकन सतत, व्यापक एवं समग्र होना चाहिए। यह मूल्यांकन निम्न मानकों पर किया जा सकता है:–

i. शैक्षणिक मूल्यांकन (Academic assessment)
ii. कौशल मूल्यांकन (Skill assessment)
iii. शारीरिक मूल्यांकन (Physical assessment)
iv. व्यक्तित्व मूल्यांकन (Personality assessment)
v. बहिमुर्खी मूल्यांकन (Extracurricular assessment)
vi. स्वमूल्यांकन (Self assessment)

(i) **शैक्षणिक मूल्यांकनः–**

(क) सतत आंतरिक मूल्यांकनः (Continuous Internal Assessment)– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में छात्रों के सतत आंतरिक मूल्यांकन पर विशेष बल दिया गया है। आंतरिक मूल्यांकन में शैक्षणिक गतिविधियों से सम्बन्धित विभिन्न कार्य कराए जाने चाहिए जिससे छात्रों का बहुमुखी विकास हो। उदाहरण के लिए project, seminar, role play, quiz, puzzle, test, pratical, survey, book review, student

parliament, screenplay, essay, exhibition, fair, educational, visit आदि कार्यो को सतत आंतरिक मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है।

आंतरिक मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं/प्रतियोगिताओं/गतिविधियों का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें छात्र उपस्थिति (विशेषकर राष्ट्रीय पर्वों व अन्य महत्वपूर्ण दिवसों पर) एवं विभिन्न सामाजिक कार्यो में प्रतिभागिता आदि को सम्मिलित किया जा सकता हैं।

(ख) बाहरी मूल्यांकनः– बाहरी मूल्यांकन का कार्य सम्बद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।

(ii) <u>कौशल मूल्यांकन :–</u>

कौशल से सम्बन्धित विषय का मूल्यांकन सम्बन्धित उद्योग तथा उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए। चूँकि कौशल विकास में ट्रेनिंग का अधिक महत्त्व है, अतः ट्रेनिंग से सम्बन्धित कार्य को 60% तथा परीक्षा (theoretical knowledge) को 40% के आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता है।

(क) उद्योग द्वारा किए जाने वाला मूल्यांकन– इसमें कार्यस्थल पर ट्रेनिंग, उद्योग में ट्रेनिंग, internship, apprenticeship, field work आदि कार्य कराए जा सकते है।

(ख) सम्बन्धित उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा किए जाने वाला मूल्यांकन– परीक्षा का कार्य सम्बन्धित उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा किए जाएगा जिसमें वे लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन कर सकते है।

महाविद्यालय विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित करके कौशल विकास उपरान्त मूल्यांकन हेतु परीक्षा आयोजित कर सकते है।

(iii) <u>व्यक्तित्व मूल्यांकन :–</u>

विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास पर उच्च शिक्षण संस्थानों को ध्यान देना होगा तथा निम्न कार्यो के द्वारा व्यक्तित्व विकास तथा उसका मूल्यांकन किया जा सकता है:– भाषा (language) एवं सॉफ्ट स्किल (soft- skill), grooming, mock interview, social skill, राष्ट्रीय पर्वो एवं विशिष्ट दिवसों में प्रतिभागिता, आदि।

विद्यार्थियो द्वारा सांस्कृतिक, अकादमिक, रचनात्मक या सामाजिक क्षेत्रों में से किसी एक में अपनी रूचि अनुसार कार्य किया जा सकता है।

(iv) <u>शारीरिक मूल्यांकनः–</u>

स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है, इसलिए शारीरिक क्षमता विकसित करने की दिशा में समय समय पर इसका मूल्यांकन निम्न आधार पर किया जा सकता है:– खेल गतिविधियां, योग, स्वास्थ्य परीक्षण (health checkups), मनोवैज्ञानिक क्षमता, आदि।

प्रवेश के समय विद्यार्थियों द्वारा किसी खेल का चयन किया जा सकता है तथा संस्थान द्वारा विभिन्न स्पर्धाओं के माध्यम से उनका मूल्यांकन किया जा सकता है।

(v) <u>बहिर्मुखी मूल्यांकनः–</u>

शिक्षण संस्थानों में विभिन्न प्रकार की co-curricular एवं extra-curricular गतिविधियां लगातार संचालित होती रहती है, जिससे छात्र की प्रतिभा का पता लगता

है। शिक्षा संस्थानों को ऐसी सभी extra-curricular गतिविधियों का मूल्यांकन कर छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए और यदि संभव हो, तो इनके परिणाम को भी मार्कशीट में अंकित करने पर विचार किया जा सकता है।

(Vi) स्वमूल्यांकन :–

छात्रों का आत्मबल बढाने के लिए उन्हें स्व मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। यदि यह स्व–मूल्यांकन ऑनलाइन माध्यम से स्व निर्देशात्मक सामाग्री (auto-instructional material) के अन्तर्गत हो सके, तो इसमें पारदर्शिता बनी रहेगी, और छात्र को भी अपने सही स्तर की जानकारी हो जाएगी। उदाहरण के लिए, जब छात्र कोई ई–कन्टेन्ट ऑनलाइन सामग्री पढ़ता है, तो उसके बाद उसे सम्बन्धित ई–कंटेन्ट के चार–पॉच प्रश्नों का उत्तर देना होगा, तभी वह अगला ई–कंटेन्ट तथा चैप्टर पढ़ सकेगा, इसे पूर्व ज्ञान (prerequisite knowledge) की तरह भी देखा जा सकता है।

3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप शैक्षिक सत्र 2021–22 दिनांक 13 सितम्बर, 2021 से प्रारम्भ हो रहा है। मूल्यांकन के उपरोक्त पहलुओं को indicative (not exhaustive) मानते हुए अनुरोध है कि छात्र मूल्यांकन हेतु मानक, उनके वेटेज, उनके आकलन की प्रक्रिया आदि का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा अविलम्ब कर लिया जाय और छात्रों को समय से इसकी जानकारी उपलब्ध करा दी जाय ताकि पारदर्शिता एवं एकरूपता बनी रहे।

भवदीया,

मोनिका एस0 गर्ग
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–258 /सत्तर–3–2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(श्रवण कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या– 2090 /सत्तर–3–2024–09(01)/2023(L4)
लखनऊ : दिनॉक : 02 अगस्त, 2024

1. **कुलपति,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

जैसा कि आप अवगत हैं कि प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 लागू किये जाने विषयक शासनादेश संख्या–1567/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 टी.सी. दिनांक 13.07.2021 के माध्यम से प्रदेश स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को चार वर्षीय डिग्री प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गयी है।

2– उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) द्वारा माह दिसम्बर, 2022 में Curricular & Credit Framework for Four Year Undergraduate Programme (FYUP) जारी किया गया है। यू0जी0सी0 द्वारा जारी उक्त फ्रेमवर्क के अनुरूप VC's समिति के सुझाव पर प्रदेश की Curricular & Credit Framework for Four Year Undergraduate Programme (FYUP) नीति तैयार की गयी है, जिसे संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय कृपया इन पर विचार करना चाहें तथा सक्षम निकायों/प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करके शैक्षिक सत्र 2024–25 से लागू करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त।

(एम0पी0 अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
2– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
3– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ।
4– प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा, कु0 मायावती राजकीय महिला महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर।

आज्ञा से,

(शिपू गिरि)
विशेष सचिव।

संलग्नक

स्नातक/चार वर्षीय स्नातक/परास्नातक कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों की संरचना
(Structure of UG, FYUP and PG Programmes)

1. संदर्भ (Introduction)-

यू0जी0सी0 द्वारा जारी किये गये Curriculum & Credit Framework for Four Year Undergraduate Programme (FYUP) में 20 Credit प्रति सेमेस्टर का प्रावधान है जबकि उत्तर प्रदेश में शासनादेश संख्या–1567/सत्तर–3–2021–16(26)/2011टी.सी., दिनांक 13 जुलाई, 2021 द्वारा लागू NEP-2020 की संरचना में Credits अधिक हैं। शिक्षकों एवं छात्रों की ओर से भी पिछले दो वर्षो में यह महसूस किया जा रहा है कि छात्रों पर Credits का भार ज्यादा है और उसे कुछ कम किया जा सकता है। अतः उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के वर्तमान UG-PG पाठ्यक्रम संरचना में UGC-FYUP के 20 क्रेडिट/सेमेस्टर के प्रावधान को अंगीकृत करते हुए संशोधित तालिकायें तथा उनका विस्तृत विवरण निम्नवत् है :–

2. **क्षेत्र (Scope)-**

2.1 (अ) यह व्यवस्था कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि संकायों में त्रिवर्षीय बहुविषयक स्नातक तथा चार वर्षीय स्नातक (मानद व मानद शोध सहित) यथा बी0ए0, बी0एससी0 एवं बी0काम0 तथा एकल विषय परास्नातक यथा एम0ए0, एम0एससी0, एम0काम0 कार्यक्रमों में लागू होगी।

(ब) त्रिवर्षीय एकल विषय स्नातक, स्नातक (आनर्स), यथा बी0एससी0 (माइक्रोबाओलोजी) इत्यादि तथा एकल विषयक/संकाय स्नातक यथा बी0सी0ए0, बी0बी0ए0 आदि कार्यक्रमों में भी लागू होगी।

2.2 (अ) त्रिवर्षीय स्नातक स्तर पर विभिन्न विषयों के न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus) पूर्व में ही उपलब्ध करा दिये गये हैं। वह आगे भी लागू रहेंगे।

(ब) चार वर्षीय स्नातक (FYUP) कोर्स का पाठ्यक्रम स्नातक के तीन वर्ष एवं परास्नातक के प्रथम वर्ष को जोड़कर माना जायेगा, पृथक से नये पाठ्यक्रम बनाने की आवश्यकता नहीं होगी।

2.3 (अ) बहुविषयक त्रिवर्षीय स्नातक, चार वर्षीय स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड), चार वर्षीय स्नातक (मानद) एवं स्नातक (मानद शोध सहित), परास्नातक एवं प्री–पीएच.डी. कोर्स वर्क इत्यादि में विषयों तथा क्रेडिट्स की विस्तृत जानकारी तालिका–1 में दी गई है।

(ब) त्रिवर्षीय एकल विषय स्नातक, स्नातक (आनर्स), यथा बी0एससी0 (माइक्रोबाओलोजी) इत्यादि तथा एकल विषयक/संकाय स्नातक यथा बी0सी0ए0, बी0बी0ए0 आदि के लिए व्यवस्था तालिका–2 में दी गई है।

2.4 यह सभी व्यवस्थायें सत्र 2024–25 से लागू होंगी।

2.5 अन्य संकायो अथवा कार्यक्रमों यथा–चिकित्सा, तकनीकी, शिक्षक शिक्षा, कृषि, विधि आदि में नियामक संस्थाओं के नियम लागू होते हैं, उन के लिए व्यवस्था का निर्धारण नियामक संस्थाओं यथा–एम0सी0आई0, ए0आई0सी0टी0ई0, एन0सी0टी0ई0, बी0सी0आई0 आदि के एन0ई0पी0–2020 के अनुरूप नए पाठ्यक्रम व संरचना आने पर किया जायेगा।

3. परिभाषाएं–

3.1 पाठ्यक्रम/कार्यक्रम (Programme)–

एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) डिग्री एवं स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड), पॉच वर्ष की

स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि यथा–बी0ए0, बी0एससी0, बी0कॉम, बी0एड0, बी0बी0ए0, बी0एल0ई0, एम0ए0, एम0एससी0, एम0कॉम0, एल0एल0बी0, पीएच0डी0 इत्यादि।

3.2 संकाय (Faculty)-

3.2.1 संकाय विषयों का समूह है यथा–कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।

3.2.2 छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिये संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या–1267/सत्तर–3–2021–16(26)/2011, दिनॉक 15.06.2021 के अनुसार होगी।

3.2.3 उक्त शासनादेश में निर्धारित कतिपय संकायों को यू0जी0सी0 के सुझाव के अनुसार और अधिक विभाजित किया जा रहा है। जैसे कि विज्ञान संकाय को गणितीय विज्ञान, जैविक विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान संकाय इत्यादि तथा भाषा संकाय को भारतीय व विदेशी भाषा संकायों इत्यादि में। उक्त के लिए पृथक से शासनादेश जारी किया जायेगा।

3.2.4 कला एवं विज्ञान संकायों में विभाजन को बहुविषयकता के लिये अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री क्रमशः कला संकाय (B.A.) एवं विज्ञान संकाय (B.Sc.) की ही मिलेगी। इसी प्रकार ग्रामीण विज्ञान जो कि कला संकाय से विभाजित हुआ है, में भी कला संकाय (B.A.) की डिग्री मिलेगी।

3.2.5 संकायों में विषयों के वर्गीकरण की यह व्यवस्था मात्र विषय कोडिंग एवं छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने हेतु है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, वह यथावत् रहेगी। (शासनादेश संख्या–1276/सत्तर–3–2021–16(26)/2011, दिनॉक 16–06–2021)

3.3 विषय (Subject)- यथा

3.3.1. संस्कृत, हिन्दी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि।

3.3.2. एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा।

3.4 कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र (Course/Paper)-

3.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा।

3.4.2 थ्योरी, प्रैक्टिकल और शोध परियोजना के पेपर्स/प्रश्नपत्रों का कोड अलग–अलग होगा।

4. मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर विषय के इलेक्टिव पेपर

4.1 प्रारम्भ में विद्यार्थी का प्रवेश तीन वर्ष की स्नातक डिग्री हेतु होगा। चौथे वर्ष में विद्यार्थी चार वर्ष की स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) एवं स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड) डिग्री में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।

4.2 (अ) विश्वविद्यालय इच्छुक संस्थानों को चार वर्षीय स्नातक (FYUP) की मान्यता/सम्बद्धता नये कोर्स के रुप में नियमानुसार प्रदान कर सकते हैं।

(ब) विश्वविद्यालय इच्छुक संस्थानों के आवेदन करने पर तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय के नियमानुसार चार वर्षीय स्नातक पाठ्यकम (FYUP) में उच्चीकृत कर सकते हैं।

4.3 (अ) विद्यार्थी को प्रवेश के समय बी.ए., बी.एस.सी, बी.कॉम आदि में से किसी एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का चयन करना होगा और उसे उस पाठ्यक्रम के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चयन करना होगा। इसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को डिग्री मिलेगी। पाठ्यक्रम के चयनित

विषयों का अध्ययन वह तीन/चार वर्ष (प्रथम से छठे/अष्ट्म सेमेस्टर) तक कर सकता है। यदि वह किसी वर्ष/वर्षों में विषय परिवर्तित करता है तो उसे बिन्दु 8.8 के अनुसार डिग्री दी जायेगी।

(ब) चार वर्षीय स्नातक (मानद) एवं स्नातक (मानद शोध सहित) डिग्री के लिए चतुर्थ वर्ष में विद्यार्थी उपरोक्त दो मेजर विषयों में से किसी एक विषय (जिसका अध्ययन विद्यार्थी ने अनिवार्य रुप से पूर्व के तीन वर्षों/छः सेमेस्टर में किया है) का चयन करेगा तथा सप्तम व अष्टम् सेमेस्टर्स में भी उसी विषय को पढ़ेगा।

(स) तीन वर्षीय स्नातक के पश्चात विद्यार्थी किसी नये विषय में परास्नातक में प्रवेश ले सकता है (जिसमें Pre-requistie के अनुसार वह अर्ह है), परन्तु एक वर्ष की परास्नातक/चतुर्थ वर्ष की पढ़ाई के बाद उसे कोई डिग्री अथवा डिप्लोमा नहीं मिलेगा। दो वर्ष पूर्ण एवं उत्तीर्ण करने पर ही उसे उस विषय में परास्नातक की डिग्री मिलेगी।

(द) त्रिवर्षीय स्नातक के अध्ययन के पश्चात चार वर्षीय डिग्री के लिए भी विद्यार्थी को उस विषय में परास्नातक में नया प्रवेश लेना होगा जो कि विश्वविद्यालय में प्रचलित प्रवेश प्रक्रिया के अनुरूप परास्नातक की उपलब्ध सीटों पर किया जायेगा।

4.4 विद्यार्थी द्वारा तीसरे गौण (माइनर) विषय का चयन बहुविषयकता के लिए किसी भी अन्य संकाय से विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में सीट उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

4.5 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय परिवर्तित कर सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।

4.6 विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।

4.7 तीसरे गौण (माइनर) विषय का कोर्स किसी भी विषय का इलेक्टिव पेपर (6 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय। इस कोर्स के चुनाव में Pre-requisite का ध्यान रखा जाना आवश्यक नहीं है। विश्वविद्यालय अपने स्तर पर यह निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स गौण (माइनर) विषय के रूप में दिया जा सकता है।

4.8 सभी विश्वविद्यालय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अन्य संकाय/विषय के छात्रों के लिये माइनर इलैक्टिव पेपर (6 क्रेडिट का) तैयार कर सकते हैं। ऐसे माइनर इलैक्टिव कोर्स/पेपर का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज, विद्वत परिषद् इत्यादि में नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा। इस प्रकार के इलैक्टिव पेपर की कक्षायें विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में अलग से होगी तथा परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आयोजित होंगी।

4.9 विश्वविद्यालय माइनर पेपर/स्किल कोर्स के लिये स्वयम् (SWAYAM) पोर्टल एवं अन्य मान्यता प्राप्त आनलाईन संस्थानों की वेबसाइट पर उपलब्ध कोर्स की सूची बनाकर संस्तुत कर सकते हैं। उक्तानुसार संस्तुत कोर्स का अध्ययन विद्यार्थी स्वयम् (SWAYAM) एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों की वेबसाइट से निःशुल्क कर सकते हैं तथा विश्वविद्यालय इन कोर्सो की परीक्षा माइनर पेपर के साथ करायेंगे।

4.10 यदि विद्यार्थी उक्त कोर्सेज को स्वयम् (SWAYAM) अथवा अन्य मान्यता प्राप्त आनलाईन संस्थानों से परीक्षा देकर उत्तीर्ण करता है, तो वह इसका सर्टीफिकेट अपने महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में जमा करेगा। माइनर पेपर्स के लिये अधिकतम 12 क्रेडिट तथा स्किल कोर्स के लिये अधिकतम 9 क्रेडिट मान्य होंगे तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ग्रेड प्वाइन्ट्स इन्हीं क्रेडिट को दिये जायेंगे तथा SGPA/CGPA की गणना की जायेगी।

4.11 एन0सी0सी0 को शासनादेश संख्या–1815/सत्तर–3–2021–16(26)/2011, दिनांक 09.08.2021 में वर्णित व्यवस्थानुसार माइनर विषय के क्रेडिट प्रदान किये जा सकते हैं।

5. कौशल विकास कोर्स (Vocational /Skill development Courses)

5.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षो (प्रथम तीन सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स (3x3=9 क्रेडिट के कुल तीन पाठ्यक्रम) करना अनिवार्य होगा।

5.2 उक्त कौशल विकास कोर्स पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–1969/सत्तर–3–2021, दिनांक 18 अगस्त, 2021 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संचालित किये जाएं।

5.3 यदि विद्यार्थी यू0जी0सी0/PMKVY 4.0/केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से तीन या उससे अधिक क्रेडिट का कोई ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन कौशल विकास कोर्स करता है, तो उसे उतने ही क्रेडिट प्रदान कर दिए जायेंगे। स्नातक के लिए कुल 9 क्रेडिट अर्जित करना आवश्यक है। विद्यार्थी अधिकतम् 9 क्रेडिट (एक साथ/अलग–अलग) को कम अथवा अधिक समय में पूरे कर सकते हैं।

6. सह–पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स (Co-Curricular Courses)

6.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में दो क्रेडिट का एक सह–पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स करना अनिवार्य होगा अर्थात कुल 8 क्रेडिट (4 कोर्स से) अर्जित करने होंगे।

6.2 इन सह–पाठ्यचर्या पाठ्यक्रमों/कोर्सेज की परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र के माध्यम से करायी जायेगी। इनमें उत्तीर्ण प्रतिशत वहीं होगा जो मुख्य व माइनर विषय के पेपर्स में होगा तथा इनमें प्राप्त ग्रेड्स को सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मिलित किया जायेगा।

6.3 प्रथम सेमेस्टर में प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (First aid and Basic Health), द्वितीय सेमेस्टर में मानवीय मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environment studies), तृतीय सेमेस्टर में शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and Yoga) का अध्ययन किया जायेगा, जिनके पाठ्यक्रम पूर्व से संचालित हैं।

6.4 सभी विश्वविद्यालय चतुर्थ सेमेस्टर में एक भारतीय/स्थानीय भाषा तथा यू0जी0सी0 द्वारा बनाये गये "सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता (Social Responsibility and Community Engagement)" पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से चलायेंगे। भारतीय भाषा को मुख्य विषय के रुप में लेने वाले विद्यार्थी "सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता पाठ्यक्रम" का अध्ययन करेंगे तथा अन्य विद्यार्थी भारतीय/स्थानीय भाषा का अध्ययन करेंगे, जिसका पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों द्वारा स्थानीय भाषा के दृष्टिगत तैयार किया जायेगा।

7. शोध परियोजना (Research Project)

7.1 स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के बाद ग्रीष्मावकाश में विद्यार्थी अपने द्वारा चयनित दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय से संबंधित तीन क्रेडिट की एक शोध परियोजना करेगा। ग्रीष्मावकाश में पूर्ण न कर पाने की स्थिति में यह शोध परियोजना तृतीय वर्ष के पंचम सेमेस्टर में भी की जा सकती है परन्तु उसे द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण तभी माना जायेगा जब उसके द्वारा उक्त शोध परियोजना पूर्ण कर ली जायेगी।

7.2 स्नातक चतुर्थ वर्ष अथवा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के दोनों सेमेस्टर्स में विद्यार्थी चार–चार क्रेडिट के दो कोर्स के स्थान पर एक शोध परियोजना ले सकता है। यह शोध परियोजना एक सप्तम एवं एक अष्टम सेमेस्टर के थ्योरी कोर्स के स्थान पर लेनी होंगी ना कि किसी एक सेमेस्टर के दो

कोर्स के स्थान पर। स्नातक चतुर्थ वर्ष में शोध सहित उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को स्नातक (मानद शोध सहित) की उपाधि दी जाएगी।

7.3 स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष (उच्च शिक्षा का पंचम वर्ष) में अनिवार्य रूप से एक शोध परियोजना करनी होगी जो कि नवम एवं दशम सेमेस्टर में चार–चार क्रेडिट्स की होगी।

7.4 पी.जी.डी.आर. में चार क्रेडिट की शोध परियोजना का स्वरुप विश्वविद्यालय अपने प्री–पी.एच.डी. कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेंगे। स्नातक (मानद शोध सहित) उपाधि प्राप्तकर्ता परास्नातक पूर्ण किये बिना भी पी0एच0डी0 की प्रवेश प्रक्रिया जैसे प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार इत्यादि के लिए अर्ह होगा।

7.5 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में पूर्ण की जायेगी। सुपरवाईजर के रुप में एक अन्य विशेषज्ञ को किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध/शिक्षण संस्थान से लिया जा सकता है।

7.6 यह शोध परियोजना इन्टरडिस्पलनरी/मल्टीडिस्पलनरी भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रुप में भी हो सकती है।

7.7 विद्यार्थी स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के पश्चात की गई शोध परियोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा करेगा।

7.8 स्नातक (मानद शोध सहित)/स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना की रिपोर्ट/शोध–प्रबन्ध (Report/Dissertaion) अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा करेगा।

7.9 पी.जी.डी.आर. स्तर पर विद्यार्थी प्री–पीएच.डी. कोर्स वर्क के पश्चात की गई शोध परियोजना की रिपोर्ट/शोध–प्रबन्ध (Report/Dissertaion) अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा करेगा।

7.10 बिन्दु 7.1 के अतिरिक्त उपरोक्त सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रम शोध परियोजनाओं का मूल्यॉकन सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से 100 (75 शोध प्रबंध +25 शोध पत्र) अंकों में से किया जायेगा। विद्यार्थी अपनी इस शोध परियोजना में से पेटेन्ट प्रकाशन अथवा शोध पत्र (UGC-CARE listed) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) स्नातकोत्तर कार्यक्रम के दौरान प्रकाशित करवायेगा। 25 अंक पेटेन्ट अथवा शोध पत्र (UGC-CARE listed) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) पर ही देय होंगे। पेटेन्ट अथवा शोध पत्र (UGC-CARE listed) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) न होने पर प्राप्तांक अधिकतम् 75 अंक ही देय होंगे । पूर्णांक अधिकतम 100 ही होंगे। दो राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार/संगोष्ठी में पेपर प्रजेंन्ट करने पर भी 25 अंक देय होंगे। पेटेन्ट/शोध पत्र/बुक चैप्टर का प्रकाशन सुपरवाईजर तथा कई विद्यार्थियों द्वारा संयुक्त रुप से कराने पर भी मान्य होगा।

7.11 स्नातक, स्नातक (मानद शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं पी.जी.डी.आर. के विद्यार्थियों की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मलित किया जायेगा।

8. क्रेडिट एंव क्रेडिट निर्धारण

8.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।

8.2 प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार

प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा, अर्थात् प्रैक्टिकल के दो घंटे का कार्य एक घंटे का वर्कलोड माना जायेगा।

8.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य "ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" (ABC/ABACUS) के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा–निर्देश पृथक से समय–समय पर जारी किए जाते हैं।

8.4 विद्यार्थी न्यूनतम 40 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 80 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 120 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी न्यूनतम 160 क्रेडिट अर्जित करने पर चार वर्षीय स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) अथवा स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड) डिग्री, न्यूनतम 200 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 216 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी. आर. की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं।

त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री के पश्चात् विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में संसाधन की उपलब्धता होने पर विद्यार्थी एक वर्ष की 40 क्रेडिट की इंटर्नशिप NATS या समकक्ष/समतुल्य से कर सकता है। यह इंटर्नशिप विद्यार्थी 6 माह के दो अथवा 4 माह के तीन अथवा 3 माह के चार भागों में भी कर सकता है। यह इंटर्नशिप विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के मार्गदर्शन में सहयोगी संस्था/इन्डस्ट्री से की जायेगी। 40 क्रेडिट (1200 घण्टो) की इस इंटर्नशिप के पश्चात् विद्यार्थी को स्नातक (इंटर्नशिप/एप्रेन्टिससिप सहित) की उपाधि दी जायेगी।

8.5 एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिये यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 40 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे । यदि वह कुछ वर्षो बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (surrender) कर 40 क्रेडिट को खाते में री–क्रेडिट (re-credit) करेगा। यदि विद्यार्थी री–क्रेडिट (re-credit) नहीं करता है तो, नए 40 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 80 (40+40) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 120 क्रेडिट के आधार पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त कर सकता है।

8.6 यदि कोई योग्य छात्र (Fast learner) कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट (ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन) प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर डिग्री दो वर्ष बाद ही मिल जायेगी। इसके लिये विश्वविद्यालय अपने सक्षम विधिक निकायों/समितियों के माध्यम से नियमों को अनुमोदित करायेंगे।

8.7 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।

8.8 तीन वर्ष में विद्यार्थी जिस संकाय के दो मुख्य विषयों में न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी संकाय में उसे डिग्री दी जायेगी और विश्वविद्यालय नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी।

जैसे यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, दो मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट (88 का 60 प्रतिशत अर्थात 53 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल ऐजूकेशन की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरिक्वजाइट (prerequisite) की आवश्यकता नहीं होगी।

8.9 यदि कोई योग्य छात्र सर्टीफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट री–क्रेडिट (re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह री–क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

8.10 विद्यार्थी निकास के समय आवश्यक कुल क्रेडिट के अधिकतम 40 प्रतिशत तक (As per UGC/NEP guidlines) क्रेडिट आनलाइन शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

9. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण

9.1 क्रेडिट वैलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।

9.2 परीक्षा देने के लिये पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

9.3 यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षायें लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

10. प्रवेश नियमावली एवं प्रक्रिया तथा समय–सारणी (Time table)

10.1 विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी उच्च शिक्षण संस्थान/महाविद्यालय प्रवेश आरम्भ होने से पूर्व ही अपनी समय–सारणी (Time table) तैयार कर लें, जिससे विद्यार्थी प्रवेश के समय अन्य संकाय के उन विषयों का चयन कर सकें जिनकी कक्षायें अलग समय पर संचालित होती हों ताकि उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो।

10.2 सभी शिक्षण संस्थान इस प्रकार से समय–सारणी (Time table) तैयार करें जिससे कि विद्यार्थियों को अन्य संकाय के विषयों के चयन के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हो सकें।

11. ग्रेडिंग प्रणाली

11.1 शासनादेश संख्या–1032/सत्तर–3–2022–08(35)/2020, दिनांक 20 अप्रैल, 2022 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार स्नातक स्तर पर ग्रेडिंग प्रणाली को संचालित किया जाय।

11.2 स्नातकोत्तर स्तर पर विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इसी प्रकार की ग्रेडिंग प्रणाली विकसित कर सकते हैं।

12 सतत आंतरिक एवं विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यॉकन

12.1 सतत आंतरिक मूल्यॉकन का उद्देश्य केवल आंतरिक परीक्षा नहीं है, अपितु विद्यार्थी का सर्वांगीण मूल्यॉकन करना है। एन0ई0पी0–2020 के अनुसार सभी विद्यार्थियों का सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) कराया जाना है, जिसे शिक्षक, शिक्षण कार्य के साथ पूर्ण करेंगे।

12.2 मुख्य व माईनर विषयों के केवल थ्योरी पेपर्स में 25 अंक का सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) अनिवार्य होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा 75 अंको की परीक्षा करायी जायेगी। प्रयोगात्मक, वोकेशनल/स्किल, को–करीकुलर तथा शोध परियोजना के कोर्सेज में सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) आवश्यक नहीं है तथा विश्वविद्यालय द्वारा इन कोर्सेज की परीक्षा 100 अंको के आधार पर होगी। वोकेशनल/स्किल कोर्सेज का मूल्यॉकन पूर्व की भॉति शासनादेश संख्या–1969/सत्तर–3–2021, दिनॉक 18.08.2021 के अनुसार किया जायेगा।

12.3 सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) के लिए किसी भी प्रकार की केन्द्रीयकृत/विश्वविद्यालय स्तरीय मिड टर्म परीक्षायें आयोजित नहीं की जायेंगी।

12.4 शासनादेश संख्या–2058/सत्तर–3–2021–08(33)/2020टी0सी0, दिनांक 26.08.2021 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) प्रोजेक्ट (Project), सेमिनार (Seminar), रोल प्ले (Role play), क्विज (Quiz), पजल (Puzzle), टेस्ट (Test), प्रैक्टिकल (Practical), सर्वे (Survey), बुक रिव्यू (Book review), स्टूडेंट पार्लियामेन्ट (Student parliamen), स्क्रीनप्ले (Screenplay), निबन्ध (Essay), एक्सटेम्पोर (Extempore), एक्जीबिशन (Exhibition), फेयर (

Fair), शैक्षणिक भ्रमण (Visit) आदि के द्वारा किया जा सकता है। सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रक नीति निर्धारित करेंगे।

12.5 विद्यार्थी के सतत् आंतरिक मूल्यॉकन के अंक प्रदान करने के लिये पाठ्येत्तर गतिविधियों (Extra-Curricular activities, Study tour, Sports, Outreach activity, Social Service etc) का उपयोग भी किया जा सकता है, जिसके लिये विस्तृत दिशा–निर्देश विश्वविद्यालयों द्वारा अपने स्तर से जारी किये जायेंगे।

Uttar Pradesh NEP-2020 UG-PG course structure aligned with FYUGP of UGC
Table 1: (To be in effect from 2024-25 Session)

{Cummulative Minimum Credits} Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree			Subject I	Subject II	Subject III	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Research Project / Dissertation/ Internship / Field or survey work	{Minimum Credits} For the year
			Major (core)	Major (core)	Minor Multidisciplinary	Minor	Minor	Major	
			4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	6 Credits	3 Credits	2 Credits	3/4 Credits	
	Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Other Faculty	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Inter/Intra Faculty related to main Subject	
{40} Certificate in Faculty	1	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (6)	1 (3)	1 (2)		40
		II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1 (3)	1 (2)		
{40+40=80} Diploma in Faculty	2	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (6)	1 (3)	1 (2)		40
		IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)			1 (2)	1 (3) Point 7.1	
{80+40=120} 3-year UG Degree	3	V	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)					40
		VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)					
Fourth Year									
*Apprenticeship / Internship embedded UG degree programme	4	12 Months Apprenticeship/ Internship through NATS or from equevelent organization/ Industry/institute				1 (40) 1200 hours			40
OR									
{120+40=160} 4-year UG Degree (Honours)	4	VII	Th-5(4) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						40
		VIII	Th-5(4) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						
OR									
{120+40=160} 4-year UG Degree (Honours with Research)	4	VII	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)		Students who secure 75% marks in the first 6 semesters			1 (4)	40
		VIII	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	
200 Master in	5	IX	Th-4(4) or Th-3(4)+					1 (4)	40

Faculty			Pract-1(4)						
		X	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					I (4)	
{216} PGDR in Subject	6	XI	Th-4(2)	I (4) Research Methodology				I (4)	16
Ph.D. in Subject	6,7,8	XII-XVI						Ph. D. Thesis	

*Apprenticeship/Internship embedded degree programme degree holder have to do 2 year PG programme. It is purely optional for Universities, to run and give this degree.

3 year Honors/Single subject programme structure
Table 2: (To be in effect from 2024-25 Session)

{Cummulative Minimum Credits} Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree			Subject I	Subject II	Subject III	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Research Project / Dissertation / Internship/ Field or survey work	{Minimum Credits} For the year
			Major (core)	Major (core)	Minor Multidisciplinary	Minor	Minor	Major	
			4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	6 Credits	3 Credits	2 Credits	3/4/5 Credits	
	Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Other Faculty	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Inter/Intra Faculty related to main Subject	
{40} Certificate in Faculty	1	I	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)		1 (6)	I (3)	I (2)		40
		II	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)			1 (3)	1 (2)		
{40+40=80} Diploma in Faculty	2	III	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)		1 (6)	I (3)	I (2)		40
		IV	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)				1 (2)	I (3) Point 7.1	
{80+40=120} 3-year Single Subject Plain UG Degree	3	V	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					I (4)	40
		VI	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					I (4)	
					or				
{80+50=130} 3-year Single Subject Honours UG Degree		V	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)					I (5)	50
		VI	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)					I (5)	

- Single subject 3 years UG programme examples: BBA, BCA, BHM, BSc (Chemistry), BSc, Chemistry (Hnours), Etc.
- After both the above programmes (3 years plain or Honours degree), one has to pursue 4th/ 5th years of UG/ PG programmes as given in the Table 1, in the same manner as the one who completes, 3 years UG degree of Table 1.

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या–1567/सत्तर–3–2021–16(26)/2011टी.सी.
लखनऊ : दिनांक : 13 जुलाई, 2021

1. **कुलसचिव**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।
2. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 लागू किए जाने हेतु जारी शासनादेश दिनांक 20.04.2021 के संदर्भ में प्राप्त पृच्छाओं के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूची के अनुसार त्रिवर्षीय स्नातक (तीन विषय विकल्प आधारित) स्तर के 62 पाठ्यक्रम तैयार किये जा चुके हैं, जिन्हें ई–मेल द्वारा आपको उपलब्ध करा दिया गया है तथा उ0प्र0राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाईट (http://uphed.gov.in/Council/NEETI2021.aspx) पर अपलोड किया जा चुका है । स्नातक (शोध सहित) एवं परास्नातक विषयों के पाठयक्रमों की सूची एवं जानकारी कालान्तर में उपलब्ध करा दी जायेगी। यदि उ0प्र0राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाईट में वर्णित विषयों के अतिरिक्त आपके विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर कोई अन्य विषय संचालित है, तो उसका पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए तीन विषय विशेषज्ञों के नाम गूगल लिंक (https://forms.gle/vPP7c7Av2kUFGJiX9) पर एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराया जाय। यदि कोई विषय एक से अधिक विश्वविद्यालयों में चल रहा हो, तो वह भी सभी विश्वविद्यालयों में न्यूनतम समान पाठयक्रम के अनुरुप ही लागू होगा तथा उन विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए 'विषय विशेषज्ञ समूह' गठित किया जाएगा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप न्यूनतम समान पाठ्यक्रम तैयार करेंगें। स्नातक स्तर पर तृतीय वर्ष में संचालित मुख्य विषय के किसी पेपर का इलैक्टिव पेपर के रूप में अन्य पाठ्यकम (सिलेबस) का सुझाव विषय विशेषज्ञों से आमंत्रित है वे अपने सुझाव गूगल लिंक (https://forms.gle/vPP7c7Av2kUFGJiX9) पर दे सकते हैं।

2– शासनादेश संख्या 1065/सत्तर–3–2021–16 (26)/2011 दिनॉक 20–04–2021 के तारतम्य में शैक्षणिक सत्र 2021–22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम समान पाठ्यक्रम एवं "च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम" (CBCS) पर आधारित सेमेस्टर सिस्टम के संबंध में प्राप्त पृच्छाओं के निराकरण हेतु निम्नवत् स्पष्ट किया जाता है:–

1. <u>न्यूनतम समान पाठ्यक्रम</u>**(Minimum Common Syllabus)**

1.1 विश्वविद्यालय न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के रुप में उपलब्ध कराये गये पाठ्यक्रम में से कम से कम 70 प्रतिशत समान रखेंगे। उदाहरण के लिये यदि किसी पेपर हेतु तैयार किए गए न्यूनतम समान पाठ्यक्रम में 100 टॉपिक हैं, तो विश्वविद्यालय उनमें से कम से कम 70 टॉपिक रखेंगे तथा उसके अतिरिक्त 30, 40, 50 या कितने भी टॉपिक विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के अनुरुप रख सकते हैं।

1.2 पाठ्यक्रम संरचना में एक पेपर के क्रेडिट निर्धारित किए गए हैं; उस पेपर में सम्मिलित टॉपिक्स हेतु कितने–कितने क्रेडिट (व्याख्यानों की संख्या) रखे जाएगे, यह विश्वविद्यालय तय करेगा।

1.3 सूच्य है कि वर्तमान में विश्वविद्यालयों में संचालित तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अधिकांश विषयों के कन्टेन्ट में 70–80 प्रतिशत तक टॉपिक तीन वर्ष में समान हैं तथा तीन वर्ष के दौरान किसी एक वर्ष में पढाये जा रहे हैं।

2. **क्षेत्र (Scope)-**

2.1 यह व्यवस्था चिकित्सा (Medicine and Dental etc.)एवं तकनीकी शिक्षा (B.Tech, MCA etc.)के अतिरिक्त सभी संकायों के कार्यक्रमों पर लागू होगी।

2.2 विधि (बी0ए0–एल0एल0बी0,बी0एस0सी–एल0एल0बी0, एल0एल0बी0, एल0एल0एम0, इत्यादि), शिक्षक शिक्षा (बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड.,एम.पी.एड., इत्यादि) के लिये व्यवस्था का निर्धारण उनकी नियामक संस्थाओं के एन.ई.पी–2020 के अनुरुप नए पाठ्यक्रम व संरचना के आने पर किया जायेगा।

3. **परिभाषाएं–**

3.1 **पाठ्यक्रम/कार्यक्रम (Programme)–**

एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (शोध सहित) डिग्री, पॉच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि यथा–बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0कॉम, बी0एड0, बी0बी0ए0, बी0एल0ई0, एम0ए0, एम0एस0सी0, एम0कॉम, एल0एल0बी0, पी0एच0डी0 इत्यादि।

3.2 **संकाय (Faculty)-**

3.2.1 संकाय विषयों का समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।

3.2.2 विभिन्न विश्वविद्यालय में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है वह यथावत् रहेगी। संकायों का गठन किस प्रकार किया जाएगा, यह विश्वविद्यालय स्तर पर तय किया जाता है।

3.2.3 छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिये संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या 1267/सत्तर–3–2021–16 (26)/2011 दिनॉक 15–06–2021 के अनुसार होगी । भाषा संकाय एवं ग्रामीण अध्ययन संकाय को बहुविषयकता के लिये अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री कला संकाय (B.A.)की मिलेगी ।

3.3 **विषय (Subject)**-यथा

3.3.1 संस्कृत, हिन्दी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि ।

3.3.2 एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा ।

3.4 **कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र (Course/Paper)**- यथा

3.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा।

3.4.2 थ्योरी और प्रैक्टिकल के पेपर्स/प्रश्नपत्रों का कोड अलग–अलग होगा ।

4. **पाठ्यक्रम/कार्यक्रम लागू करने की समय सारणी**

सभी विश्वविद्यालय स्वयं तथा अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले कालेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरुप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को निम्नानुसार लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें :–

4.1 तीन विषय वाले सभी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमो (बी0ए0, बी0एस0सी0 आदि) व बी0कॉम0 में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021–22 से लागू होगा।

4.2 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू होगा।

4.3 बी0ए0/बी0एस0सी0 ऑनर्स तथा एकल विषय स्नातक कार्यक्रमों में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू होगा।

4.4 पी0एच0डी0कार्यक्रम में नवीन व्यवस्था सत्र 2022–23 से लागू होगी ।

5. मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर

5.1 विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है।

5.2 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय सहित) से कर सकता है।

5.3 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है ।

5.4 छात्र को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं ।

5.5 माइनर इलैक्टिव कोर्स किसी भी विषय का पेपर (4/5/6 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय।

5.6 माइनर इलैक्टिव पेपर छात्र को किसी भी संकाय (Own faculty or Other faculty)से लेना होगा । इसके लिये किसी भी pre-requisiteकी आवश्यकता नहीं होगी ।

5.7 बहुविषयक्ता (Multidisplinarity)सुनिश्चत करने के लिये स्नातक स्तर पर माइनर इलैक्टिव पेपर सभी छात्रों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा ।

5.8 **तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर का चयन छात्र द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि इनमें से कम से कम एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय (Other faculty) से हो ।**

5.9 स्नातकोत्तर स्तर (प्रथम वर्ष) पर माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव अन्य संकाय से करना होगा।

5.10 विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय वर्ष (स्नातक) एवं चतुर्थ वर्ष (स्नातकोत्तर) में माइनर इलैक्टिव विषय (एक माइनर पेपर/प्रति वर्ष) लेना अनिवार्य होगा । विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय के पेपर को आवंटित कर सकता है। तृतीय, पॉचवें एवं छठवें वर्ष में माइनर इलैक्टिव पेपर अनिवार्य नहीं होगा।

5.11 विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलैक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।

5.12 माइनर इलैक्टिव पेपर का चुनाव संस्थान में संचालित विषयों के पेपर में से किया जायेगा । चुने हुए माइनर पेपर की कक्षायें फैक्लटी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ ही होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ होंगी।

5.13 सभी विषय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अन्य संकाय के छात्रों के लिये माइनर इलैक्टिव पेपर (4 केडिट का) तैयार कर सकते हैं। ऐसे माइनर इलैक्टिव कोर्स/पेपर का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज, विद्धत परिषद इत्यादि में नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा। इस प्रकार के इलैक्टिव पेपर की कक्षायें विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में अलग से होगीं एवं परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आयोजित होंगी।

6. कौशल विकास कोर्स (Vocational/ Skill development Courses)

6.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षो (चार सेमेस्टरर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स (3x4=12क्रेडिट के कुल चार पाठ्यक्रम) करना होगा।

7. **सह–विषय/कोर्स** (Co-Curricular Courses)

7.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षो (छः सेमेस्टरर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह–विषय/कोर्स करना अनिवार्य होगा ।

7.2 इन छः सह–विषयों के पाठ्यक्रम उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

7.3 हर सह–विषय/कोर्स को 40 प्रतिशत अंको के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना होगा । विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा ।

8. **शोध परियोजना** (Research Project)

8.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/पी.जी.डी.आर. स्तर पर विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर (पांचवें से ग्यारवें सेमेस्टर तक) में शोध परियोजना करनी होगी । विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना तथा चतुर्थ व पंचम वर्ष में वृहद शोध परियोजना करनी होगी । पी.जी.डी.आर में शोध परियोजना का स्वरुप विश्वविद्यालय अपने प्री–पी.एच.डी. कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेगा।

8.2 विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय एवं चतुर्थ, पंचम, षष्टम वर्ष के मुख्य विषय से सम्बंधित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना interdisciplinary भी हो सकती है । यह शोध परियोजना इन्डसट्रियल ट्रेनिंग/इन्टरनशिप/ सर्वे वर्क इत्यादि के रुप में भी हो सकती है ।

8.3 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को–सुपरवाईजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकि संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है ।

8.4 विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Report/Dissertaion) जमा करेगा, जिसका मूल्यॉकन वर्ष के अंत में सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से 100 अंकों में से किया जायेगा।

8.5 स्नातक स्तर एवं पी.जी.डी.आर. के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मलित नहीं किया जायेगा।

8.6 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी। शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मलित किया जायेगा।

9. **क्रेडिट एंव क्रेडिट निर्धारण**

9.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।

9.2 प्रैक्टिकल/इन्र्टनशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इन्र्टनशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल/इन्र्टनशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा।

9.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय "ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा–निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।

9.4 विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है । इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट

अर्जित करने पर चर्तुवर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी.आर. ले सकता है ।

एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा । उदाहरण के लिये यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे । यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (surrender) कर 46 क्रेडिट को खाते में री–क्रेडिट (re-credit) करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46)क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है । इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी । यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

9.5 यदि कोई योग्य छात्र (Fast learner)कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिये स्वतंत्र होगा ।

9.6 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे ।

9.7 तीन वर्ष में विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा, उसी संकाय में उसे डिग्री दी जायेगी।

9.8 यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट (112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट)प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल ऐजूकेशन (B.L.Ed.)की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरिक्वजाइट (prerequisite)की आवश्यकता नहीं होगी।

9.9 यदि कोई योग्य छात्र सर्टीफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट री–क्रेडिट (re-credit)कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह री–क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है ।

10. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण

10.1 क्रेडिट वेलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे ।

10.2 परीक्षा देने के लिये पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

10.3 यदि कोई छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है । उसे पुनः कक्षायें लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

11. प्रवेश नियमावली एवं प्रक्रिया तथा समय–सारणी (Time table)

11.1 विश्वविद्यालय सभी शिक्षण संस्थानों हेतु प्रवेश नियमावली तथा प्रक्रिया शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुरुप एक माह के भीतर तैयार करना सुनिश्चित करें जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का समयान्तर्गत सत्र 2021–22 से क्रियान्वयन किया जा सके।

11.2 विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षण संस्थान प्रवेश प्रारम्भ होने से पूर्व अपनी समय–सारणी (Time table) तैयार कर लें, जिससे छात्र प्रवेश के समय अन्य

संकाय के उन विषयों का चुनाव कर सकें जिनकी कक्षायें अलग समय पर संचालित होतीं हों तथा उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो ।

11.3 सभी शिक्षण संस्थान समय–सारणी (Time table) ऐसे तैयार करें कि छात्रों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हों ।

3– विश्वविद्यालयों से अपेक्षा है कि कृपया शासनादेश सं0 1065/सत्तर–3–2021–16(26)/2011 दिनांक 20.04.2021 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021–22 से "च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम" (CBCS) पर आधारित सेमेस्टर सिस्टम एवं न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को लागू करना सुनिश्चित करें, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के उद्देश्यों के अनुरुप प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों के मध्य अकादमिक क्रेडिट ट्रांसफर सम्भव हो सके।

संलग्नक–यथोक्त।

(मोनिका एस.गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–1567 (1)/सत्तर–3–2021, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

2– अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

14. स्नातक व स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की वर्षवार संरचना

Year	Sem.	Subject I	Subject II	Subject III	Subject IV	Vocational	Co-Curricular	Industrial Training/ Survey/ Research Project	{Minimum Credits} For the year	{Cummulative Minimum Credits} Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree
		Major	Major	Major	Minor Elective	Minor	Minor	Major		
		4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	3 Credits		4 Credits		
		Own Faculty	Own Faculty	Own/ Other Faculty	OtherSubject/ Faculty	Vocational/ Skill Development Course	Co-CurricularCourse (Qualifying)	Inter/Intra Faculty related to main Subject		
1	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		46	{46} Certificate in Faculty
	II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
2	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		46	{92} Diploma in Faculty
	IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
3	V	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)	40	{132} Bachelor in Faculty
	VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)		
4	VII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)			1 (4/5/6)			1 (4)	52	{184} Bachelor (Research) in Faculty
	VIII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
5	IX	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)	48	{232} Master in Faculty
	X	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
6	XI	2 (6)	1 Research (4)Methodology					1 (Qualifying)	16	{248} PGDR in Subject
6,7,8	XII-XVI							Ph. D. Thesis		Ph.D. in Subject

Note: Blue Colour: No. of papersRed colour: Credits Purple colour: Non-Credit Qualifying Courses; Th-Theory, Pract-Practical

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या– 5608 /सत्तर–3–2020–08(35)/2020

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग
अपर मुख्य सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 03दिसम्बर, 2020**

विषयः–राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक संस्थान द्वारा अपनी Research Policy की घोषणा–शोध के पराम्परागत क्षेत्रों, समकालीन विषयों के चयन के प्रावधान, समाज एवं उद्योग उपयोगी विषयों पर शोध एवं अध्ययन।

महोदय,

आप अवगत है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रस्तर–17 पर नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउण्डेशन के माध्यम से सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त अकादेमिक अनुसंधान को उत्प्रेरित करने पर बल दिया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में आवश्यक होगा कि सभी उच्च शिक्षण संस्थान अपनी Research Policy तैयार करते हुए शोध के पराम्परागत क्षेत्रों के साथ–साथ समकालीन विषयों के चयन के प्रावधान, समाज एवं उद्योग उपयोगी शोध पर समुचित बल दें तथा यथावश्यक प्रशासनिक और विनियामक सुधार की ओर भी ध्यान दे, जो शिक्षकों की ओर संस्थागत स्वायतता और नवाचार को प्रोत्साहित करने वाला हो।

2– उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश प्राप्त हुआ है कि कृपया राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान के लिये शैक्षणिक सुधार एवं अनुसंधान/शोध को प्रोत्साहन देने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें:–

1. अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, समग्र शिक्षा के साथ सभी उच्च शिक्षा संस्थान के बहुआयामी प्रकृति पर जोर दिया जाना चाहिए।
2. स्नातक पाठ्यक्रम में अनुसंधान और इंटर्नशिप का समावेश होना चाहिए।
3. एकीकृत पीएचडी प्रारम्भ करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। शोध में रूचि रखने वाले एवं विश्लेषणात्मक क्षमतायुक्त स्नातकों को उनकी रूचि के विषयों में "रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज" को इंटीग्रेटड पी0एच0डी0 कराने कर अनुमति दी जा सकती है। यह प्रोग्राम दोहरी डिग्री प्रदान करेगा जैसे कि स्नातकोत्तर (पीजी) और पीएचडी। शैक्षणिक लचीलेपन पर आधारित इस शोध प्रोग्राम द्वारा विद्यार्थियों को संस्थागत स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की अपेक्षा एकेडिमिक चयन हेतु अधिक व्यापक क्षेत्र उपलब्ध होगा तथा वे अनुसंधान के विशिष्ट अत्याधुनिक क्षेत्रों में शोध करने हेतु प्रेरित होगे। इस प्रोग्राम का उद्देश्य गहन प्रशिक्षण प्राप्त, प्रेरित तथा शोध हेतु आवश्यक वैज्ञानिक समझ से युक्त नवयुवकों को प्राथमिक अवस्था में ही वैश्विक, समसामयिक, शोध में संलग्न

करना तथा शोध एवं विकास को कैरियर बनाने के लिये प्रेरित करना है। "इंटीग्रेटेड पी0एच0डी0" प्रोग्राम से बाहर निकलने का विकल्प भी हो सकता है।

4. विश्वविद्यालयों द्वारा अंशकालिक पीएचडी प्रारम्भ करने पर विचार किया जा सकता है। काम करने वाले ऐसे पेशेवर व्यक्तियों हेतु कार्यक्रम का संचालन किया जा सकता है, जो कि अपनी नौकरी के साथ–साथ अनुसंधान को आगे बढ़ाने में रुचि रखते हैं।
5. उच्च शिक्षा संस्थान को नियमित रुप से विभिन्न क्षेत्रों में प्रख्यात शोधकर्ताओं के व्याख्यान का एवं वेबिनार का आयोजन किया जाना चाहिए।
6. संकाय सदस्यों और शोध छात्रों को अपने अनुसंधान क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
7. अनुसंधान सहयोग और फैकल्टी/छात्र विनिमय को सुविधाजनक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के कार्यालय की स्थापना की जा सकती है और विदेशों के साथ प्रासंगिक पारस्परिक रूप से लाभप्रद एमओयू पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।
8. राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शोध को समर्थन प्रदान करने और उचित निगरानी के लिए 'विश्वविद्यालय अनुसंधान फाउंडेशन' की स्थापना की जानी चाहिए।
9. यह फाउंडेशन उन विभागों की पहचान करेगा, जो शिक्षण और अनुसंधान के नए क्षेत्रों में "सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स" स्थापित कर सकते है।
10. संस्थान को नवाचार को बढ़ावा देने के लिए छात्र प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए।
11. अनुसंधान एवं नवाचार हेतु विश्वविद्यालय को सीएसआर (CSR) का योगदान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।
12. सरकारी निकायों के डाटा विश्लेषण/गुणवत्ता परीक्षण जैसी गतिविधियों में शोध छात्रों को सम्मिलित करवाने हेतु विश्वविद्यालय स्तर से प्रयास होना चाहिए।

(ब) उद्यमिता और नवाचार :

1. HEIs को स्टार्ट–अप, इन्क्यूबेशन सेंटर और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करके अनुसंधान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
2. "ग्रास रूट इनोवेशन सेंटर (GRIC)" को सभी उच्च शिक्षा संस्थान में स्थापित करना चाहिए। GRIC का मुख्य उद्देश्य बारहवीं कक्षा के बाद संस्थान में प्रवेश करने वाले छात्रों के विचारों की व्यावहारिकता की पहचान करना है ताकि विद्यार्थीगण GRIC की सहायता से अपने विचारों को मूर्त रूप दे सकें।
3. HEIs में अधिक से अधिक उद्योग–शैक्षणिक संपर्क होने चाहिए और उद्योगों में रिसर्च इंटर्नशिप को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। HEIs और Industry के बीच MOU हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

4. सभी HEIs को छात्रों और संकाय के लिए राष्ट्रीय नवाचार और स्टार्ट–अप नीति, 2019 को लागू करना चाहिए, जिसके मुख्य पहलू निम्नवत् हैः–

शैक्षिणिक हस्तक्षेप द्वारा नवाचार को बढावा

(क) विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम

विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदेश में स्टार्ट अप संस्कृति की सुदृढ़ता हेतु नोडल संस्था के परामर्श से नवाचार और उद्यमिता पाठ्यक्रम आरम्भ किए जायेंगे। इन्हें सहयुक्त विद्यालयों द्वारा भी अंगीकृत किया जायेगा।

(ख) विद्यालय पाठ्यकम

भावी स्टार्टअप उद्यमियों के सृजन हेतु छात्रों की औपचारिक शिक्षा के प्रारम्भिक चरण मं उद्यमशीलता के प्रति रूझान विकसित करने के लिए विद्यालयों के पाठ्यकम में नवाचार और उद्यमिता पर बुनियादी शिक्षा आरम्भ की जायेगी।

(ग) फैकल्टी विकास कार्यकम

महाविद्यालय स्तर पर नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, फैकल्टी विकास कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे।

(घ) छात्रों हेतु अन्तराल वर्ष

जो छात्र उद्यमिता के क्षेत्र में अग्रसर होना चाहते है, उन्हें स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यकम के प्रथम वर्ष के पश्चात एक वर्ष का अवकाश (अन्तराल वर्ष) लेने की अनुमति दी जायेगी। पाठ्यकम की पूर्ति के लिए आवश्यक अधिकतम अवधि में एक वर्ष का अन्तराल की गणना नहीं की जायेगी। पाठ्यकम की निरन्तरता सुनिश्चित करने के लिए "अन्तराल वर्ष" सुविधा को पाठ्यकम में पुनः सम्मिलित होते समय दिया जा सकता है।

(ड़) छात्र परियोजनायें

किसी स्टार्ट अप अवधारणा पर काम करने वाले छात्र उद्यमी को डिग्री की पूर्णता हेतु अपनी स्टार्ट अप परियोजना को अपने अन्तिम वर्ष की परियोजना के रूप में बदलने की अनुमति दी जायेगी।

(च) विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में ई–प्रकोष्ठ की स्थापना

विद्यालय स्तर के छात्रों को अपना उद्यम प्रारम्भ करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में ई–प्रकोष्ठ की स्थापना किया जाना।

(छ) स्टार्टअप ईको–सिस्टम के एंकर के रूप में इन्क्यूबेटर्स

विभाग द्वारा सम्पूर्ण प्रदेष में इन्क्यूबेटर्स की स्थापना किए जाने की आवश्यकता होगी जो कुल नीतिगत लक्ष्य का कम से कम 50 प्रतिशत हो।

(ज)ब्राण्ड प्रोमोशन तथा प्रतिभाग का सम्मान

नवाचारी प्रौद्योगिकीय समाधनों की पहचान हेतु हैकाथॉन का आयोजन, बूट कैम्प्स एवं स्टार्ट–अप–इवेन्टस् का आयोजन किया जाना।

(झ)उ0प्र0 स्टार्टअप ऑनलाइन प्लेटफार्म

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्टार्टअप, निवेशकों, इन्क्यूबेटर्स, मेन्टर्स तथा अन्य प्रासंगिक स्टार्टअप हितधारकों के लिए आपसी सम्पर्क हेतु उ0प्र0 स्टार्टअप ऑनलाइन प्लेटफार्म बनाया गया है जो सिंगल–विन्डो सिस्टम है। विभाग द्वारा जिन इन्क्यूबेटर्स को चिन्हित अथवा विकसित किया जाएगा उन्हें इस ऑनलाइन पोर्टल से इन्टीग्रेट किया जाना होगा।

भवदीय,

(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 5608 (1)/सत्तर–3–2020, तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
2. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

कार्यालय निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

पृ0सं0–डिग्री विकास/1111-13 / 2020–21 दिनांक 04 / 12/ 2020

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

1–समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2–कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश।

3–समस्त प्राचार्य/प्राचार्या राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

डॉ0 (बी0 एल0 शर्मा)
सहायक निदेशक (उ0शि0),
कृते–शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या– 5609 /सत्तर–2020–08(35)/2020

प्रेषक,

मोनिका एस.गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊः दिनांक 03 दिसम्बर, 2020**

विषयः– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा LMS(Learing Managemaent System) विकसित जाने के सम्बन्ध में सुझाव।

महोदय,

कोविड–19 जैसी महामारी के अनुभव से प्रतीत होता है कि भविष्य में भी समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षिक गतिविधियों को सुगम तथा शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु संस्थानों को पारंपरिक शिक्षण प्रणाली के साथ–साथ अन्य गुणवत्तापूर्ण वैकल्पिक शिक्षण प्रणाली को भी तैयार करने की आवश्यकता है। तद्सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में भी प्रौद्योगिकी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उससे मिलने वाले लाभों के महत्व पर भी ध्यान केन्द्रित किये जाने हेतु इंगित किया गया है। संस्थानों द्वारा ऑनलाअन/डिजिटल शिक्षा की हानियों को कम करने का अध्ययन करते हुए उससे अधिकाधिक लाभ प्राप्त करना होगा। साथ ही, सभी विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने से सम्बन्धित चुनौतियों का सामना करने के लिए मौजूदा डिजिटल प्लेटफार्म को और सशक्त करना होगा। प्रौद्योगिकी का उपयोग कर एक प्रभावी Learning Management System (LMS) बनाया जाय एवं सरल एवं आसानी से प्रयोग होने वाली डिजिटल प्रौद्योगिकी को विकसित किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए महत्व के दृष्टिगत ऑनलाइन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा विद्यार्थियों की क्षमताओं में अभिवृद्वि के लिये निम्नलिखित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें:–

(क) – उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी का अधिकाधिक उपयोग:– दिनांक 05 सितम्बर, 2020 को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारम्भ किया गया। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण ई–कन्टेन्ट उपलब्ध कराए जाने हेतु शिक्षकों द्वारा उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी में अधिक मात्रा में ई–कन्टेन्ट अपलोड किए जाने के लिये माह सितम्बर एवं अक्टूबर, 2020 को "विद्यादान माह" घोषित किया गया था। उल्लेखनीय है कि उक्त लाइब्रेरी पोर्टल पर प्रदेश के शिक्षकों द्वारा 68,000 से भी अधिक ई–कन्टेन्ट हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में अपलोड किए गए हैं। इस माध्यम से हर

Nikhil G.O.

छात्र को गुणवत्तायुक्त ई–पाठ्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध हो गयी है। यह लाइब्रेरी ज्ञान का एक अनूठा संग्रहण है। इसका अधिकाधिक उपयोग छात्रों एवं शिक्षकों द्वारा किया जाना चाहिये।

(ख) ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट अध्ययनः– ऑनलाइन शिक्षा की हानियों को कम करते हुए उसे शिक्षा के साथ एकीकृत करने के लाभों का मूल्यांकन करने के लिए और छात्रों का उपकरणों की आदत, ई–कन्टेन्ट का सबसे पसंदीदा प्रारूप आदि जैसे सम्बन्धित विषयों का अध्ययन किया जाय।

(ग) डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरः– भारत के क्षेत्रफल, विविधता, जटिलता और डिवाइस अर्थबोध को हल करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में खुले, परस्पर, विकसित, सार्वजनिक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने की आवश्यकता है, जिनका उपयोग कई प्लेटफार्मो और पॉइंट सॉल्यूशंस द्वारा किया जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रौद्योगिकी आधारित समाधान प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति के साथ पुराने न हो जाए।

(घ) ऑनलाइन शिक्षण मंच और उपकरण :– विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी के लिये शिक्षकों को सहायक उपकरण के एक संचरित, उपयोगकर्ता अनुकूल, विकसित व्यवस्था प्रदान करने के लिये उपयुक्त मौजूदा ई–लर्निंग प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जाये। वर्तमान महामारी ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑनलाइन कक्षाओं के आयोजन के लिये दो–तरफा वीडियो और दो–तरफा–ऑडियो इंटरफेस जैसे उपकरण एक वास्तविक आवश्यकता है।

(ड) सामग्री निर्माण, डिजिटल रिपॉजिटरी और प्रसार :– कोर्स वर्क, लर्निंग गेम्स और सिमुलेशन, ऑगमेंटेड रियलिटी के निर्माण सहित कंटेन्ट की एक डिजिटल रिपोजिटरी विकसित की जाये, जिसमें प्रभावशीलता और गुणवत्ता के लिये उपयोगकर्ताओं द्वारा रेटिंग करने के लिये एक स्पष्ट सार्वजनिक प्रणाली होगी। छात्रों के लिये मनोरंजन आधारित अधिगम हेतु उपयुक्त उपकरण जैसे ऐप, स्पष्ट संचालन निर्देश के साथ कई भाषाओं में भारतीय कला और संस्कृति का एकीकरण भी बनाये जाये। छात्रों को ई–सामग्री का प्रसार करने के लिये एक विश्वसनीय बैकअप तंत्र प्रदान किया जाये।

(च) डिजिटल अंतर को कम करना :– इस तथ्य को देखते हुए कि अभी भी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है, जिसकी डिजिटल पहुँच सीमित है, मौजूदा जनसंचार माध्यम जैसे टेलीविजन, रेडियो और सामुदायिक रेडियो का उपयोग टेलीकास्ट और प्रसारण के लिये बड़े पैमाने पर किया जाये। इस तरह के शैक्षिक कार्यक्रमों को छात्रों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध कराया जाये। स्थानीय भाषाओं में सामग्री पर विशेष ध्यान दिया जाये और इस पर विशेष बल दिया जाये कि जहां तक संभव हो, शिक्षकों और छात्रों तक डिजिटल सामग्री उनकी सीखने की भाषा में पहुँचे।

(छ) वर्चुअल लैब्स :– वर्चुअल लैब्स बनाने के लिये मौजूदा ई–लर्निंग प्लेटफार्म का उपयोग किया जाये ताकि सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण व्यावहारिक और प्रयोग–आधारित अनुभव का समान अवसर प्राप्त हो। एसईडीजी छात्रों और शिक्षकों को पहले से लोड की गई सामग्री वाले टैबलेट जैसे उपयुक्त डिजिटल उपकरण पर्याप्त रूप से देने की संभावना पर विचार किया जाये और उन्हें विकसित किया जाये।

(ज) शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण और प्रोत्साहन :– शिक्षकों को शिक्षार्थी–केन्द्रित अध्यापन में गहन प्रशिक्षण दिया जाए और यह भी बताया जाए कि वे ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्मों और उपकरणों का उपयोग करके

उच्चतर गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री का स्वयं सृजन करेंगे। ई–सामग्री के साथ–साथ छात्रों में आपसी सहयोग स्थापित करने के लिये शिक्षक की भूमिका पर जोर दिया जाए।

भवदीय,

(मोनिका एस.गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–5609 (1)/सत्तर–3–2020, तद्‌दिनांकः

1– समस्त कुलपति राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के क्रियान्वयन के संबंध में सभी संबंधित को मार्गदर्शन देते हुये उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।

2– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

Nikhil G.O.

शीर्ष प्राथमिकता
संख्या–5687/सत्तर–3–2020–08(35)/2020

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **कुलपति**
समस्त राज्य/ निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

2. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक- 15 दिसम्बर, 2020**

विषयः–''**ऑनलाइन शिक्षा नीति–शिक्षा में तकनीक का प्रयोग**''–राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश की कार्ययोजना भाग–1 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के कियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश की कार्ययोजना भाग–1 ''**आनलाइन शिक्षा नीति–शिक्षा में तकनीक का प्रयोग**'' संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अध्याय 23 एवं 24 के परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के प्रयोग तथा ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त परिचालित किए जा रहे हैं।

2– आप अवगत हैं कि कोविड–19 के प्रयोग के दौरान प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन शिक्षण का कार्य प्रारम्भ किया गया था और लॉकडाउन के प्रथम दो चरणों में ही 15,000 शिक्षकों ने 9 लाख से छात्रों को लाभान्वित किया।

3– **उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी–**

छात्रों के पास इण्टरनेट की अबाध निरन्तर उपलब्धता न होने के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा डिजिटल लाइब्रेरी का सृजन करने हेतु कार्यवाही की गई। NIC की तकनीकी क्षमता के दृष्टिगत सॉफ्टवेयर एवं प्लेटफार्म विकसित करने का दायित्व उन्हें

Nikhil G.O.

सौंपा गया और उन्होंने अपना कार्य तीन सप्ताह के रिकार्ड समय में न्यूनतम व्यय भार के साथ संपन्न कर दिया। इसके साथ ही पाठ्यक्रम के अनुरूप ई–कन्टेट तैयार करके अपलोड करने के लिए गाइडलाइन तैयार की गई। IPR, Copyright एवं अन्य बिंदुओं पर शिक्षकों की पृच्छाओं का समाधान वर्चुअल बैठकों और वेबिनार के माध्यम से किया गया। अपलोड की जाने वाली पाठ्य सामग्री की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण विषय है; इसके लिए समुचित व्यवस्थाएं बनायी गईं।

प्रदेश के शिक्षकों ने इस कार्य में बढ़ चढ़कर योगदान दिया और पाठ्यक्रम के अनुरूप text के साथ साथ audio एंव videos भी अपलोड किए। आज इस लाइब्रेरी में 134 विषयों के 70 हजार से अधिक ई–कन्टेन्ट उपलब्ध है जिन्हें 23 विश्वविद्यालयों एवं अनेक महाविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है। यह पाठ्य सामग्री केवल प्रदेश के ही नहीं बल्कि देशभर के छात्रों को निःशुल्क उपलब्ध है। कोई भी छात्र अपनी सुविधानुसार अपने घर पर इसका उपयोग कर सकता है। छात्र किसी भी कालेज में पढ़ता हो, उस विषय के प्रदेश के सर्वोत्तम शिक्षक के नोट्स एवं लेक्चर्स आज इसे इस लाइब्रेरी के माध्यम से उपलब्ध हैं जिन्हें वह revision, referencing के लिए इस्तेमाल कर सकता है।

इस लाइब्रेरी में अधिक से अधिक संख्या में ई–कन्टेंट अपलोड करने के लिए शिक्षकों को प्रेषित किया जाय और छात्रों को इसके अधिकाधिक प्रयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

4– इस क्रम में प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहित करने और शिक्षा में तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए नीति तैयार की गई है जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं–

<u>विश्वविद्यालयों का दायित्व–</u>

- शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण (Training the teachers) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों को ऑनलाइन क्लास लेने तथा ई–कन्टेन्ट बनाने के लिए प्रशिक्षण दिए जाएंगें जिससे वे गुणवत्ता परक शिक्षण अध्ययन सामग्री स्वयं तैयार कर सकें।

- विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न विषयों के लिए सीखने के विभिन्न मिश्रित प्रभावी मॉडल (Online+Offiline) विकसित करके सम्बद्ध महाविद्यालयों को उपलब्ध कराया जायेगा।

- समस्त विश्वविद्यालयों द्वारा वर्ष 2021–22 में प्रौद्योगिकी शिक्षा मंच की स्थापना की जायेगी जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय निम्नलिखित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगेः–
  - ऑनलाइन शिक्षण की निगरानी के लिए गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र की स्थापना की जाये, जिससे शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण के साथ उनके कार्यों की निगरानी भी हो सके।
  - डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर (Digital infrastructure) के अन्तर्गत प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में डिजिटल डिवाइस एवं इन्टरनेट की उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति, स्मार्ट क्लास की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे जूम, माइक्रोसॉफ्ट, वेबैक्स, गूगल टीम आदि को प्रोत्साहित किया जाए।
  - ऑनलाइन शिक्षण मंच और उपकरण के अन्तर्गत स्वयम्, दीक्षा जैसे उपयुक्त मौजूदा ई–लर्निंग प्लेटफार्म का उपयोग किया जाएगा।
  - डिजिटल सामग्री निर्माण, डिजिटल रिपोजिटरी और प्रसार (Content creation, digital repository and dissemination) आदि के अन्तर्गत मोबाइल ऐप एवं सॉफ्टवेयर विकसित किये जाये।
  - वर्चुअल लैब्स (Virtual Labs) की स्थापना के साथ ही दीक्षा, स्वयम और स्वयमप्रभा जैसे मौजूदा ई–लर्निंग प्लेट फार्म का उपयोग किया जायेगा।

- विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के सभी कार्यों (MIS and LMS, Admission, HEIs official work, Teaching, Practical, Examination, Teacher training, TC- CC, Degree, Certificate etc) का डिजिटाइजेशन किया जाएगा।

- **अकादमिक डेटा बैंक–**

  प्रदेश स्तरीय अकादमिक डेटा बैंक की स्थापना की जाएगी जिसमें सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों का विवरण (Unique Id के साथ) उपलब्ध कराया जाएगा ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य Credit Transfer की पूर्ति हो सके।

- **Digital Divide को कम करना**

  ऑनलाइन एवं डिजिटल शिक्षा का सही ढंग से लाभ उठाने के लिए डिजिटल अन्तर को कम करना होगा।

  - **प्री–लोडेड टैबलेट**

    शिक्षा में तकनीक के प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु आकांक्षात्मक

जनपदों एवं प्रदेश के दूरस्थ अंचलों के राजकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में प्री–लोडेड डिजिटल डिवाइस/टैबलेट (Pre-loaded Digital device/tablet) उपलब्ध कराए जाने की योजना है।

➢ **ई–लर्निंग पार्क**

प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र के निर्धन, वंचित छात्र/छात्राओं को आधुनिक शिक्षण तकनीक से शिक्षण सुविधा प्रदान करने एवं डिजिटलाइजेशन की ओर उन्मुख करने हेतु राजकीय महाविद्यालयों में ई–लर्निंग पार्क स्थापित करते हुये वाईफाई, एवं इण्टरनेट एक्सेस की सुविधा प्रदान किए जाने की योजना है।

➢ **ई–सुविधा केन्द्र**

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय अपने परिसर में अथवा बाहर पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप द्वारा ई–सुविधा केन्द्र विकसित करने की योजना बना सकते हैं।

5– **माइलस्टोन एवं टाइमलाइन्स** ऑनलाइन शिक्षा के कार्यों की समय–सीमा निम्नवत् निर्धारित की गयी है:–

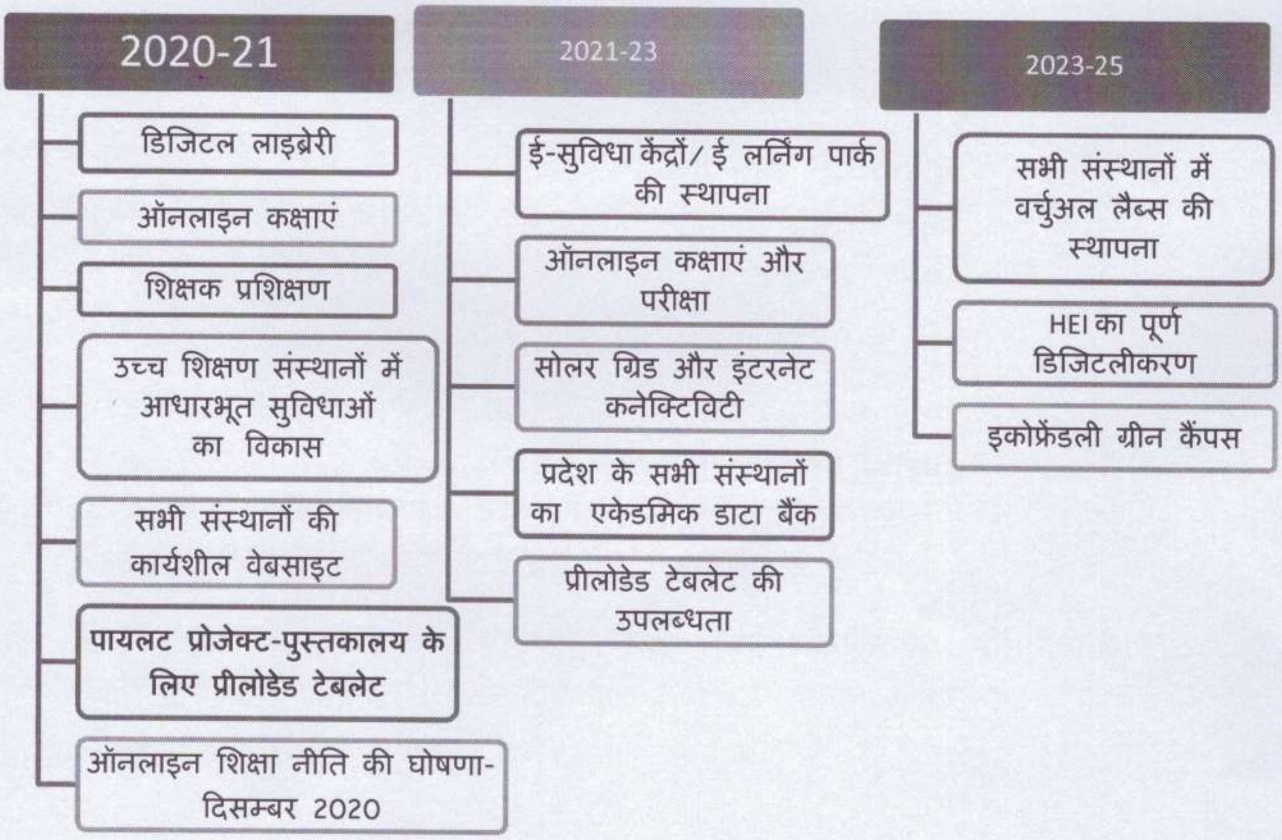

6– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश की कार्ययोजना भाग–1 **"आनलाइन शिक्षा–शिक्षा में तकनीक का प्रयोग"** में दिए गए सुझाव, दिशा–निर्देशों तथा मार्गदर्शी बिन्दुओं के क्रियान्वयन हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध रूप से करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया,

15/12

(मोनिका एस. गर्ग)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या– (1)/सत्तर–3–2020, तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

2 कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।

3 समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)

विशेष सचिव।

कार्यालय निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

पृ0सं0–डिग्री विकास/ 1133–35 / 2020–21 दिनांक 15/12 / 2020

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि (संलग्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश की कार्य–योजना) उक्त आदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

1–समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2–कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश।

3–समस्त प्राचार्य/प्राचार्या राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

डॉ0 (हिरेन्द्र प्रताप सिंह)

संयुक्त निदेशक (उ0शि0),

कृते–शिक्षा निदेशक (उ0शि0),

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्रियान्वयन हेतु

उत्तर प्रदेश की कार्य–योजना

भाग–1

ऑनलाइन शिक्षा

शिक्षा में तकनीक का प्रयोग

ऑनलाइन शिक्षा का स्वरूप

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में मुक्त दूरस्थ शिक्षा एवं ऑनलाइन प्रोग्राम आरम्भ करने के लिये शिक्षा संस्थानों को प्रोत्साहित किया गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिये नये पाठयक्रम तैयार करने, नामांकन दर में वृद्धि करने तथा आजीवन सिखाने के अवसर उपलब्ध कराने का यह एक सुनहरा अवसर है।

लॉकडाउन से पहले भी अनेक माध्यमों द्वारा उत्तर प्रदेश के तकनीकी संस्थानों में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जा रही थी, परन्तु अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों में इसकी पहुंच सीमित थी। यद्यपि प्रदेश में आनलाइन शिक्षा अपने आरंभिक एवं प्रायोगिक दौर में था तथा इसका प्रयोग सीमित रूप से हो रहा था, महामारी के समय की चुनौती को समझते हुए ''घर–से–पढ़ाने'' तथा ''घर–से–पढ़ने'' की पद्धति को तेजी से अपनाने की उत्साहवर्धक पहल प्रदेश में हुई। लॉकडाउन के पहले दो चरणों में प्रदेश के लगभग 15000 शिक्षकों ने आनलाईन शिक्षा प्रक्रिया की विभिन्न विधियों को अपनाकर छात्रों को अबाध रूप से शिक्षा प्रदान की जिससे लगभग नौ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

अन्य तकनीकी क्रांतियों की तरह ऑनलाइन शिक्षा में अपनी चुनौतियॉ और अवसर दोनों हैं। जहॉ यह शिक्षा में तेजी से वृद्धि की अपार संभावना का अवसर प्रदान करती है, वहीं सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वंचित वर्ग के छात्रों के लिए आनलाइन शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध कराना एक चुनौती है। इस परिप्रेक्ष्य में हमें प्रदेश के सभी वर्गों के हित एवं समावेशी विकास के दोहरे लक्ष्यों को ध्यान में रखकर आनलाइन शिक्षा के लिये सुनियोजित संरचनात्मक वातावरण निर्मित करना होगा।

ई–अध्ययन पाठ्य सामग्री तैयार करने, अध्यापन करने तथा मूल्यॉकन करने की प्रक्रियाएं इस तरह तैयार की जानी हैं कि वे सभी प्रकार के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें। उच्च स्तरीय ई–कटेंट की उपलब्धता इसकी अधारशिला है। अंग्रेजी भाषा में ई–कटेंट पहले से ही विभिन्न स्रोतों पर बहुलता में उपलब्ध है, इन्हें विद्यार्थियों तक शीघ्रता से पहुॅचाने के लिये पाठ्यक्रम के अनुसार एकीकृत किया जा सकता है। इस बीच हमें क्षेत्रीय भाषाओं में प्रदेश में संचालित विषयों के लिये ई–कटेंट तेजी से विकसित करने होंगे। पाठ्य सामग्री को पाठ्यक्रम के अनुरूप वीडियो, ऑडियो एवं चित्रों के उपयोग से रुचिकर बनाना होगा ताकि वह छात्रों को आसानी से समझ में आ सके। उदाहरणार्थ जन्तु विज्ञान के ई–कटेंट में वीडियो एवं चित्रों का तथा भाषा के ई–कटेंट में व्याकरण, वर्तनी जॉचने वाले माध्यम का उपयोग कर उसे आर्कषक बनाया जा सकता है।

ऑनलाइन शिक्षा आत्म नियंत्रक एवं आत्मप्रेरित है, इसमें विद्यार्थी अपनी इच्छा एवं गति से सीख सकते हैं, किसी अध्याय को पुनः पढ़ सकते हैं और अपनी इच्छानुसार अध्याय के किसी भाग को छोड़ सकते हैं अथवा किसी भाग पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। परन्तु आलसी छात्र इसमें पिछड़ सकते हैं। अतः छात्रों का निरन्तर एवं समयबद्ध मूल्यॉकन अति आवश्यक है ताकि कम अंक लाने वाले छात्रों को पहचानकर, उनके अंसतोषजनक परिणाम के कारण जानकर, उन पर विशेष ध्यान देकर उनके अंकों में सुधार कर समाधान किया जा सके।

यह परिदृश्य पुनः ऑनलाइन शिक्षण के तरीके तथा मूल्यॉकन की सुदृढ़ प्रक्रिया की आवश्यकता की ओर इशारा करता है। विभिन्न आनलाइन चर्चा मंच तथा छोटे मीटिंग रुम (गूगल क्लासरुम, मूडल, जूम आदि) के द्वारा छात्रों के छोटे–छोटे समूह बनाये जा सकते हैं, जिसमें शिक्षक आवश्यकतानुसार प्रतिभाग कर चर्चा कर सकते हैं, नोट्स उपलब्ध करा सकते हैं। व्हाइटबोर्ड तथा छोटे गैजेट जैसे– पेन वाले टैबलेट आदि की सहायता से शिक्षक आसानी से गणितीय समीकरण को हल कर छात्रों को दिखा सकते हैं एवं आसानी से समझा सकते हैं।

माइक्रोसॉफ्ट टीम, गूगल हैंगआउट, स्काईप, वैबएक्स, जूम आदि की सहायता से अंतर–विद्यालयीय शिक्षण रियल टाइम में संभव है, इसके द्वारा छात्र किसी भी शिक्षक की कक्षा में रियल टाइम में प्रतिभाग कर ज्ञानार्जन कर सकते हैं। इससे न केवल छात्र अपनी पंसद के शिक्षक से पढ़ सकते हैं, वरन् इससे आनलाइन शिक्षण समायोजन कर, आंशिक रूप से कालेजों में शिक्षकों की तात्कालिक समस्या का समाधान किया जा सकता है तथा शिक्षक–छात्र अनुपात में भी सुधार किया जा सकता है।

सिमुलेशन तथा वर्चुअल लैब छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने में मदद करते हैं। इसे ट्यूटोरियल तथा रेमीडियल कक्षाओं के द्वारा पूरक किया जा सकता है तथा बाद में व्यक्तिगत आवश्यकता के मद्दे नजर इसमें सुधार किये जा सकते हैं।

इंटरएक्टिव पैड, डिजिटल पैड, ऑडियो सिस्टम, ऑन लाइन टू वे आईपी कैमरा, सॉफ्टवेयर, डिजिटल लैब उपकरण, वर्चुअल प्रायोगिक, ऑनलाइन क्लास (जूम, वेबएक्स, गूगल मीट, टीम आदि) और विच्छेदन सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे उपकरण और तकनीकें हैं जिनका उपयोगएक पारंपरिक कक्षा को स्मार्ट क्लास रूम में परिवर्तित करने के लिए किया जा सकता है।

ध्यान रखना होगा कि समूह में सीखने की आपसी तारतम्यता, नागरिक भावना एवं कौशल विकास हेतु कक्षा संवाद का परम्परागत शिक्षण आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में परंपरागत कक्ष शिक्षण एवं ऑनलाइन शिक्षण के मिश्रित स्वरुप को आकार देना एक बडी चुनौती है। ऐसे विषय जिनमें आत्म निरीक्षण और परिसंवाद आवश्यक है, उनके लिये परंपरागत शिक्षण बेहतर है। उदाहरणार्थ दर्शनशास्त्र में प्रदत्त परिकल्पनाओं का विश्लेषण एवं

नवीन तत्वों को संश्लेषित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है, जिसे आनलाइन शिक्षण में प्राप्त करना कठिन है।

दूरस्थ शिक्षा में कोर्स के दौरान एवं अंत में छात्रों का मूल्यॉकन एक चुनौती है। इसके लिये ई–प्लेटफार्म का प्रयोग करते हुए आनलाइन एवं आफलाइन की मिश्रित मूल्यॉकन पद्धति को अपनाया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा नियंत्रित सत्यापन पद्धति, फेस मूवमेंट रिकॉग्निशन, स्क्रीन लॉक और दूरस्थ निरीक्षण आदि तकनीकों द्वारा आनलाइन परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग को काफी हद तक नियंत्रित कर न्यूनतम किया जा सकता है।

इसके साथ ही, शिक्षकों के मूल्यॉकन के लिये गुणवत्ता नियंत्रक उपायों को लागू करने की आवश्यकता है। निस्संदेह इस आंकलन के लिये छात्रों का अंतिम प्रर्दशन एक पूर्ण पैरामीटर है, लेकिन छात्रों के हितों की रक्षा के लिये समवर्ती मूल्यॉकन भी आवश्यक है। इसके लिए लर्निंग मैनजमेंट सिस्टम को स्वानुकूलित बनाया जाना जाना एक अच्छा समाधान है। लर्निंग मैनजमेंट सिस्टम शिक्षकों के प्रर्दशन/कार्यो की समीक्षा कर, शिक्षण के प्रभाव के बारे में रिपोर्ट तैयार कर सकता है। शिक्षण संस्थान अपनी आवश्यकतानुसार इसमें परिर्वतन कर सकते हैं जिससे यह उपयोगकर्ता की सीखने की क्षमताओं को पहचान कर, मेटा डेटा का प्रयोग कर छात्रों के उन्नयन हेतु उपयुक्त सुझाव दे सकता है।

शिक्षा के मानकों को सुधारने के लिये विषय विशेषज्ञों और प्रतिष्ठित उद्योगों द्वारा कटेंट डिलीवरी का बाह्य मूल्यॉकन एक महत्वपूर्ण कदम होगा। सहकर्मी समीक्षा किसी भी शैक्षणिक प्रयास का एक आवश्यक हिस्सा है और इसे ई–प्लेटफार्म के द्वारा आसानी से पारदर्शी ढंग से किया जा सकता है।

राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नीति पाठ्यक्रम के लचीलेपन और क्रेडिट हस्तांतरण के माध्यम से बहु–विषयक संस्थानों के लिये मार्ग प्रशस्त करती है। इसके लिये ऑनलाइन शिक्षा का उपयोग एक मजबूत आधारशिला होगा। कम्प्यूटर विज्ञान को मेजर विषय के रुप में पढ़ रहा छात्र यदि अर्थशास्त्र/वाणिज्य विषय को माइनर विषय के रूप में पढ़ कर स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, और यदि उसके कालेज में अर्थशास्त्र/वाणिज्य का विषय नहीं है, तो वह किसी अन्य संस्थान से इस विषय को पढ़ कर अपनी रुचि एवं आवश्यकतानुार कोर्स पूरा कर स्टार्टअप खडा कर सकता है। इस प्रकार छात्र अपनी रूचि एवं आवश्यकतानुसार लक्ष्योन्मुखी एवं बहुआयामी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

आधारभूत अनिवार्य पाठ्यक्रम जैसे– नैतिकता, स्वास्थ्य और स्वच्छता और डिजिटल जागरुकता भी शिक्षण संस्थानों द्वारा ऑनलाइन पढाये जा सकते हैं। कुछ संस्थान विशिष्ट पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिये उत्कृष्टता केन्द्र बनने का प्रयास कर सकते है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट आफ थिंग्स, योग एंव ध्यान, क्रिएटिव एवं लिबरल आर्ट आदि। छात्र इन कोर्स को छुट्टियों के दौरान पूरा कर सकते हैं और नियमित पाठ्यक्रम के लिये समय बचा सकते हैं। 24ग7 ऑनलाइन शिक्षा पढ़ने के लिये समय का

लचीलापन प्रदान करती है जिससे कालेज के समय एवं संसाधनों का अधिकतम उपयोग संभव हो सकेगा।

उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती समता, समानता एवं समावेशन की है। नीति आयोग ने नव भारत/75 रिपोर्ट में इंटरनेट की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को एक बडी अड़चन के रुप में सामने रखा है। केवल 25 प्रतिशत छात्रों के पास ही स्मार्टफोन, लैपटाप और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। शिक्षण संस्थानों को इन कमियों को दूर करने के लिये प्रभावी प्रणाली विकसित करनी होगी जिससे डिजिटल गैप को न्यूनतम किया जा सके।

शिक्षण संस्थान ई–कन्टेंट प्रीलोडिड टैबलेट तैयार करा सकते हैं तथा एक व्यवस्था बना कर उन्हें छात्रों को दे सकते हैं, जिस प्रकार पुस्तकालय में छात्रों को पुस्तकें दी जातीं हैं और छात्र इनका प्रयोग इन्टरनेट के बिना घर पर कर सकते हैं। स्थानीय उद्योगों को प्रेरित किया जाये कि वे अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व निधियों का प्रयोग कर कालेजों को हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर उपलब्ध करायें। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन वर्ष 2020 तक सभी गावों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए लक्ष्यबद्ध है, जिससे आनलाइन शिक्षा में मदद मिलेगी। आनलाइन शिक्षा के लिये सरकार दूरस्थ क्षेत्र के स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ ई–लर्निग पार्क स्थापित कर सकती है। कालेज में पढ़ने के पश्चात छात्र वहॉ पर उपलब्ध सुविधाओं एवं डिजिटल प्लेटफार्म का प्रयोग कर सकते हैं।

वर्तमान में हम सूचना एवं संचार क्रांति के युग में जी रहे हैं। इंटरनेट के आविष्कार ने जीवन के सभी पहलुओं पर बड़ी तेजी से अपना प्रभाव डाला है। हमने जीवन में तकनीक को बड़ी आसानी से अपना लिया है परंतु शिक्षा एवं शोध कार्यों में अभी भी हम तकनीक का प्रयोग करने में बहुत पीछे हैं।

नई शिक्षा नीति के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमें उच्च शिक्षा एवं शोध में तकनीक का प्रयोग करने की नीति तैयार करनी होगी जिससे न केवल नई शिक्षा नीति का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके वरन हमारे छात्र अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में सफलता हासिल कर सकें तथा विदेशी छात्र भी हमारे यहां आकर शिक्षा प्राप्त करने में सहजता महसूस करें।

नई उच्च शिक्षा नीति–2020 ने शिक्षा में तकनीकी के प्रयोग पर विशेष बल दिया है, साथ ही महामारी के इस दौर ने भी हमें शिक्षा में तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया है। आज के समय में शिक्षा में तकनीक का प्रयोग आवश्यक है, इसके प्रयोग के बिना हम अपने छात्रों को भविष्य के नागरिक के रूप में विकसित करने में सफल नहीं होंगे।

ऑनलाइन शिक्षा और उच्च शिक्षा के डिजिटलाइजेशन के बारे में एनईपी 2020 का विजन

शिक्षा में प्रौद्योगिकी का प्रयोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति–20 के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है जिसे अध्याय 23 एवं 24 में सम्मिलित किया गया है। गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के साथ प्रौद्योगिकी भी शैक्षिक प्रक्रिया एवं परिणाम के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष जैसे अन्य अत्याधुनिक क्षेत्र में वैशिक स्तर पर नेतृत्व कर रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान पूरे देश को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में करने में मदद कर रहा है। इस रूपांतरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ प्रौद्योगिकी भी शैक्षिक प्रक्रिया एवं परिणामों के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न पर विशेष ध्यान दिया गया है–

- प्रौद्योगिकी का शिक्षा एवं शोध में न्यायसम्मत उपयोग सुनिश्चित करना
- प्रौद्योगिकी विकास की तीव्र दर को देखते हुए यह निश्चित है की प्रौद्योगिकी, शिक्षा को कई मायने में प्रभावित करेगी, जिनमें से वर्तमान में सिर्फ कुछ के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है
- नए प्रौद्योगिकी क्षेत्र जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, स्मार्ट बोर्ड, हस्त संचालित कंप्यूटिंग उपकरण और अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर द्वारा न केवल यह परिवर्तन होगा कि छात्र क्या सीखता है वरन् यह भी परिवर्तन होगा कि वह कैसे सीखता है
- राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (NETF) की स्थापना
- भारतीय भाषा में ऐसे सॉफ्टवेयर का निर्माण जो सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों तथा दिव्यांग विद्यार्थियों सहित सभी के लिए सुलभ हो
- वर्तमान के साथ–साथ भविष्य में आने वाली तकनीकों का उच्च शिक्षा एवं शोध में प्रयोग सुनिश्चित करना
- भविष्य में तकनीक आधारित उत्पन्न होने वाले रोजगार के लिए छात्रों को तैयार करना
- शीघ्रता से शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग सुनिश्चित करना
- तकनीक आधारित शिक्षा से उत्पन्न होने वाली समस्या पर विचार करना तथा उनके समाधान ढूंढना
- डेटा संरक्षण आदि से जुड़े सुरक्षा कानून और मानकों के प्रति जागरूकता बढ़ाना
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रौद्योगिकी के विकास और प्रयोग से जुड़े नैतिक मुद्दों को पहचानना तथा उनके समाधान खोजना
- ऑनलाइन एवं तकनीक आधारित शिक्षा की हानियों को कम करते हुए, इसका अधिकतम लाभ उठाना
- ऑनलाइन प्रशिक्षक बनने के लिए शिक्षकों को उपयुक्त प्रशिक्षण देना
- ऑनलाइन परीक्षा की चुनौतियां को समझना तथा उनके समाधान ढूंढना
- डिजिटल डिवाइड को समाप्त करना

उत्तर प्रदेश का लक्ष्य

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनश्चित कराना
- वर्तमान के साथ–साथ भविष्य में आने वाली तकनीकों का उच्च शिक्षा एवं शोध में प्रयोग सुनिश्चित करना
- उच्च शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना
- शिक्षण अधिगम और आंकलन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना
- डिजिटल डिवाइड को समाप्त करना
- गुणवत्तापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा व्यवस्था का विकास

उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक के प्रयोग के लिए अद्यतन किए गए कार्य

- राज्य स्तरीय उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना ।
- 92 रूसा आच्छादित राजकीय महाविद्यालयों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास ।
- समस्त राज्य विश्वविद्यालयों (RUSA) में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास ।
- 453 कॉलेजों एवं सभी विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा आरंभ ।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति–20 के क्रियान्वयन के लिए वेबीनार का आयोजन ।
- पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पेपरलेस, इको फ्रेंडली शिक्षा का आरंभ ।

उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी

राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नीति–2020 ने उच्च शिक्षा क्षेत्र के पूर्ण पुनरुद्धार का आह्वाहन किया है। शिक्षण संस्थानों को अपने मिशन की नई कल्पना करनी होगी तथा शिक्षा में सुधार की दिशा में मिलकर काम करना होगा। उच्च शिक्षा के सभी हितधारकों का समन्वय और सहयोग भविष्य में विकास के लिये महत्वपूर्ण होगा। इस प्रक्रिया को तेजी से आरम्भ करने के लिये उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के शिक्षकों द्वारा तैयार किये गये ई–कन्टेंट को एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिये एक पोर्टल विकसित किया है, जो सार्वभौमिक रुप से सभी छात्रों को निःशुल्क उपलब्ध होगा। इसे उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है, यह द्विभाषी पोर्टल शिक्षक दिवस पर शुरु किया गया है। प्रदेश सरकार ने सितम्बर–अक्टूबर को विद्यादान माह के रूप में घोषित किया है और शिक्षकों से इस पुस्तकालय में योगदान देने की अपील की है, जो हमारी संस्कृति की प्रमुख विशेषता दान के अनुरूप है। इस डिजिटल लाइब्रेरी पर दो माह में प्रदेश के शिक्षकों द्वारा स्वैच्छिक रूप से लगभग 65000 ई–कन्टेंट अपलोड किये गए और तदुपरान्त निरन्तर अपलोड किए जा रहे है।

कोरोना महामारी के वैश्विक प्रकोप से जब पूरी दुनिया में विकास की गति एकदम मंद पड़ गई है, ऐसे समय में युवा पीढ़ी को प्रगति के नए प्रतिमान को वास्तविकता के धरातल पर चरितार्थ करने का बीड़ा उत्तर प्रदेष सरकार ने उठाया है। 05 सितम्बर, 2020 को उच्च शिक्षा विभाग ने इस पोर्टल का शुभारम्भ करते हुए माह सितम्बर/अक्टूबर, 2020 को ''**विद्यादान माह**'' घोषित किया। इसका उद्देश्य छात्रों को घर बैठे कभी भी कहीं से भी विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों तथा विषय विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध कराए गए उच्च गुणवत्तायुक्त पाठ्य सामग्री को ऑनलाइन सुलभ कराना है।

इस कार्य हेतु एन0आई0सी0 के अधिकारियों द्वारा बहुत कम अवधि में उ0प्र0 उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी के लिए पोर्टल तैयार करने में बहुमूल्य योगदान दिया गया। इनके द्वारा उच्च शिक्षा विभाग तथा विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के साथ गुणवत्तापूर्ण समन्वय एवं अनुश्रवण स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश के 23 विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों के सक्रिय योगदान तथा शिक्षा जगत के लगभग 1700 शिक्षाविदों और तकनीकी विशेषज्ञों की सहभागिता और टीमवर्क के फलस्वरूप माह अक्टूबर, 2020 तक ही 134 विषयों के 35,000 से भी अधिक ई–कन्टेन्ट छात्रों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है।

यह डिजिटल लाइब्रेरी उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्र में एक अनूठी पहल है। यह डिजिटल लाइब्रेरी उच्च शिक्षा की सीमाओं को व्यापक स्तर पर सवंर्धित करेगी। यह देखा गया है कि सभी कॉलेज तथा अधिकांश छात्र महगें जर्नल्स, ई–बुक्स तथा उच्च गुणवत्ता युक्त पुस्तकें महंगी होने के कारण खरीदने में असमर्थ होते है। डिजिटल लाइब्रेरी से उनकी इस समस्या का निदान हो सकेगा। इस डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से छात्र अपने विषय से सम्बन्धित सभी प्रकार की इ–पाठ्य सामग्री को निःशुल्क डाउनलोड कर सकते है।

डिजिटल लाइब्रेरी में हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में शिक्षकों द्वारा लगातार ई–कन्टेन्ट तैयार करके अपलोड किये जा रहे है। इनका अध्ययन कर छात्र अपने ज्ञान का संवर्धन कर सकते है। डिजिटल लाइब्रेरी के हजारों की संख्या में विजिटर्स हो चुके हैं जिससे पता चलता है कि निश्चित ही यह आने वाले समय में भारतीय उच्च शिक्षा की दशा एवं दिशा दोनों को ही परिवर्तित करेगी। ई–कन्टेन्ट से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा हेल्पलाइन नं0 भी जारी किए गए जिनके माध्यम से छात्र किसी भी समय अपनी ई–कन्टेन्ट सम्बन्धी समस्याओं का निदान कर सकते है।

प्रदेश में उच्च शिक्षा एवं शोध में तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा दिए जाने के लिए प्रस्तावित व्यवस्थाएँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–20 ने शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग एवं ऑनलाइन शिक्षा आरम्भ करने के लिए जो सिफारिशें की हैं उत्तर प्रदेश उन्हें लागू करने में लिए अग्रणी भूमिका निभाएगा तथा प्रदेश में निम्न कायक्रमों/योजनाओं को यथाशीघ्र लागू किया जाएगा ।

1- शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण (Training the teachers)

प्रभावशाली ऑनलाइन प्रशिक्षक बनने के लिए शिक्षकों को उपयुक्त प्रशिक्षण और विकास चाहिए। प्रशिक्षण पहले से ही यह माना जा सकता है कि पारंपरिक कक्षा में एक अच्छा शिक्षक स्वचालित रूप से चलने वाली एक ऑनाइन कक्षा में भी एक अच्छा शिक्षक सिद्ध होगा। अध्यापन मे आवश्यक परिवर्तनों के अलावा ऑनलाइन आकलन के लिए भी एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। बड़े पैमाने पर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने में कई चुनौतियॉ है। जिनमें ऑनलाइन प्ररिवेश में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार से सम्बन्धित सीमाएँ, नेटवर्क और बिजली के व्यवधान से जूझना और अनैतिक प्रथाओं को रोकना शामिल है। कुछ पाठयक्रम/विषय जैसे प्रदर्शन कला और विज्ञान व्यवहारिक ऑनलाइन/डिजिटल शिक्षा क्षेत्र मे ंसीमाएँ है। जिन्हें उपायो के साथ कुछ सीमा तक दूर किया जा सकता है। इसके अलावा जब तक ऑनलाइन शिक्षा को अनुभवात्मक और गतिविधि–आधारित शिक्षा के साथ मिश्रित नही किया जाता तब तक यह सीखने के सामाजिक, भावात्मक और साइकोमोटर आयामों पर सीमित फोकस वाली एक स्क्रीन आधारित शिक्षा मात्र ही बन जायेगी।

सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों को ऑनलाइन क्लास लेने तथा ईकंटेंट बनाने के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा प्रशिक्षण दिए जाएंगें जिससे वे गुणवत्ता परक शिक्षण अध्ययन सामग्री स्वयं तैयार कर सकें।

शिक्षकों को शिक्षार्थी–केंद्रित अध्यापन में गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा और यह भी बताया जाएगा कि वे ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफार्मो और उपकरणों का उपयोग करके उच्चतर गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामाग्री का स्वयं सृजन करेंगे। ई–सामाग्री के साथ साथ छात्रों में आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए शिक्षक की भूमिका पर जोर दिया जाएगा।

2– सीखने का मिश्रित मॉडल (Blended models of learning)

डिजिटल शिक्षा व शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही, परंपरागत व्यक्तिगत रूप से आमने–सामने सीखने का अपना ही महत्व है। तदनुसार विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न विषयों के लिए सीखने के विभिन्न मिश्रित प्रभावी मॉडल (Online+Offiline) विकसित करके सम्बद्ध महाविद्यालयों को उपलब्ध कराएगा। साथ ही संस्थान में उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं एवं शिक्षकों का विवरण भी इसमें अपलोड किया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहें।

3- **Acadmic Data Base- Acadmic data base credit**

प्रदेश स्तरीय अकादमिक डेटा बैंक की स्थापना की जाएगी जिसमें सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों का विवरण (Unique Id के साथ) उपलब्ध कराया जाएगा ताकि राष्ट्रीय

शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य Credit Transper की पूर्ति हो सके। समस्त शिक्षण संस्थानों की कार्यशील वेबसाइट मार्च 2021 तक बनानी होगी तथा समय–समय पर उसे अपडेट करना होगा ।

4– कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के सभी कार्यों का डिजिटाइजेशन किया जाए (MIS and LMS, Admission, HEIs official work, Teaching, Practical, Examination, Teacher training, TC- CC, Degree, Certficate etc) ।

5– <u>सभी विश्वविद्यालयों द्वारा वर्ष 2021–22 में प्रौद्योगिकी शिक्षा मंच की स्थापना</u>

सभी विश्वविद्यालय उक्त मंत्र के माध्यम से निम्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे।

- **ऑनलाइन शिक्षण की निगरानी के लिए गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र** –ऑनलाइन शिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी व्यवस्था बनाई जाए । शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण के साथ उनके कार्यों की निगरानी भी हो ।
- **डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर** (Digital infrastructure) – प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में डिजिटल डिवाइस, इंटरनेट की उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति, स्मार्ट क्लास की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही उपलब्ध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे जूम, माइक्रोसॉफ्ट, वेबैक्स, गूगल टीम आदि को प्रोत्साहित किया जाए ।
- **ऑनलाइन शिक्षण मंच और उपकरणः–** शिक्षार्थियों की प्रगति की निगरानी के लिए शिक्षकों को सहायक उपकरण के एक संरचित, उपयोगकर्ता अनुकूल विकसित सेट प्रदान करने के लिए स्वयम, दीक्षा जैसे उपयुक्त मौजूदा ई–लार्निग प्लेटफार्म का उपयोग किया जाएगा। वर्तमान महामारी ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑनलाइन कक्षाओं के आयोजन के लिए दो–तरफा वीडियों और दो–तरफा ऑडियों इंटरफेस जैसे उपकरण एक वास्तविक आवश्यकता है।
- **डिजिटल सामग्री निर्माण, डिजिटल रिपोजिटरी और प्रसार** (Content creation, digital repository and dissemination)– कोर्स वर्क, लर्निंग गेम्स और सिमुलेशन, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का निर्माण सहित ई–कंटेंट की एक डिजिटल रिपोजिटरी विकसित की जाए, स्पष्ट संचालन निर्देश के साथ कई भाषाओं में भारतीय कला और संस्कृति का एकीकरण करते हुए मोबाइल ऐप एवं सॉफ्टवेयर विकसित किये जाये।
- **डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर–** प्रदेश के क्षेत्रफल, विविधता, जटिलता और डिवाइस अर्थबोध को हल करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र मे ंखुले, परस्पर, विकसित, सार्वजनिक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रचर का निर्माण करने की आवश्यकता है, जिसका उपयोग कई प्लेटफार्मो और पॉइंट सॉल्यूशंस द्वारा किया जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रौद्योगिकी आधारित समाधान प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति के साथ पुराने न हो जाएं।

- **सामाग्री निर्माण, डिजिटल रिपॉजिटरी और प्रसार–** कोर्स वर्क, लर्निंग गेम्स और सिमुलेशन, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के निर्माण सहित कंन्टेन्ट की एक डिजिटल रिपॉजिटरी विकसित की जाएगी, जिसमें प्रभावशीलता और गुणवत्ता के लिए उपयोगकर्ताओं द्वारा रेटिंग करने के लिए एक स्पष्ट सार्वजनिक प्रणाली होगें। छात्रों के लिए मनोरंजन आधारित अधिगम हेतु उपयुक्त उपकरण जैसे ऐप, स्पष्ट संचालन निर्देश के साथ कई भाषाओं में भारतीय कला और संस्कृति का एकीकरण आदि भी बनाए जाएंगे। छात्रों को ई–सामाग्री का प्रसार करने के लिए एक विश्वसनीय बैकअप तंत्र प्रदान किया जाएगा।
- **डिजिटल अंतर को कम करना होगा** (Addressing the digital divide) – तथापि ऑनलाइन/डिजिटल शिक्षा का लाभ तक तक नहीं उठाया जा सकता जब तक डिजिटल इंडिया अभियान और किफायती कंम्प्यूटिंग उपकरणों की उपलब्धता जैसे ठोस प्रयासों के माध्यम से डिजिटल अंतर को समाप्त नहीं किया जाता। यह जरूरी है कि ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग समानता के सरोकारों को पर्याप्त रूप से सम्बोधित किया जाए।

  प्रदेश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसकी डिजिटल पहुंच अभी भी बहुत सीमित है। मौजूदा जनसंचार माध्यम जैसे टेलीविजन, रेडियो और सामुदायिक रेडियो का उपयोग टेलीकास्ट और प्रसारण के लिए किया जाए ।
- **वर्चुअल लैब्स** (Virtual Labs)–प्रायोगिक पाठ्यक्रमों के लिए वर्चुअल लैब्स की स्थापना की जाएगी। वर्चुअल लैब बनाने के लिए दीक्षा, स्वयम और स्वयप्रभा जैसे मौजूदा ई–लर्निग प्लेटफार्म का उपयोग किया जाएगा ताकि सभी छात्रों को गुणवत्ता पूर्ण व्यवहारिक और प्रयोग आधारित अनुभव का समान अवसर प्राप्त हो। एसईडीजी छात्रों और शिक्षकों को पहले से लोड की गई सामाग्री वाले टैबलेट जैसे उपयुक्त डिजिटल उपकरण पर्याप्त रूप से देने की सम्भावना पर विचार किया जाएगा और उन्हें विकसित किया जाएगा।
- **ऑनलाइन मूल्यांकन एवं परीक्षाएं** (Online assessment and examinations)– प्रतिवर्ष कुल परीक्षायें/आंतरिक परीक्षायें आनलाईन माध्यम से आयोजित की जाएगी।
- **ऑनलाइन शिक्षा के लिए मानक निर्धारित करना** (Laying down standards)–ई लर्निंग के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जाएं ।
- अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्स के साथ स्वदेशी उपकरण/सॉफ्टवेयर विकसित करना तथा सरल एवं आसानी से प्रयोग होने वाली भारतीय प्रौद्योगिकी विकसित की जाएगी। विश्वस्तरीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, शैक्षिक डिजिटल कंटेंट समिति और क्षमता का निर्माण करने के लिए कार्ययोजना सृजन।
- **सौर ऊर्जा–** तकनीकी शिक्षा के लिए ऊर्जा की उपलब्धता बहुत आवश्यक है। इसलिए शिक्षण संस्थानों में यथासंभव सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा जिससे उच्च शिक्षण संस्थानों को अबाध रुप से विद्युत प्राप्त होती रहे और पर्यावरण संरतुति भी हो सके ।

- **<u>ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट अध्ययनः–</u>** ऑनलाइन शिक्षा की हानियों को कम करते हुए उसे शिक्षा के साथ एकीकृत करने के लाभों का मूल्यांकन करने के लिए और छात्रों को उपकरणों की आदत, ई–कंटेन्ट का सबसे पसंदीदा प्रारूप आदि जैसे सम्बन्धित विषयों का अध्ययन करते हुए फीडबैक एनआईओएस, इग्नू, आईआईटी, एनआईटी आदि जैसी उपयुक्त एजेंसियों की पहचान की जाएगी। इनके परिणामों को सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाएगा और निरंतर सुधार के लिए इनका उपयोगा किया जाएगा।

ऑनलाइन शिक्षा एवं शिक्षा में तकनीक के प्रयोग के लिये आवश्यक उपकरण

- प्रतिक्रिया और पायलट अध्ययन।
- इंटरनेट की उपलब्धता/कनेक्टिविटी/स्पीड।
- डिजिटल डिवाइस (पीसी, लैपटॉप, मोबाइल, आईपैड या टैबलेट)।
- ग्रिड आधारित सौर कनेक्टिविटी।
- स्मार्ट क्लास उपकरण।
- एफएम सामुदायिक रेडियो, टी.वी.।
- आभासी प्रयोगशाला।
- आभासी विच्छेदन।
- सिम्युलेटर।
- शैक्षिक सॉफ्टवेयर, एलएमएस, ऑनलाइन क्लास पोर्टल।

ऑनलाइन शिक्षा एवं शिक्षा में तकनीक के प्रयोग की प्रमुख समस्याएँ और मुद्दे

- शिक्षकों, छात्रों, नीति निर्माताओं की मानसिकता।
- इंटरनेट की उपलब्धता/कनेक्टिविटी/स्पीड की उपलब्धता ।
- डिजिटल डिवाइस की उपलब्धता ।
- विद्युत आपूर्ति ।
- माता–पिता का समर्थन ।
- तनाव या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ।
- एलएमएस और शिक्षण पोर्टल की उपलब्धता ।
- आधारभूत सुविधाएं ।

ऑनलाइन शिक्षा एवं शिक्षा में तकनीक को बढावा देने के लिये प्रेरणा

- शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन या पुरस्कार योजना ।
- सर्वश्रेष्ठ वेबसाइट के लिए पुरस्कार ।
- आईसीटी के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए पुरस्कार ।

ऑनलाइन शिक्षा एवं शिक्षा में तकनीक के उपयोग के विरुद्ध आम आपत्ति एवं तर्क

- छात्र के शिक्षक का संबंध ।
- आंख से आंख का (Eye-to-Eye) संपर्क नहीं ।

- शिक्षकों की जरूरत नहीं ।
- किताबों की जरूरत नहीं ।
- परीक्षा की सुरक्षा और पवित्रता ।
- शिक्षक प्रौद्योगिकी के उपयोग में प्रशिक्षित नहीं है ।
- डिवाइस और इंटरनेट की उपलब्धता ।
- ऑनलाइन प्रणाली के लिए स्वायत्तता और स्वतंत्रता ।
- विद्यार्थियों की नजर (eyesight) कमजोर होती है ।
- विद्यार्थियों का मानसिक तनाव स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ती है।
- विद्यार्थियों का एकाकीपन बढ़ता है।
- खेलकूद / शारीरिक गतिविधियों में विद्यार्थियों की रूचि कम होती है।

ऑनलाइन शिक्षा के लाभ

- स्वचालित रूप से प्रौद्योगिकी प्रशिक्षित छात्र ।
- भविष्य के लिए तैयार शिक्षक एवं छात्र ।
- पर्यावरण के अनुकूल शिक्षा ।
- 24X7 शिक्षा– कभी भी, कहीं भी ।
- शिक्षा एवं परीक्षा में पारदर्शिता ।
- विश्व मंच पर विशेषज्ञ ज्ञान साझा करना ।
- आभासी प्रयोगशाला और आभासी विच्छेदन ।
- छात्र और शिक्षक के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन ।

ऑनलाइन शिक्षा के कार्यो की समय सीमा

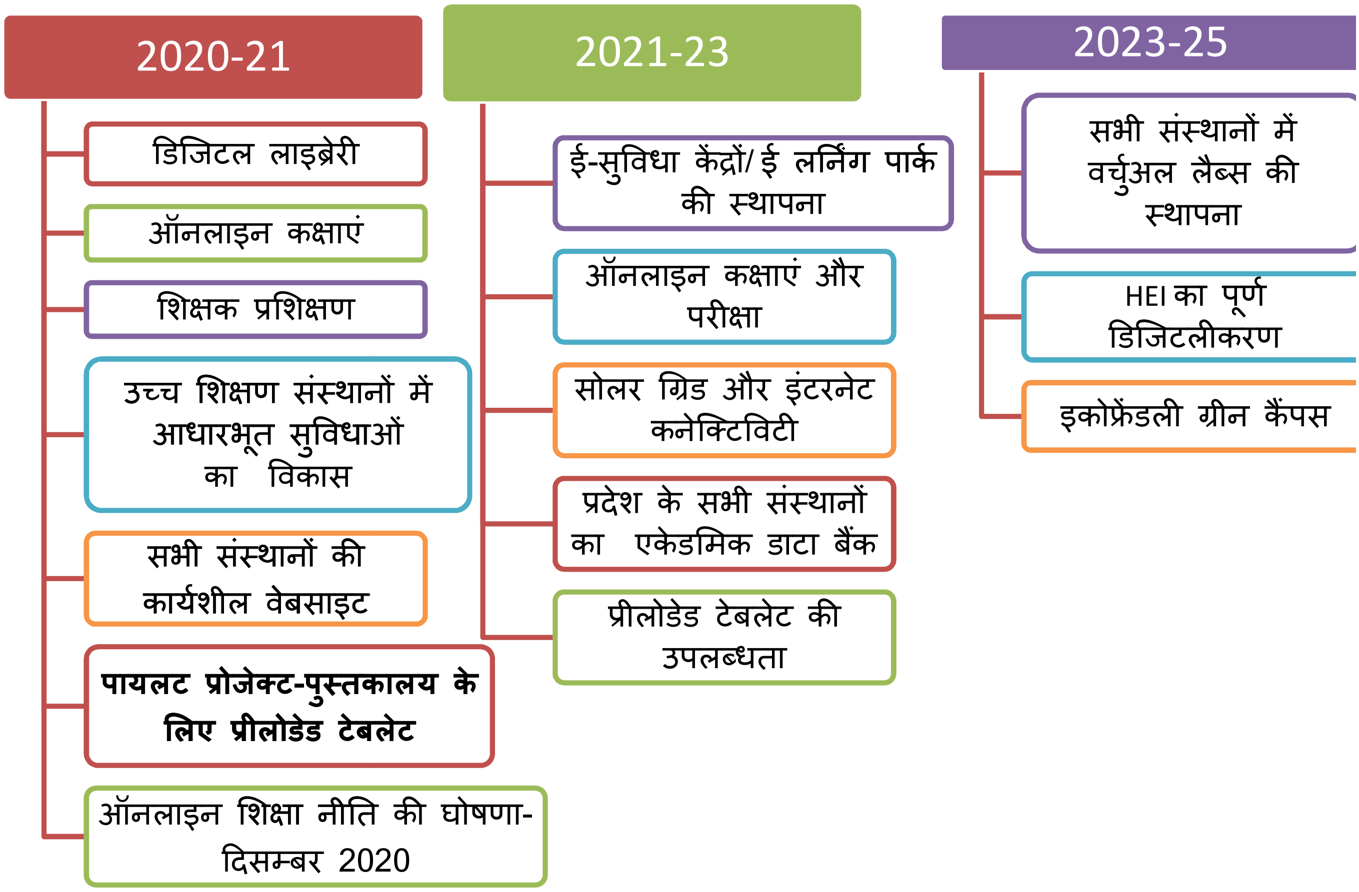

ऑनलाइन शिक्षा तथा शिक्षा में तकनीक के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिये प्रस्तावित व्यवस्थाएँ

1– ऑनलाइन कक्षायें (**Online Classes**)–

कोरोना महामारी के कारण अधिकांश विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में ऑनलाइन कक्षायें संचालित हो रहीं हैं, इसे जारी रखा जायेगा।

2- ऑनलाइन क्लास टाइम टेबल–

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन क्लासेस का टाइम टेबल लिंक के साथ अपलोड होना चाहिए, जिससे छात्र उस लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन क्लास में प्रतिभाग कर सकें। जब कक्षाएं महाविद्यालय में संचालित होने लगेंगी, तब भी एक निर्धारित प्रतिशत पाठयक्रम को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से चलाना होगा। प्राचार्य/कुलपति नामिनी समय–समय पर आनलाईन कक्षाओं में Virtually जाकर देखें कि शिक्षक समय सारणी के अनुसार आनलाईन कक्षाओं में उपस्थित हैं ।

3– ई–कंटेंट –

- सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय अपनी वेबसाईट पर उ0प्र0 उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी का लिंक (http://heecontent-upsdc-gov-in/Home-aspx) उपलब्ध करायें ताकि छात्र आसानी से इस बृहद लाइब्रेरी का उपयोग कर सकें ।
- सभी शिक्षक उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी के लिए ई–पोर्टल के लिए ई–कंटेंट तैयार करें, तथा अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें तथा छात्रों को इस बारे में अवगत करायें जिससे छात्र इसका उपयोग कर सकें।
- जहां तक संभव हो सकेए अपने विषय से संबंधित प्रयोगों के वीडियो या एनिमेशन बनाएं तथा उसे विभाग की डिजिटल लाइब्रेरी पर अपलोड करें।
- सभी शिक्षक अपनी ऑनलाइन क्लासेस के वीडियो को भी विभागीय पोर्टल पर अपलोड करेंगे इससे छात्रों को उनकी भाषा में उनके शिक्षकों के लेक्चर बार–बार सुनने का अवसर प्राप्त होगा।

4– टीचर ट्रेनिंग (**Teacher training for Digital literacy and creativity**)–

- विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों को डिजिटल साक्षार बनाने के लिए आनलाईन/आफलाईन डिजिटल ट्रेनिंग की व्यवस्था करें ताकि वे सुगमता से शिक्षा में टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकें ।
- निदेशक, उच्च शिक्षा एवं समस्त विश्वविद्यालय शिक्षकों को डिजिटली साक्षर बनाने के लिये एक कैलेंण्डर जारी करें तथा आनलाईन प्रशिक्षण तत्काल आरम्भ करायें । यह

प्रशिक्षण विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कार्यकारी समय के पूर्व/बाद के समय में होना चाहिए ।

5. **इंटरनैट/वाई–फाई कैम्पस (Internet/Wi-Fi facility)–**

विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कैम्पस को वाई–फाई करने तथा कैम्पस के अंदर निशुल्क इंटरनेट उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था करेगा।

6. **ऑनलाइन एजुकेशन फीडबैक/मॉनीटरिंग–**

- निदेशालय/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर लगातार आनलाईन एजुकेशन की फीडबैक ली जायेगी जिससे छात्रों की ई–लर्निंग से सम्बंधित समस्याओं का निराकरण किया जा सके ।
- निदेशालय/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी समय–समय पर आनलाईन क्लास संचालन का वर्चुअल निरीक्षण करेंगें, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि समय–सारणी अनुसार एक गुणवत्तापूर्वक आनलाईन कक्षायें संचालित हो रहीं हैं ।

7- **ऑनलाइन परीक्षा (Online Exam)–**

- विश्वविद्यालय को आगामी सत्र (2021–22) में, एक प्रश्न पत्र डिजिटल माध्यम से कराने के इंतजाम करने होंगे, विश्वविद्यालय इच्छुक संम्बंधित महाविद्यालयों को आनलाईन/डिजीटल परीक्षा कराने हेतु अनुमति प्रदान करेंगे ।

8 **उच्च शिक्षा संस्थानों की अपनी बेवसाइट**

- सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की वेबसाइट क्रियाशील होनी चाहिए। वेबसाइट पर महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों की समस्त जानकारी उपलब्ध हो तथा वह लगातार अपडेट होती रहे । इस पर आनलाईन क्लास एवं ई–कटेंट के लिंक उपलब्ध रहें ।

9– **ऑन लाइन शिक्षा हेतु विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा वर्तमान सत्र (2020–21) से उठाये जाने वाले कदम–**

- भविष्य में संस्थान में प्रवेश के समय में प्रवेश फार्म (admission form) में ही छात्रों से ऑनलाइन एजुकेशन का विकल्प दिया जाए तथा यह पूछा जाये कि क्या वे ऑनलाइन शिक्षा के लिए तैयार हैं (Do you have digital device and Internet – Yes /No , Do you want to participate in online classes– Yes /No) । इससे यह पता चल सकेगा कि कितने छात्रों के पास ऑनलाइन शिक्षा के लिये आधारभूत सुविधा उपलब्ध है तथा उपलब्ध संख्या के आधार पर online + offline blended mode की योजना तैयार की जा सकती है।

10- <u>एफ.एम. कम्यूनिटी रेडियो की स्थापना</u>

- समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को ध्यान में रखकर भारत सरकार के सहयोग से एफ.एम. कम्युनिटी रेडियो की स्थापना कर सकते है तथा उस पर कक्षाओं का लाइव एवं रिकोर्डिड प्रसारण सुनश्चित करें जिससे छात्र रेडियो के माध्यम से भी कक्षाओं में प्रतिभाग कर सकें ।

11– <u>आनलाईन प्री–पी.एच.डी. कोर्स</u>

सभी विश्वविद्यालय प्री पी.एच.डी कोर्स अनिवार्य रूप से ऑनलाईन माध्यम से कराये जाने हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

12– <u>ऑनलाइन शिक्षा एवं शिक्षा में तकनीक के प्रयोग के लिए वित्तीय व्यवस्था–</u>

- प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले बी.पी.एल छात्रों के लिये प्री–लोडेड टेबलेट की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्रोत्रों से, सी.एस.आर. एन.जी.ओ.ए सांसद–विधायक निधि, अन्य व्यक्तियों से दान के द्वारा
- विद्यार्थी ऋण योजना– उच्च शिक्षा संस्थान अपने स्तर से बैकों से समझौता कर सकते हैं जिससे इच्छुक छात्र अपनी आवश्यक्तानुसार उपकरण लें और किस्तों में उसे वापिस कर सकें ।

13- <u>शिक्षा में तकनीक के प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु प्रस्तावित योजनाः–</u>

प्री–लोडिड डिजिटल डिवाइस/टैबलेट **(Pre-loaded Digital device/tablet)**–

उत्तर प्रदेश के महत्वाकांक्षी जनपद अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्र है जिनमें छात्र–छात्राएं मोबाइल, इण्टरनेट एवं अन्य ई–लर्निंग से संबंधित सामग्री से सुसज्जित नहीं है। इसी में दृष्टिगत महात्वाकांक्षी उक्त जनपदों के राजकीय महाविद्यालय में अध्यनरत् छात्र–छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराये जाने की शासन की योजना है, ताकि इन पिछड़े अंचलों के छात्र–छात्रा भी आनलाइन शिक्षण का लाभ प्राप्त कर अपने ज्ञानार्जन में वृद्धि कर सकें। 07 जनपदों फतेहपुर, चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, श्रावस्ती, सिद्वार्थनगर एवं बलरामपुर के 18 राजकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में प्रीलोडेड टैबलेट उपलब्ध कराये जाने की योजना प्रस्तावित है, जिससे दूरस्थ अंचलों के छात्र भी इण्टरनेट पर उपलब्ध शिक्षण सामग्री को एक्सेस कर सकें। ई–कन्टेन्ट, डिजिटल लाइब्रेरी इत्यादि सुविधाओं का लाभ प्री–लोडेड टैबलेट से किया जा सकता है। इस हेतु महत्वाकांक्षी जनपदों में स्थित राजकीय महाविद्यालयों के छात्र–छात्राओं को प्री–लोडेड टैबलेट उपलब्ध कराए जाने की महती आवश्यकता है।

विभिन्न शोध अध्ययन यह बताते है कि टैबलेट्स कम्प्यूटर स्किल में वृद्धि करते है तथा शिक्षार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करते है। टैबलेट्स का परिवहन सुविधा जनक होता है छात्र–छात्रा टैबलेट्स के माध्यम से वीडियों, फोटोग्राफस, वाइस रिकोर्डिंग एवं टेस्ट

लिटरेचर आसानी से टैबलेट्स में सुरक्षित रख अपने ज्ञानार्जन में वृद्धि कर सकतें है। नवीन शिक्षा नीति 2020 में शिक्षार्थियों हेतु उन्नत तकनीक आधारित सीखने के नए विकल्प उपलब्ध कराने का उल्लेख किया गया है जिसके तहत विभिन्न एप्स, आनलाइन कोर्सेस, माड्यूल, सेटेलाइट बेस्ड टी0वी0 चैनलस, आनलाइन बुक्स एवं ई–लाईब्रेरी इत्यादि सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने में छात्र सफल होंगे।

इसी के दृष्टिगत 07 जनपदों के 18 राजकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में टैबलेट उपलब्ध कराए जाने की योजना प्रस्तावित है, जिनमें पहले से ही पाठ्य सामग्री लोड होगी, उन्हें पुस्तकों की भांति छात्रों को नियत समय के लिये पुस्तकालय से इश्यू किया जायेगा और छात्र अपने घर बैठे ही ऑफलाइन उसका अध्ययन कर सकते हैं, चाहे उन्हें इण्टरनेट की सुविधा ना भी उपलब्ध हो। 07 जनपदों यथा–फतेहपुर, चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर एवं बलरामपुर के 18 राजकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में प्री–लोडेड टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनमें पाठ्यक्रम के अनुरूप सामग्री पहले से उपलब्ध रहेगी। प्रत्येक महाविद्यालय में 8–9 प्री–लोडेड टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 में पर्याप्त बजट व्यवस्था उपलब्ध है।

14– ई–लर्निंग पार्क (**e-learning park**)

प्रदेश के अनेक राजकीय महाविद्यालय पिछड़े क्षेत्रों में है जहाँ पर आधुनिक तकनीकी संसाधनों की अत्यंत कमी महसूस की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार विशेषकर पिछड़े क्षेत्र के निर्धन, वंचित छात्र/छात्राओं को शिक्षण कार्य से जुड़ी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है। ऐसे में प्रदेश के 170 राजकीय महाविद्यालयों में से तहसील/ब्लाक स्तर पर संचालित 120 राजकीय महाविद्यालयों में जिनमें अधिकांश छात्र ग्रामीण अंचल के पिछड़े एवं वंचित तबके के हैं, इन साधन विहीन छात्रों को आधुनिक शिक्षण तकनीक से शिक्षण सुविधा प्रदान करने एवं डिजिटलाइजेशन की ओर उन्मुख करने हेतु राजकीय महाविद्यालयों में ई–लर्निंग पार्क स्थापित करते हुये वाईफाई, एवं इण्टरनेट एक्सेस की सुविधा प्रदान करके इन ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को आनलाइन शिक्षण सामग्री ई–कन्टेन्ट, डिजिटल लाईब्रेरी के उपयोग, विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों, वेबिनार आदि अनेको उपयोगी एवं आधुनिक सुविधाएं प्रदान कर उनका बहुमुखी विकास किया जा सकता है। इस दिशा में ई–लर्निंग पार्क की सुविधा से शैक्षणिक गतिविधिओं को बढ़ावा मिलेगा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को सुचारू रूप से सम्पन्न किया जा सकेगा।

15– ई–सुविधा केन्द्र

- समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय अपने कम्प्यूटर केन्द्र का अधिकतम उपयोग सुनश्चित करने हेतु उसे ई–सुविधा केन्द्र के रुप में विकसित करने पर विचार कर

सकते हैं, ताकि संस्थान के समय के पश्चात छात्र ई–लर्निंग के लिये उसका उपयोग कर सकें।

- विश्वविद्यालय / महाविद्यालय अपने क्षेत्र के इंटर कालेज, पंचायतों में जहॉ कम्प्यूटर एवं इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हों, को ई–सुविधा केन्द्र में प्रयोग करने के लिये योजना बना सकते हैं ताकि छात्रों को अपने घर के पास आनलाइन शिक्षा प्राप्त हो सके।
- विश्वविद्यालय / महाविद्यालय अपने क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों / उधोगों से सम्पर्क कर सी.एस.आर. के अन्तर्गत ई–सुविधा केन्द्र स्थापित करवा सकते है।
- छात्रों को न्यूनतम दर पर ऑनलाईन सुविधा प्रदान करने के लिये विश्वविद्यालय और महाविद्यालय अपने क्षेत्रों में इच्छुक व्यक्तियों द्वारा ई–सुविधा केंद्र की स्थापना हेतु नियमानुसार पी0पी0 मॉडल पर भी योजनाएँ तैयार कर सकते हैं जिसमें निर्धारित शुल्क के आधार पर उच्च शिक्षा सम्बंधी अधिकतम ऑनलाईन सुविधाएं छात्रों को उपलब्ध करायी जाएँ।

तालिका संख्या 1 (B) : उत्तर प्रदेश में महाविद्यालय के NAAC मूल्यांकन की स्थिति

(Sr. No. 21) (शैक्षिक सत्र : 2025–26)

क्र0सं0	मण्डल का नाम	जनपद का नाम	संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय का नाम	संबंधित विश्वविद्यालय का नाम (यदि लागू हो)	महाविद्यालय का पूरा नाम	महाविद्यालय का प्रकार (राजकीय/संघटक/अशासकीय सहायताप्राप्त/स्ववित्तपोषित/)	महाविद्यालय का स्थापना वर्ष एवं AISHE Code	**CYCLE**	**CGPA**	**GRADE**	नैक मूल्यांकन की वैधता अवधि	नैक मूल्यांकन की वर्तमान स्थिति	उच्च शिक्षा निदेशालय स्तर पर नैक मूल्यांकित महाविद्यालयों के प्रोत्साहनार्थ संचालित योजनाओं /सम्मान / अनुदान स्वीकृति में वरीयता सम्बन्धी कृत प्राविधानों का विवरण
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	12	13	14
								I					
								II					
								III					
								IV					

नैक समन्वयक के तिथि सहित हस्ताक्षर
मोहर

प्राचार्य का तिथि सहित हस्ताक्षर
मोहर

तालिका संख्या 12(A) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 के अन्तर्गत महाविद्यालय में **SAMARTH PORTAL** एवं चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन की स्थिति

(SAMARTH PORTAL, F.Y. U.P. POLICY)

(शैक्षिक सत्र : 2025–26)

क्र0सं0	मण्डल का नाम	जनपद का नाम	संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय का नाम	महाविद्यालय का पूरा नाम	महाविद्यालय का प्रकार (राजकीय /संघटक / अशासकीय सहायताप्राप्त/स्ववित्तपोषित/ स्वायत)	महाविद्यालय का स्थापना वर्ष एवं AISHE Code	क्या महाविद्यालय में समर्थ पोर्टल के माध्यम से स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है? (हाँ/नहीं) यदि नहीं, तो कारण का उल्लेख करें।	क्या महाविद्यालय में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि नहीं, तो कारण का उल्लेख करें।	क्या महाविद्यालय में शिक्षकों/पुस्तकालयाध्यक्ष की CAS के अन्तर्गत प्रोन्नति प्रक्रिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम 2018 के अनुसार पूर्ण की जा रही है?(हाँ/नहीं) यदि नहीं, तो कारण का उल्लेख करें।	महाविद्यालय में अद्यतन CAS के अन्तर्गत कितने शिक्षकों/पुस्तकालयाध्यक्ष की प्रोन्नति प्रक्रिया समर्थ पोर्टल के माध्यम से पूर्ण की जा चुकी है?	समर्थ पोर्टल के माध्यम से CAS के अन्तर्गत प्रोन्नति प्रक्रिया के पूर्ण होने में औसतन कितना समय लग रहा है?	महाविद्यालय में समर्थ पोर्टल के मायध्म से CAS के अन्तर्गत प्रोन्नति प्रक्रिया में कितने आवेदन पत्र अगले स्तर पर स्वतः अग्रसारित हुए हैं?	क्या महाविद्यालय में समर्थ पोर्टल के माध्यम से CAS के अन्तर्गत प्रोन्नति की पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन सम्पादित की जा रही है? (हाँ/नहीं)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**

संबंधित प्रभारी के तिथि सहित हस्ताक्षर
मोहर

प्राचार्य का तिथि सहित हस्ताक्षर
मोहर

तालिका संख्या 11(A) : राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 के क्रियान्वयन के अन्तर्गत महाविद्यालय में संचालित ऑनलाईन शिक्षा व्यवस्था की स्थिति

(Sr. No. 03)

(शैक्षिक सत्र : 2025–26)

क्र0सं0	मण्डल का नाम	जनपद का नाम	संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय का नाम	महाविद्यालय का पूरा नाम	महाविद्यालय का प्रकार (राजकीय /संघटक / अशासकीय सहायताप्राप्त/स्ववित्तपोषित/ स्वायत्त)	महाविद्यालय का स्थापना वर्ष एवं AISHE Code	ऑनलाइन शिक्षा के प्रोत्साहनार्थ क्या विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों को ऑनलाइन कक्षायें संचालित करने तथा ई कन्टेन्ट बनाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गयी है? (हॉं/नहीं)	क्या महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क वाई–फाई/इण्टरनेट सुविधा उपलब्ध है? (हॉं/नहीं) यदि नहीं, तो कारण का उल्लेख करें।	क्या महाविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षा कराने की समुचित सुविधा उपलब्ध है? (हॉं/नहीं)	महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी पोर्टल पर प्रतिवर्ष औसतन कुल कितना ई–कन्टेण्ट अपलोड किया जाता है?	क्या महाविद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों द्वारा उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाईब्रेरी पोर्टल पर ई–कन्टेन्ट अपलोड किया गया है?(हॉं/नहीं) यदि नहीं, तो कुल कितने शिक्षकों द्वारा एक भी ई–कन्टेन्ट तैयार कर अपलोड नहीं किया गया है?	महाविद्यालय के कुल कितने संकायों/विषयों में ऑफलाईन/ भौतिक कक्षाओं के साथ–साथ ऑनलाईन कक्षायें संचालित हो रही हैं?	क्या महाविद्यालय द्वारा ई–सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है?(हॉं/नहीं) यदि हॉं, तो ई–सुविधा केन्द्र से कितने विद्यार्थी/व्यक्ति अद्यतप लाभान्वित हो चुके हैं?
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**

संबंधित प्रभारी के तिथि सहित हस्ताक्षर
मोहर

प्राचार्य का तिथि सहित हस्ताक्षर
मोहर

तालिका संख्या 10(A): महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों के समग्र मूल्यांकन हेतु कृत प्राविधानों की स्थिति

(Sr. No. 11,17) (शैक्षिक सत्र : 2025–26)

क्र0सं0	मण्डल का नाम	जनपद का नाम	संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय का नाम	महाविद्यालय का पूरा नाम	महाविद्यालय का प्रकार (राजकीय /संघटक / अशासकीय सहायताप्राप्त/स्ववित्तपोषित/ स्वायत्त)	महाविद्यालय का स्थापना वर्ष एवं AISHE Code	क्या महाविद्यालय में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सतत आंतरिक मूल्यांकन का प्राविधान किया गया है? (हाँ/नहीं)यदि नहीं, तो कारण का उल्लेख करें।	क्या विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित एवं महाविद्यालय में संचालित कौशल विकास पाठ्यक्रमों में आंतरिक एवं वाह्य मूल्यांकन का प्राविधान किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि नहीं, तो कारण का उल्लेख करें।	क्या महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आत्मबल को बढ़ाने के निमित्त स्वमूल्यांकन का अवसर प्रदान करने वाले क्रियाकलापों का सतत संचालन किया जाता है? (हाँ/नहीं) यदि नहीं, तो कारण का उल्लेख करें।	क्या महाविद्यालय द्वारा पंजीकृत विद्यार्थियों के स्वास्थ्य शारीरिक क्षमता विकास हेतु खेल तथा योग गतिविधियों का प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में संचालन किया जाता है? (हाँ/नहीं) यदि नहीं, तो कारण का उल्लेख करें।	क्या महाविद्यालय के पास अपना खेल मैदान एवं पर्याप्त खेल उपकरण उपलब्ध हैं? (हाँ/नहीं) यदि नहीं, तो कारण का उल्लेख करें।	क्या महाविद्यालय में पंजीकृत विद्यार्थियों के समग्र व्यक्तित्व विकास एवं उसके मूल्यांकन हेतु प्रत्येक शैक्षिक सत्र में प्रमुखतया किन–किन क्रियाकलापों का संचालन किया जाता है?	क्या महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को **ODL** पाठ्यक्रम के द्वारा भी क्रेडिट अर्जित कर अपने कोर्स को पूर्ण करने की सुविधा उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**

संबंधित प्रभारी के तिथि सहित हस्ताक्षर
मोहर

प्राचार्य का तिथि सहित हस्ताक्षर
मोहर

तालिका संख्या 9(A) : महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 के अनुरूप संचालित न्यूनतम समान पाठ्यक्रम, संकाय एवं विषय की स्थिति

(Sr. No. 7,8,18,19,20)

क्र0सं0	मण्डल का नाम	जनपद का नाम	संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय का नाम	महाविद्यालय का पूरा नाम	महाविद्यालय का प्रकार (राजकीय /संघटक / अशासकीय सहायताप्राप्त/स्ववित्तपोषित/ स्वायत्त)	महाविद्यालय का स्थापना वर्ष एवं AISHE Code	क्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप CBCS पर आधारित न्यूनतम समान पाठ्यक्रम संचालित है?(हाँ/नहीं)	क्या महाविद्यालय में स्वीकृत कोई ऐसा भी विषय संचालित है जिसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप अद्यतन न्यूनतम समान पाठ्यक्रम तैयार कर लागू नहीं है?(हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो विषय का विवरण अंकित करें।	क्या महाविद्यालय में संचालित विषयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप शासन द्वारा यथा निर्दिष्ट संकायों में वर्गीकृत किया गया है? (हाँ/नहीं)यदि नहीं, तो कारण का उल्लेख करें।	क्या महाविद्यालय में कोई ऐसा भी विषय संचालित है जिसे एक से अधिक संकायों में वर्गीकृत किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो विवरण अंकित करें।	क्या महाविद्यालय में संचालित विषयों में कोई ऐसा भी विषय है जिसे नवीन संकाय व्यवस्था में अद्यतन वर्गीकृत नहीं किया गया है? (हाँ/नहीं)	क्या महाविद्यालय में B.A., B.Sc., B.Com CBCS आधारित त्रिविषयी–त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम को शैक्षणिक सत्र 2021–22 से लागू किया गया है? (हाँ/नहीं)	महाविद्यालय में स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में CBCS आधारित नवीन पाठ्यक्रम किस शैक्षणिक सत्र से लागू किया गया है?	क्या महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप NCC को वैकल्पिक/सहायक विषय (ELECTIVE/ MINOR) के रूप में चयनित किये जाने का विकल्प का प्राविधान किया गया है?(हाँ/नहीं)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**

समन्वयक/प्रभारी का तिथि सहित हस्ताक्षर
मोहर

प्राचार्य का तिथि सहित हस्ताक्षर
मोहर

तालिका संख्या 8(A) : महाविद्यालय में कौशल विकास पाठ्यक्रम तथा शोध एवं अन्वेषण हेतु संचालित कार्यक्रमों के प्रगति का आकलन

(Sr. No. 1,2,10)

क्र0सं0	मण्डल का नाम	जनपद का नाम	संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय का नाम	महाविद्यालय का पूरा नाम	महाविद्यालय का प्रकार (राजकीय / संघटक / अशासकीय सहायताप्राप्त / स्ववित्तपोषित / स्वायत्त)	महाविद्यालय का स्थापना वर्ष एवं AISHE Code	शैक्षिक सत्र	महाविद्यालय द्वारा स्थानीय औद्योगिक ईकाइयों (MSME) के साथ कौशल विकास पाठ्यक्रम हेतु हस्ताक्षरित MoU की कुल संख्या	महाविद्यालय द्वारा संचालित रोजगार परक / कौशल विकास पाठ्यक्रमों की कुल संख्या	रोजगार परक / कौशल विकास पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या	MoU हस्ताक्षरित औद्योगिक ईकाइयों (MSME) के साथ Internship पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या	शोध एवं अन्वेषण हेतु महाविद्यालय द्वारा (MSME) के साथ हस्ताक्षरित MoU की कुल संख्या	महाविद्यालय में पंजीकृत विद्यार्थियों के अध्ययनार्थ कितने प्री लोडेड टैबलेट पुस्तकालय / ई–लाईब्रेरी में उपलब्ध हैं?	उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाईब्रेरी पोर्टल पर ई–कन्टेन्ट अपलोड करने वाले शिक्षकों तथा इसका उपयोग करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या	क्या महाविद्यालय में ई–प्रकोष्ठ की स्थापना के माध्यम से विद्यार्थियों को अपना उद्यम प्रारम्भ करने (Start-up) हेतु प्रोत्साहित किया जाता है? (हॉं / नहीं)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
							2021-22								
							2022-23								
							2023-24								
							2024-25								
							2025-26								

समन्वयक / प्रभारी का तिथि सहित हस्ताक्षर
मोहर

प्राचार्य का तिथि सहित हस्ताक्षर
मोहर

तालिका संख्या 6(A) : महाविद्यालय में गठित **Alumni Association** की स्थिति

(Sr. No. 16) (शैक्षिक सत्र : 2025–26) (धनराशि रुपये में)

क्र0सं0	मण्डल का नाम	जनपद का नाम	संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय का नाम	महाविद्यालय का पूरा नाम	महाविद्यालय का प्रकार (राजकीय/ संघटक/ अशासकीय सहायताप्राप्त/स्ववित्तपोषित/स्वायत्त)	महाविद्यालय का स्थापना वर्ष एवं AISHE Code	क्या महाविद्यालय में एलुमनी एसोशिएसन का गठन किया गया है तथा उसका नियमानुसार पंजीकरण कराया गया है? यदि हाँ, तो तिथि एवं पंजीकरण संख्या अंकित करें। यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें।	क्या महाविद्यालय में Alumni Connect Office & Portal की स्थापना की गई है? यदि हाँ, तो विवरण अंकित करें। यदि नहीं, तो कारण का उल्लेख करें।	महाविद्यालय में अद्यतन Un-Claimed Caution Money की कुल धनराशि जो एलुमनी एसोसिएशन को हस्तान्तरित की गई हो।	महाविद्यालय में क्रियाशील एलुमनी एसोसिएशन के बैंक खाता संख्या में अद्यतन संचित कुल धनराशि।	महाविद्यालय में गठित एलुमनी एसोसिएशन में पंजीकृत कुल सदस्यों की संख्या।	महाविद्यालय की वेबसाइट/पोर्टल पर एलुमनी एसोसिएशन से संपर्क करने की सुविधा क्या उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	महाविद्यालय में क्रियाशील एलुमनी एसोसिएशन द्वारा अद्यतन कृत विकासात्मक कार्यों का संक्षिप्त विवरण/व्ययित धनराशि।
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	12	13	14

समन्वयक एलुमनी एसोसिएशन के तिथि सहित हस्ताक्षर
मोहर

प्राचार्य का तिथि सहित हस्ताक्षर
मोहर

तालिका संख्या 4(A) :

उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश एवं **MSME** के मध्य हस्ताक्षरित **MoU** के क्रम में महाविद्यालय द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण

(Sr. No. 5)

क्र0सं0	मण्डल का नाम	जनपद का नाम	संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय का नाम	महाविद्यालय का पूरा नाम	महाविद्यालय का प्रकार (राजकीय/संघटक/अशासकीय सहायताप्राप्त/स्ववित्तपोषित/स्वायत्त)	महाविद्यालय का स्थापना वर्ष एवं AISHE Code	शैक्षिक सत्र	संबंधित जनपद/मण्डल में संचालित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की कुल संख्या।	संबंधित महाविद्यालय द्वारा स्थानीय उद्योगों/MSME के साथ किये गये कुल समझौता ज्ञापनों (MoU) की संख्या।	संबंधित उद्योग/ MSME के साथ Internship पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के साथ अल्प अवधि के नवाचार से संबंधित आयोजित कार्यक्रमों (MSME Hackathons) की कुल संख्या।	MSME Hackathons से लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या	महाविद्यालय एवं स्थानीय उद्योगों (MSME) द्वारा संचालित संयुक्त परियोजनाओं की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	14
							2023-24						
							2024-25						
							2025-26						

संबंधित समन्वयक के तिथि सहित हस्ताक्षर
मोहर

प्राचार्य का तिथि सहित हस्ताक्षर
मोहर

तालिका संख्या 3(A): महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के क्रियान्वयन की स्थिति

(Sr. No. 04,12)

(शैक्षिक सत्र : 2025–26)

क्र0सं0	मण्डल का नाम	जनपद का नाम	संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय का नाम	महाविद्यालय का पूरा नाम	महाविद्यालय का प्रकार (राजकीय/संघटक/अशासकीय सहायताप्राप्त/स्ववित्तपोषित/स्वायत्त)	महाविद्यालय का स्थापना वर्ष एवं AISHE Code	क्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के सुव्यवस्थित क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा यथानिर्दिष्ट/आवश्यक विभिन्न प्रकोष्ठों की स्थापना की गई है? यदि हाँ, तो विवरण अंकित करें। यदि नहीं, तो कारण का उल्लेख करें।	महाविद्यालय में गठित उन प्रकोष्ठों की संख्या जिनके अन्तर्गत संचालित गतिविधियों के विवरण को महाविद्यालय की वेबसाइट पर नियमित रूप से अपलोड किया जा रहा है।	क्या महाविद्यालय में संचालित स्नातक एवं स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम एवं सेमेस्टर प्रणाली को लागू किया गया है? (हाँ/नहीं)	क्या महाविद्यालय में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में CBCS आधारित नवीन पाठ्यक्रम एवं सेमेस्टर प्रणाली लागू है? (हाँ/नहीं)	क्या सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में वृहद शोध परियोजना का प्राविधान किया गया है? (हाँ/नहीं)	क्या महाविद्यालय में ई–लर्निंग पार्क की स्थापना की गई है?(हाँ/नहीं)	क्या महाविद्यालय में गठित विभिन्न प्रकोष्ठों (शासन द्वारा यथा निर्दिष्ट/आवश्यक) के अन्तर्गत निर्दिष्ट कार्यों का सम्पादन किया जाता है? हाँ/नहीं)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	11	12	13	14

संबंधित प्रभारी के तिथि सहित हस्ताक्षर
मोहर

प्राचार्य का तिथि सहित हस्ताक्षर
मोहर